ISSN 0973-3914

RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL AND LIFE SCIENCES

HALF YEARLY, BILINGUAL (English/Hindi)

A REGISTERED REVIEWED/REFEREED RESEARCH JOURNAL
Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory©, ProQuest, U.S.A (Title Id: 715205)

अंक–XXVIII-I हिन्दी संस्करण वर्ष–14 जून 2019

UGC
Journal No. 40942
Impact Factor 3.112

JOURNAL OF
Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered under M.P. Society Registration Act, 1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

आई एस एस एन 0973–3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

पंजीकृत रिव्यूड/रेफर्ड रिसर्च जरनल

A Registered Reviewed/ Refereed

U.G.C. Journal No. 40942, Impact Factor 3.938
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest,
U.S.A. Title Id : 715205

अंक–XXVIII-I   हिन्दी संस्करण   वर्ष–14   जून, 2019

प्रधान सम्पादक

प्रोफेसर ब्रजगोपाल

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
profbrajgopal@gmail.com

ऑनरेरी सम्पादक

डॉ. अखिलेश शुक्ल

प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल

अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी (आचार्य) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।
   arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर (आचार्य) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
   rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत (आचार्य) डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर।
   drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह (आचार्य) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
   imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव (आचार्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
   anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला (सेवानिवृत्त (आचार्य)) कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश।
   bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना (सह प्राध्यापक) अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी।
   drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा (आचार्य) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट।
   pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना (आचार्य) इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
   ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय (आचार्य) विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश।
    drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया (सह प्राध्यापक इतिहास) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान।
    pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. रामलला शुक्ल (प्राध्यापक) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान रीवा। ramlalashukla666@gmail.com
13. डॉ. मृदुल जोशी (आचार्य) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
    dr_mriduljoshi@yahoo.com
14. डॉ. के. के. शर्मा (प्राध्यापक) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान रीवा। sharmakktrs@gmail.com
15. डॉ. शैलजा दुबे (प्राध्यापक) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल। shailjadubey70@yahho.in
16. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव (आचार्य) शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान।
    dr21pramila@gmail.com
17. डॉ. जयशंकर शाही (आचार्य) अलवर राजस्थान।
    jayshankarshahi@gmail.com
18. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी (सेवानिवृत्त (आचार्य)) रीवा मध्य प्रदेश।
19. डॉ. राजेश भट्ट, एच एन बी केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड।
    rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन–

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं। यू.जी.सी. लिस्ट इसका क्रमांक 40942 है।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री, प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग–अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका रिव्यूड एवं रेफर्ड हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई–मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50–100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट– पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010 (फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए–4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई–मेल द्वारा भेजें–

- **researchjournal97@gmail.com,**
  researchjournal.journal@gmail.com
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई–मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -

अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
एक वर्ष	2000.00	2500.00
दो वर्ष	2500.00	4000.00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच–रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय नगद जमा की स्थिति में 75 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

लेजर कम्पोजिंग: अरविन्द कुमार व्यास
रीवा (म.प्र.)

संपादकीय कार्यालय

एस.एस.डी.-4, 'गोकुल', विन्ध्य विहार कालोनी, ए.जी. कॉलेज रोड, दुर्गा मंदिर के सामने, रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

इस समय हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, जहां सूचनाएं बिजली की गति से फैलती हैं। शहर–गांव के चौराहों–चौपालों में होने वाली चर्चा का दायरा अब अनंत हो चुका है। इस बढ़ते दायरे का दुरुपयोग अब अवांछित सामग्री देखने और पढ़ने के लिए भी हो रहा है। अधीरता, प्रत्यक्ष संवाद की कमी से सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं। बिना सोचे–समझे मैसेज आगे बढ़ाए जाते हैं जिसमें कई बार कभी बच्चा चोरी और ऐसी अन्य धार्मिक, राजनैतिक या योजनाबद्ध उन्मादी अफवाहें फैल रही हैं, जिससे भीड़ उग्र हो जाती है और बिना सोचे–समझे किसी की जान लेने पर उतारू हो जाती है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है हर हथेली में अपनी जगह बना चुका स्मार्टफोन, उस पर से सोशल मीडिया पर फैलता वैमनस्य। उल्लेखनीय है कि बच्चा चोरी जैसी अधिकतर अफवाहें व्हाट्सऐप पर ही फैली। क्या आपने ध्यान दिया है कि किसी क्षेत्र में तनाव होते ही प्रशासन सबसे पहले इंटरनेट पर पाबंदी क्यों लगा देता है। ऐसी कई घटनाओं में सामने आया कि व्हाट्सऐप या किसी सोशल मीडिया प्लेट्फ र्म के जरिए ही ऐसे भड़काऊ मैसेज और अफवाहें ही भीड़ की नायक बन जाती हैं। इन सोशल मैसेजिंग ऐप्स खासतौर पर व्हाट्सऐप पर धड़ल्ले से शेयर किए जाने वाले वीडियो और नफरत भरे मैसेज बिना घटना की सत्यता जाने फारवर्ड कर देते हैं।

वर्तमान समय में एक भयानक खतरा तेजी से हिंदुस्तान में भी उभरा है, 'मॉब लिंचिंग' यानी उन्मादी भीड़ द्वारा किसी पर हमला। हाल ही में देश भर में कई जगहों पर मॉब लींचिंग की घटनाएं हुई हैं झूठी अफवाहों के चलते भीड़ ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है. आखिर अचानक इतने लोग एक साथ एक ही मकसद से कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ का मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक छोटा–सा हिस्सा रहा है. यह एक अजीब और पुराना तरीका है जिसकी प्रासंगिकता समाज में स्थिरता आने और कानून–व्यवस्था के ऊपर भरोसे के बाद खत्म होती गई। भीड़ के मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा एक अलग तरह की घटना के तौर पर शुरू हुई, जब हम फ्रांसीसी क्रांति की भीड़ या फिर कु क्लक्स क्लान की नस्लीय भीड़ को इसका उदाहरण मानते थे। तब भीड़ के मनोविज्ञान में एक काले व्यक्तिको सफेद लोगों की भीड़ द्वारा मारने का पुराना मसला ही चर्चा का विषय होता था। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या अब हमारे देश में 'भीड़तंत्र की अराजकता' कायम हो रही है.. ? कभी गाय को बचाने के नाम पर पहलू खान और रकबर खान (जिसकी मौत दरअसल पुलिस हिरासत में हुई ?) को मार दिया जाता है तो कभी गौमांस के इल्जाम में नोएडा में मोहम्मद अखलाक को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी लव–जिहाद तो कभी सोशल मीडिया पर 'बच्चा चोरों' की अफवाह के चलते भीड़ फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर 'न्याय' करने पर उतारू हो रही है।

मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना महाराष्ट्र में सामने आई थी, जहां 1 जुलाई 2018 को धुले के रैनपाड़ा गांव में भीड़ ने पांच लोगों की पीट–पीटकर हत्या कर दी। इन लोगों पर बच्चा चोर होने का आरोप लगाया गया था। 9 जून 2018 को असम के कार्बी आंगल न्ग जिले के एक दूरवर्ती इलाके में सोशल मीडिया पर फैलाई गई बच्चा चोर गैंग

की अफवाह के बाद भीड़ द्वारा दो युवकों की पीट–पीट कर हत्या कर दी गई। वेल्लोर जिले में 28 अप्रैल 2018 को एक हिन्दी भाषी मजदूर को बच्चा चोर होने के शक में पीट–पीट कर मार डाला तो चेन्नई के तेनमपेट इलाके में जून 2018 में स्थानीय लोगों ने दो प्रवासी मजदूरों को बच्चा चोर होने के संदेह में बुरी तरह से पीटा। 15 जून 2018 को कर्नाटक के बीदर जिले के मुरकी में व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की अफवाह के चलते भीड़ ने कथित तौर पर एक साफ्टवेयर इंजीनियर की पीट–पीट कर हत्या कर दी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 21 जुलाई को पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में खेताराम भील की एक मुस्लिम महिला से अवैध संबंधों के आरोप में कथित रूप से 12 लोगों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी। 24 जुलाई 2018 को प. बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भीड़ ने बच्चा चोर होने के संदेह में चार महिलाओं से कथित तौर पर मारपीट की और उनमें से दो को निर्वस्त्र कर दिया। एक ही महीने में ऐसी 2 घटनाएं हुईं। 2017 में ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में 16 साल के जुनैद की हत्या ट्रेन में सीट को लेकर हुई एक मामूली विवाद में कर दी गई। 22 जून 2017 को कश्मीर में सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद अयूब पंडित को स्थानीय लोगों ने निर्वस्त्र कर पीट–पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो मस्जिद के बाहर लोगों की तस्वीर खींच रहे थे।

कुल मिलाकर पिछले कुछ ही दिनों में पूरे भारत में ऐसी काफी घटनाएं सामने आई हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'भीड़तंत्र का भयावह कृत्य' बताते हुए उन्मादी भीड़ और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने में नाकाम सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इन घटनाओं का एक और दुखद पहलू यह है कि राजनीतिक और सामाजिक संगठन इन घटनाओं को अपनी 'सुविधाओं' के हिसाब से ज्यादा उठाते हैं। ऐसे में उनका विरोध असली न होकर 'राजनीतिक' ज्यादा दिखाई देता है, जो कि इसे हलका भी करता है।

देश की सबसे बड़ी अदालत भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बेहद सख्त है। तहसीन पूनावाला केस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन तक जारी कर चुका है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन का अधिकार मिला हुआ है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन को छीना नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कानून के दायरे में लाकर ही सजा दी जाएगी।

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का 28वाँ अंक प्रस्तुत है। आशा है कि हमें आपका बौद्धिक सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

रीवा, 01 जून, 2019

(प्रोफेसर ब्रजगोपाल)
प्रधान संपादक

डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

1. हिन्दू धर्मशास्त्रों में उपस्थित गोवंश से संबन्धित वैज्ञानिकी तथ्य 9
दीपक कुमार पाण्डेय
देवेंद्र प्रसाद पाण्डेय

2. महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन 15
अखिलेश शुक्ल
कल्पना गौतम

3. कानपुर (सीसामऊ विधान सभा) की मलिन बस्तियों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे बच्चों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार एवं स्वयं बच्चों का नजरिया 19
अनामिका सिंह

4. भारत में सहकारी संघवाद एवं गठबंधन की राजनीति 24
संध्या कुमारी

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के सफलतम संचालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की भूमिका 37
डी.एन. सूर्यवंशी
नवीन सिंह राजपूत, भूपेन्द्र कुमार

6. कृषि क्षेत्र : तनाव, समस्यायें एवं चुनौतियाँ 42
वर्षा राहुल

7. जौनसार–बावर के समाज में नव वर्ष उत्सव के रूप में विशू मेले का सांस्कृतिक समागम का आयोजन 51
टीका राम
जे.सी. जोशी

8. सारण जनपद में भूमि उपयोग के परिवर्तित प्रारूप का कृषि पर प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण 68
सिम्की कुमारी

9. भारतीय फिल्मों में बढ़ता उपभोक्तावाद 74
तनु डंग

10. मोहन राकेश के नाटक ''आधे अधूरे'' में चरित्रांकन कला 84
दीक्षा यादव

11. मानस और समाजोन्मुख प्रेरणा 91
सरोज बाल श्याम विश्नोई

12. शहरी एवं ग्रामीण माध्यमिक शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का विश्लेषणात्मक अध्ययन (भोपाल जिले के संदर्भ में) 97
अंजुवाला सिंह
अखिलेश शर्मा

13. जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की बौद्विक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में) 103
दिनेश कुमार शर्मा

14. 21वीं सदी में मानवाधिकार शिक्षा का स्वरूप 108
विवेक कुमार मिश्रा
सुमन तिवारी

15. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन 112
रीता सिंह
पार्वती यादव

16. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन 118
शिवानी दीवान
दुर्गावती मिश्रा

17. विभिन्न अवस्थाओं में आहार एवं पोषण–एक विश्लेषण 122
मनोज कुमार

18. वृद्वों के संदर्भ में परिवार कि भूमिका 130
रेखा सेना

19. पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन 136
अखिलेश शुक्ल
कोमल पाण्डेय

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

हिन्दू धर्मशास्त्रों में उपस्थित गोवंश से संबन्धित वैज्ञानिकी तथ्य

* दीपक कुमार पाण्डेय
** देवेंद्र प्रसाद पाण्डेय

सारांश– *गोवंश इस चराचर जगत का विचित्र जीव है। गोवंश के नर एवं मादा दोनों ही समूचे मानव जगत को आर्थिक,सामाजिक एवं आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने में सक्षम हैं। भारत का आध्यात्मिक स्तर दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसका कारण यहाँ की सामासिक संस्कृति तथा धर्मग्रंथों की प्रासंगिकता है। हिन्दू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्म से जुड़े अनेकों धर्म शास्त्र मिल जाएंगे। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, स्मृति तथा विभिन्न संहिताएं हिन्दूधर्म की परम्पराओं एवं उन ग्रन्थों में निहित अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक से जोड़ती हैं। हिन्दू धर्मशास्त्रों में शायद ही ऐसा कोई विषय रहा होगा जिसमें प्रकाश न डाला गया हो। हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में कर्मकाण्ड एवं धार्मिक परम्पराएँ तो हैं, ही साथ ही व्यावहारिक जीवन में की जाने वाली नैतिक कार्यो का भी उल्लेख किया गया है। चूंकि हिंदुओं के मान्यतानुसार गाय जननी है, देवीस्वरूपा है ,इसलिए अधिकतर शास्त्रों में गाय अथवा गोवंश की महत्ता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भलीभाँति वर्णित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में हिंदुओं के विविध धर्मशास्त्रों में उद्धृत गोवंश से संबन्धित वैज्ञानिकी तथ्यों की चर्चा की गई है।*

मुख्य शब्द– गोवंश, गोदान, गोबर, गोमूत्र

1. प्रस्तावना– गोवंश एक दिव्य प्राणी है। इसकी भौतिक काया सामान्य जीवों की भांति है। किन्तु इसका गुण दूसरे जीवों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। मानव को सर्वाधिक लाभ पहुँचने वाला गोवंश ही है। सनातन से ही गोवंश इन्सानों के अधिकतम गतिविधियों में शामिल रहा। गोवंश ने अपने श्रमशक्ति से, अपने दूध से तथा मल-मूत्र से मानवों को समृद्ध बनाया। सर्वविदित है कि भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति हमेशा से ही कर्म प्रधान संस्कृति रही है। यही कारण है कि गोवंश भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। हिन्दू धर्म तथा भारतीय सभ्यता की धुरी इसके धर्म शास्त्रों पर ही टिकी हुई है। ऐसा माना जाता है कि नाना प्रकार के विषयवस्तु, ज्ञान, बोध अथवा कुशलता के मूल सिद्धान्तों तथा अवधारणाओं से युक्त साहित्य ही धर्मशास्त्र हैं। हिन्दू धर्म के अधिकतम श्लोकों अथवा ऋचाओं में हैं इसलिए ये धर्मशास्त्र सुनियोजित तथा सूत्रबद्ध हैं। इनमें शिक्षा, नीति, वास्तु, चिकित्सा,जीवनदर्शन तथा कला आदि विषयों के गूढ़ज्ञान विद्यामान हैं। हिन्दू धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं। वेद-पुराण के रूप में प्राचीनतम तथा लिखित इन दस्तावेजों में गोवंश

* शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश
** महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश

की महत्ता तथा उपयोगिता का विशेष वर्णन किया गया है।

हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों में गाय और बैल (सांड) को ईश्वर भी भांति मानकर पूजा जाता है। मानवों द्वारा गोवंश के गुणधर्मों का ज्ञान क्रमिक विकास एवं साहित्य के माध्यम से आया। दैनिक गतिविधियों एवं परंपरागत क्रियाकलापों से भी लोगों के अंदर गोवंश के प्रति प्रेमभाव बना रहा। प्राचीन काल से ही लोग गाय को धारणीय विकास का द्योतक मानते थे। इसके पीछे उनकी मंशा किसी चयनित जीव के गुणगान की नहीं थी अपितु गोवंश के वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने की थी। हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों में गाय से संबन्धित अनगिनत कर्मकांड मिलेंगे। लेकिन ये भी सही है कि उन्हीं धर्मशास्त्रों में गोवंश से होने वाले लाभ को तार्किक एवं व्यावहारिक दृष्टि से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ऐसा भी माना जा सकता है कि इन धर्मशास्त्रों के अधिकाधिक पन्नों में गोवंश का विज्ञान अन्त:निहित है।

2. **गोवंश और हिन्दू धर्मशास्त्र**– हिंदुओं के संस्कारों में, पूजा-पद्धति में तथा सामाजिक कार्यों में गोदान को उच्य दर्जे का कर्म माना जारी रहा है। परिवार का मुखिया अपना और अपने परिवार का भरण -पोषण गोवंश से कर पाता था। खेत जोतने के लिये गोवंश के नर अपनी पूरी ताकत झोक देते थे। उधर माता के रूप में गोवंश की मादा दूध, दही तथा घी से घर भर देती थी। गौमूत्र और गोबर जैसे बहुमूल्य उत्पाद दोनों गोदंपति (गोवंश की नर-मादा की जोड़ी) नियमित रूप से प्रदान करते थे। गोवंश के इस प्रकार की कहानियों में कोई अतिश्योक्ति नहीं है, जीवन का अनुभव सत्य छिपा है परिश्रम व्यक्ति हो या देश, उसे आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। जो परिश्रम करके आगे बढ़ता है वह सबसे सम्मान का भी अधिकार बन जाया सकता है।

उपनिषदों में गोवंश के गोबर-गोमूत्र अर्थात त्याज्य पदार्थ के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं को "गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वन्तरी" ही उजागर कर देता है।[1] उपरोक्त कथनानुसार गोवंश के गोबर में लक्ष्मी का वास है अर्थात गोबर आर्थिक शक्ति का द्योतक है। अभी तक गोवंश के गोबर से संबंधिक कई शोध किए गए है उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि गोबर में बहुत से दिव्य गुण हैं। यह ठोस में परिवर्तित होकर ठोस ईंधन में बदल जाता है। गोबर जैव-रासायनिक क्रिया अर्थात किण्वन के फलस्वरूप गैस ईंधन में बदल जाता है। इसका कारण है गोबर में सूक्ष्म जीवों को तीव्र गति से प्रवर्धित कर सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर देता है। गोबर उच्च दर्जे की खाद भी है। गोबर की सहायता से नाना प्रकार के खाद एवं उर्वरक बनाए जा सकते हैं। गोबर खाद भूमि की उर्वरा शक्ति को आसानी से बढ़ा देता है।

हिंदुओं के आरोग्य के देवता भगवान धन्वन्तरी हैं इसलिए गोमूत्रे धन्वन्तरी शब्द से गोवंश के मूत्र को भगवान धन्वन्तरी का आवास माना गया है। गोमूत्र पर भी कई शोध हुए हैं जिसमें यह सिद्ध हुआ है है गोमूत्र औषधीय गुण से परिपूर्ण है। भारत में गोमूत्र चिकित्सा से आज भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। वर्तमान में गोमूत्र चिकित्सा से संबन्धित अनेकों पुस्तकें और साहित्य मिल जाएंगे। ये साहित्य प्राय: वेदों तथा उपनिषदों का ही निचोड़ हैं ।

गाय हमारी माता है। विज्ञान ने भी मान लिया है कि गोवंश की मादा गाय हमारी जननी के समान है। एक शोध में गाय और भारतीय माताओं (महिलाओं) दूध से तुलना

की गयी। इस शोध में ये निष्कर्ष निकला कि भारतीय माताओं (महिलाओं) का दूध तथा मादा गोवंश के दूध में काफी समानता है। जल, वसा, खनिज तथा अन्य कई तत्वों की प्रतिशतता काफी हद तक एक समान पाई गई।[2] आज के कुछ बुद्धिजीवी भी गोमूत्र को साधारण द्रव्य समझ लेते हैं। अमेरिका काऊ यूरिन का पेटेंट लेकर कैंसर के इलाज के लिए शोध कर रहा है। अथर्ववेद में गो का अर्थ गत्यात्मक माना गया है।[3]

गाय और भारतीय माताओं (महिलाओं) के दूध की तुलना

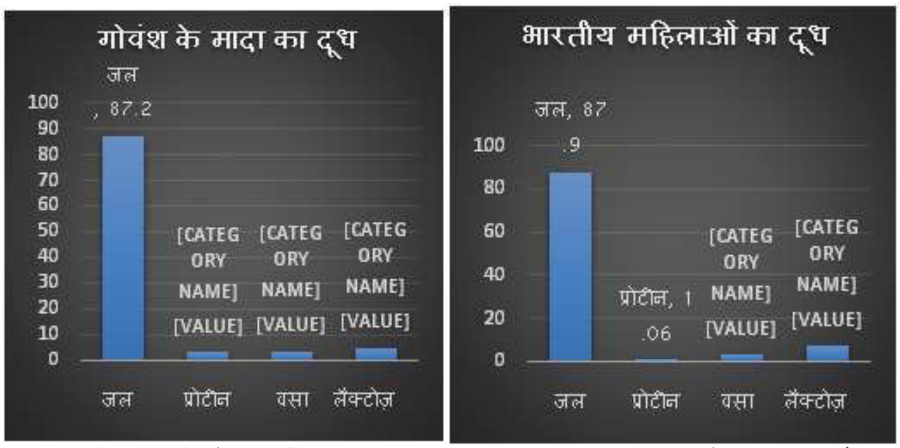

उपरोक्त चार्ट में प्रदर्शित जल की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर में दिया गया है तथा अन्य तत्वों की मात्रा 100 मिलीलीटर उपस्थित मिलीलीटर में उपस्थित मात्रा (मिलीलीटर में) है। यही कारण है है अथर्ववेद में गाय को आर्थिक शक्ति का स्रोत माना गया है। इसमें लिखा है कि गाय में संपत्तियाँ ही संपत्तियाँ हैं। यजुर्वेद के अनुसार आर्थिक दृष्टि से चराचर जगत में गाय की तुलना किसी और जीव से करना उचित नहीं है। गाय को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या शब्द से परिभाषित किया है। इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण, स्कन्द पुराण, महाभारत, गौकरुणानिधि जैसे अनगिनत हिन्दू धर्म शास्त्रों की बुनियाद ही गोवंश अथवा गोवंश से जुड़ी घटनाओं पर टिकी है।[4] इनमें गाय अथवा गोवंश से सबंधित अनेकों प्रसंग उद्धृत हैं।

3. **गोवंश से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य**– धार्मिक परम्पराओं तथा आस्था को विज्ञान तभी स्वीकार करता है जब संबन्धित परंपराओं अथवा आस्था वैज्ञानिक तर्कों पर खरी उतरे। गोवंश से जुड़ी सभी आस्था जो हिन्दू धर्मशास्त्र में वर्णित थी उसे प्रायः सही पाया है। उदाहरण के तौर पर गोमूत्र को औषधि मानना हिंदुओं की आस्था थी किन्तु विज्ञान ने उसे सही करार दिया है। एक जांच में पाया गया है कि गोमूत्र में नाइट्रोजन, गंधक, अमोनिया, तांबा, यूरिया, यूरिक एसिड, फास्फेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कार्बोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई,लवण,हिप्पुरिक एसिड, क्रिएटिनिन तथा स्वर्ण क्षार जैसे महत्त्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अतः इसे महाटोनिक अथवा महाऔषधि मानना उत्तम रहेगा।[5]

गोमूत्र के तत्वों का चार्ट

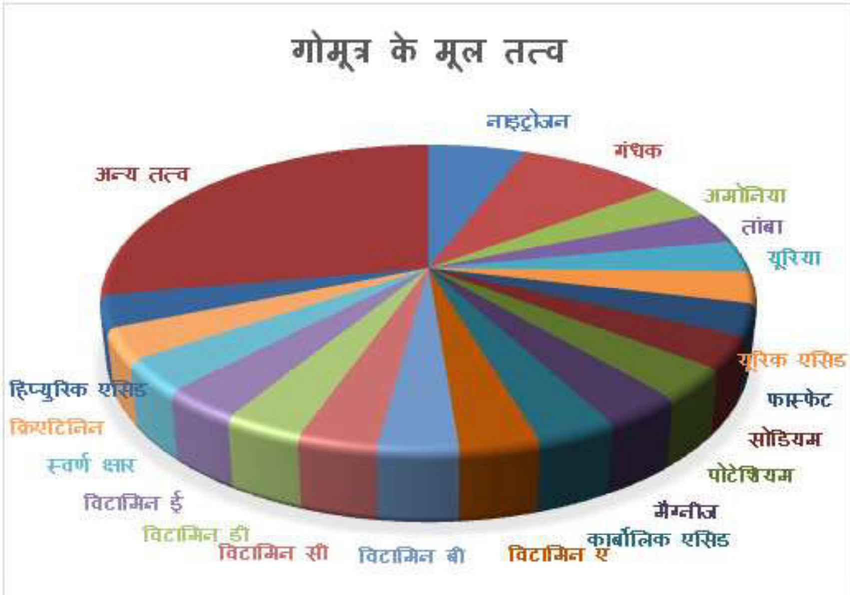

गोबर अथवा गोमूत्र के इतने महत्त्वपूर्ण पदार्थ होने का कारण इसके अंदर विशिष्ट तत्वों की उपस्थिति है। वैज्ञानिकों ने ये माना है कि एक ग्राम गोबर की मात्रा में लगभग करोड़ जीवाणु हो सकते हैं। ये वही जीवाणु है जो किण्वन प्रक्रिया से गैसीय ईंधन बना सकते है और खेतों में उपजाऊपन क्षमता बढ़ा सकते हैं। गोवंश का पालन करने के दौरान जो भी कुछ अपशिष्ट अथवा त्याज्य पदार्थ निकलता है वह सभी मानवों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है।

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में एक शोध केंद्र है इसका नाम है- महर्षि वाग्भट्ट गौशाला एवं पंचगव्य विज्ञान केन्द्र। यहाँ एक शोध में पता चला है कि इस संसार का सबसे परिशुद्ध हाइड्रोजन तत्व गोवंश के गोबर तथा गोमूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वविदित है कि वर्तमान में गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर के समूह (पंचगव्य) से सैकड़ों दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। ये अनुप्रयोग वेद में वर्णित 60 से अधिक सूक्तियों ऋचाओं पर अध्ययन करके ही संभव हो पाया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इससे भी अधिक दवाइयाँ बनाई जाएंगी। हमारे वेदों में गोवंश के तथ्यों से संबन्धित डेढ़ हजार से भी अधिक सूक्तियाँ ऋचायेँ विद्यमान हैं।[6] चिकित्सकों के दृष्टिकोण से गोवंश एक चिकित्सा का विश्वविद्यालय है। चिकित्सा के दृष्टि से तथा अध्ययन के दृष्टि से भी इसे दिव्य अस्पताल कहा जा सकता है।

गोदुग्ध पौष्टिकता की खान है। इसमें भी उन परमतत्वों का समावेश जो मानवों के लिए अत्यंत हितकारी हैं। अथर्ववेद के अनुसार इस संसार में यदि कोई अमृततत्व है तो वो है-गोदुग्ध। गोदुग्ध को केवल आहार मानना उचित नहीं है यह भी गोमूत्र की भांति औषधि ही है।[7]

गोदुग्ध के अंदर पाये जाने वाले कुछ मानवोपयोगी तत्व

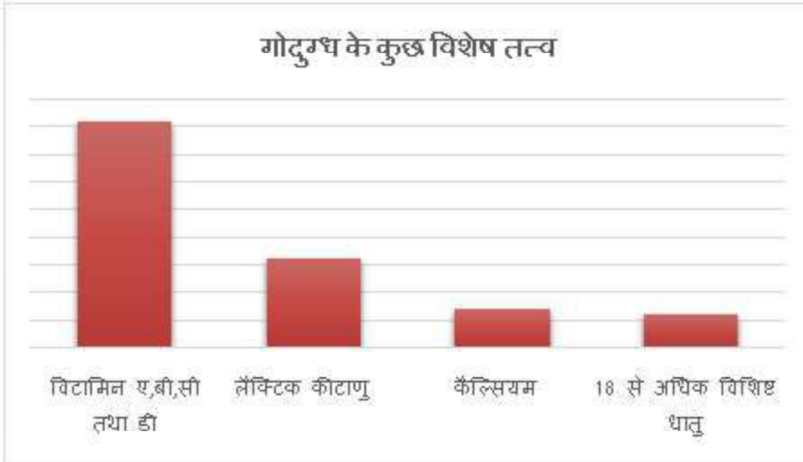

एक शोध में ये निष्कर्ष निकला है कि गाय के दूध में जो 7 अमीनो एसिड प्रोटीन पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार का यह प्रोटीन मानव को होने वाला प्राणघातक रोग जैसे- हृदयघात, मधुमेह तथा मानसिक रोग में काफी लाभकारी है। भारतीय गोवंश की महत्ता को विश्व के बहुत से पशु वैज्ञानिकों ने माना है। भारतीय गोवंश के विभिन्न नस्लों जैसे साहीवाल, थारपारकर, लाल सिन्धी, हरियाणा, गंगातीरी, गीर आदि उच्च स्तर का दुग्ध उपलब्ध करवाती है। वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से A-1 तथा A-2 प्रकार के दूध गाय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय गोवंश के इन नस्लों से केवल A-2 प्रकार का दूध प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य को सन 2007 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने जाना तथा उसे शोधपत्रों में प्रकाशित भी किया। इसलिए न्यूजीलैंड, कोरिया, जापान, अमेरिका आदि देशों में A-2 प्रकार का दूध दूसरे प्रकार के दूध से कहीं अधिक मिलता है। भारतीय नस्लों की गायों के दूध की महत्ता जानकार विश्व के कई देश भारतीय गोवंश के नर और मादा दोनों का आयात कर रहे हैं।[8]

डा0 पीपल्स ने अपने शोध में ये पाया है कि यदि गाय जाने-अंजाने में कोई विषैला द्रव्य खा भी लेती है तो उसका प्रभाव उसके दूध पर बहुत ही कम होता है। अर्थात विषाक्त पदार्थ के ग्रहण करने के बावजूद भी दूध के गुणों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। यदि भैंस विषाक्त पदार्थ खा ले तो उसका दूध विषाक्त हो सकता है। विज्ञान एकदमी की बैठक में जब डा0 पीपल्स ने इन तथ्यों को रखा तो सभी को गोवंश की महत्ता को मानना पड़ा।[9] ये बात अपने ऋषि-मुनियों ने वेद-पुराणों के माध्यम से हजारों साल पहले ही कह दी थी कि गोवंश अथवा गाय में सभी देवी देवताओं का वास है।[10] विष पीकर उसे पचा लेना और अपने शरीर पर बदलाव ना होना देना ईश्वरीय गुणों का दर्शन करता है। भगवान शिव के संदर्भ में ये मान्यता पहले से ही रही है। इस गुण के मद्देनजर धार्मिक दृष्टि से ये भी कहा जा सकता है कि गाय के अंदर भगवान शिव विराजमान हैं।

4. **शोध का परिणाम एवं भावी निहितार्थ**- विश्व के कुछ बुद्धिजीवी और पढ़े- लिखे लोग हिन्दू धर्मशास्त्रों को या तो कर्मकाण्ड का साहित्य मानते हैं या कल्पनाओं अथवा आस्था से जुड़ी दैवीय घटनाओं का साहित्यिक रूप। ये अवधारणा

पूर्णतया गलत है क्योंकि हिन्दू धर्मशास्त्र प्राय: विज्ञान, तर्क, तकनीक और आनुभविक जीवन दर्शनपर भी आधारित है। गोवंश के संदर्भ में हिन्दू धर्मशास्त्र पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित हैं क्योंकि गोवंश से जुड़े सूक्त चिकित्सा और स्वास्थ्य के मद्देनजर संरूपित किए गए हैं ।

कुछ सदी पहले तक भारतीय चिकित्सा और जीवन यापन की गतिविधियां गोवंश अथवा गाय के इर्द-गिर्द घूमती थी। आस्था से परे लोग गोवंश को विज्ञान की धुरी भी मानते थे। किन्तु समय के साथ मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में बदलाव हुआ और लोग गोवंश से दूर होने लगे। वर्तमान में हालत ऐसे हो गए है कि लोगों को अपने पुरातन विज्ञान की ओर लौटना पड़ रहा है। लोग आधुनिक विज्ञान के मकड़जाल में फँसकर रोगों के शिकार हो रहे हैं। संसाधन भी नष्ट होते जा रहे हैं। चूंकि गोवंश आधारित सामाजिक व्यवस्था स्वयंपोषित है, धारणीय है इसलिए बुद्धिजीवी गोवंश के वैज्ञानिक महत्त्व को जानकर सचेत हो चुके हैं और उन्होने गोवंश को अपने जीवन की गतिविधियों में शामिल करने का ठान लिया है। अत: हम निम्नलिखित शोध निष्कर्ष निकाल सकते हैं-

1. हिन्दू धर्मशास्त्रों में निहित गोवंश के चिकित्सीय गुण अपनाने लायक हैं जिससे नित नए शोध किए जा सकते हैं।
2. हिन्दू धर्मशास्त्रों में निहित गोवंश के आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती हैं।
3. गोवंश पर्यावरण हितकारी है। इससे रसायन तथा अपशिष्ट रहित विकास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. झा, प्रभात (2014), गौरवशाली भारत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 308
2. मुखोपाध्याय, चित्रा (1982), Biochemical studies on milk of Indian mothers, कलकत्ता विश्वविद्यालय, शोध प्रबंध, पृष्ठ संख्या 16 से 20
3. संकलित (2017), गौ-विज्ञान पुस्तिका, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 6 से 7
4. संकलित (2016), राष्ट्रीय आंदोलन और संघ, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 307 से 310
5. दीक्षित राजीव (2013), गौ-गौवश आधारित स्वदेशी कृषि, स्वदेशी प्रकाशन, वर्धा, पृष्ठ संख्या 90
6. https://www-jagran-com/jharkhand/jamshedpur&9106936-html अभिगमन तिथि 30 नवंबर 2018
7. स्वास्ति सीमा, साधना पथ, डायमंड अंक-187, वर्ष-15,अंक-08, पृष्ठ संख्या 34 से 35
8. संकलित (2017), गौ विज्ञान पुस्तिका, सुरुचि प्रकशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 12 से 15
9. बंका दीपक (2012), ग्रामीण स्वावलंबन, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 74 से 75
10. झा, प्रभात (2014), गौरवशाली भारत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 308

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन

* अखिलेश शुक्ल
** कल्पना गौतम

सारांश– *महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के साथ–साथ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत वर्षो में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत हुए चुनावों में कानूनी आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया इनमें से लगभग आधी महिला पंचायत प्रतिनिधि ऐसी मिली जो निर्वाचन के पश्चात् किसी न किसी राजनैतिक दल की सदस्य बनी। यह महिला प्रतिनिधियों में उभरती हुई राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है।*

मुख्य शब्द– राजनीतिक जागरूकता, आरक्षण, महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण, अधिकार एवं कर्तव्य।

प्रस्तावना– भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतीराज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए महिलाओं की त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला और पंचायत निर्वाचन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई। इस नवीन व्यवस्था के तहत प्रारंभ की गयी महिला आरक्षण प्रक्रिया ने महिला समुदाय में एक नयी संभावना को जागृत किया है। महिलाओं में नेतृत्व की भावना में प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि हुई जिस कारण महिलाओं का राजनैतिक दायरा बढ़ा है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है, जिसका आंकलन पंचायत चुनावों में किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं की पंचायतीराज ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। लेकिन सशक्तिकरण की मात्रा क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न रही है, जिन पंचायती संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधि स्वयं मामले को देखाती है और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सक्रियता से करवा पाती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का पूर्ण सशक्तिकरण हुआ है। दूसरी ओर महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाती घूँघट नहीं हटा पाती और अपने पति या सम्बंधी के कहने पर ही दस्तावेजों में हस्ताक्षर करती है, तो कहा जा सकता है, कि उन महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। भारत में पंचायतीराज संस्थाओं में अभी भी यह स्थिति देखने को मिलती हैं। इन्हीं परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी शोध क्षेत्र विशेष में प्राप्त करने के लिए शोधार्थी ने अपने शोध पत्र में ''महिला सशक्तिकरण के

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन विषय को चुना।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत सर्वेक्षणात्मक राजनीतिक अध्ययन निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपादित किया गया है -

1. महिलाओं की राजनीतक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
2. महिलाओं का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता की वास्तविक स्थिति का पता लगाना।

अध्ययन की उपकल्पना– प्रस्तुत अध्ययन में वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु निम्न परिकल्पनाएँ भी निर्मित की गयी है, जिनकी सत्यता व सार्थकता का परीक्षण अध्ययन के दौरान किया गया है।

1. महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2. महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुई हैं।

शोध विधि–

शोधार्थी ने अपने शोध विषय महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन के अंतर्गत रीवा जिले का चयन किया जिसके अंतर्गत जिले के सभी नवों विकासखण्डों रीवा, रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, सिरमौर, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, त्योंथर एवं जवा में से प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 महिला जनप्रतिनिधियों, कुल 225 महिला जनप्रतिनिधियों, 15-15 समाजसेवियों कुल 135 समाजसेवियों, 10-10 समाजशास्त्रियों कुल 90 समाजशास्त्रियों तथा 5-5 अधिकारियों कुल 45 अधिकारियों को अपने शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श में चयनित किया एवं सभी न्यादर्शों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया। इस प्रकार संपूर्ण शोध क्षेत्र से 495 उत्तरदाताओं से शोध अध्ययन की विषयवस्तु से संबंधित विभिन्न जानकारी साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित की तथा सारणीयन द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।

तालिका-01

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी

उत्तरदाता समूह	संख्या	महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता					
		बढ़ी है		नहीं बढ़ी है		नहीं पता	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
महिला जनप्रतिनिधि	225	149	66.22	50	22.22	26	11.56
समाजसेवी	135	105	77.78	19	14.07	11	08.15
समाजशास्त्री	90	55	61.11	17	18.89	18	20.00
अधिकारी	45	29	64.44	07	15.56	09	20.00
योग	**495**	**338**	**68.28**	**93**	**18.79**	**64**	**12.93**

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट होता है, कि 66.22 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शोध क्षेत्र की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, जबकि 22.22 प्रतिशत के अनुसार महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़ी है, तथा इस संबंध में नहीं पता कहने वाली महिला जनप्रतिनिधि 11.56 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 77.78 प्रतिशत समाजसेवियों ने माना की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। तथा 14.07 प्रतिशत समाजसेवियों ने कहा कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़ी है तथा

नहीं पता कहने वाले समाजसेवी 08.15 प्रतिशत है। जहाॅ तक समाजशास्त्रियों से प्राप्त उत्तरों में 61.11 प्रतिशत के अनुसार महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। वहीं 18.89 प्रतिशत समाजशास्त्रियों के अनुसार महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़ी है। तथा 20.00 प्रतिशत समाजशास्त्री इस सम्बंध में नहीं पता होने की बात कही। इसी प्रकार 64.44 प्रतिशत अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, साथ ही 15.56 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार महिलाओं मे राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़ी है। तथा 20.00 प्रतिशत अधिकारियों ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें नहीं पता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इनका कुल औसत 68.28 प्रतिशत, अर्थात अधिकांश उत्तदाताओं ने माना है कि शोध क्षेत्र की महिलाओं मे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुभ संकेत परिलक्षित होता है।

पंचायतीराज अधिनियम ने महिलाओं में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायतीराज व्यवस्था महिलाओ की जीवन पद्धति में घुलती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैने न्यादर्श में चयनित उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या शोध क्षेत्र की महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है? इसके उत्तर में प्राप्त आंकड़ों को तालिका क्र. 2 में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2

महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी

उत्तरदाता समूह	**संख्या**	**अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता**					
		बढ़ी है		**नहीं बढ़ी है**		**नहीं पता**	
		संख्या	**%**	**संख्या**	**%**	**संख्या**	**%**
महिला जनप्रतिनिधि	225	149	66.22	38	16.89	38	16.89
समाजसेवी	135	95	70.37	24	17.78	16	11.85
समाजशास्त्री	90	57	63.33	17	18.89	16	17.78
अधिकारी	45	29	64.44	09	20.00	07	15.56
योग	**495**	**330**	**66.67**	**88**	**17.78**	**77**	**15.56**

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट होता है कि 66.22 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के अनुसार शोध क्षेत्र की महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी हैं, जबकि 16.89 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ी है, तथा 16.89 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें इस सम्बंध में नहीं पता है। इसी प्रकार समाजसेवियों मे से 70.37 प्रतिशत के अनुसार महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 17.78 प्रतिशत समाजसेवियों ने कहा कि महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ी है तथा 11.85 प्रतिशत समाजसेवियों ने कहा कि उन्हें इस सम्बंध में नहीं पता है। समाजशास्त्रियों में से 63.33 प्रतिशत के अनुसार महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा 18.89 प्रतिशत समाजशास्त्रियों ने माना कि महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ी है एवं 17.78 प्रतिशत समाजशास्त्रियों ने कहा कि उन्हें इस सम्बंध में नहीं पता है। इसी

प्रकार 64.44 प्रतिशत अधिकारियों ने माना कि महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा 20.00 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ी है। 15.56 प्रतिशत अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें इस सम्बंध में नहीं पता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि अधिकांश उत्तरदाता लगभग 66.67 प्रतिशत ने माना है कि शोध क्षेत्र की महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

निष्कर्ष–

उपरोक्त तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत वर्षों में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत हुए चुनावों में कानूनी आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया इनमें से लगभग आधी महिला पंचायत प्रतिनिधि ऐसी मिली जो निर्वाचन के पश्चात् किसी न किसी राजनैतिक दल की सदस्य बनी। यह महिला प्रतिनिधियों में उभरती हुई राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2001)-भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास, 'योजना', मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मार्च, पृ. 34-38
2. गुप्ता, बी.के. (2005)-महिला सशक्तिकरण का यथार्थ: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ. 890-899
3. गुप्त, टी.पी. एवं उपाध्याय, सी.पी. (1995)-पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, किरण बुक कंपनी, इलाहाबाद।
4. कुमार, प्रभाव (1997)-पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2000
5. सोनी, विपिन कुमार (2000)-महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायतीराज, कुरूक्षेत्र, फरवरी 2000

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

कानपुर (सीसामऊ विधान सभा) की मलिन बस्तियों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे बच्चों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार एवं स्वयं बच्चों का नजरिया

* अनामिका सिंह

सारांश– *भारत में परिवार व्यवस्था परम्परागत रूप से, अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था रही है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी, जिसमें जरूरतमंद सदस्यों की जिम्मेदारी लेते परिवार के सभी सदस्य एकसाथ रहकर जीवन व्यतीत किया करते थे। औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण शहरीकरण और शहरों में रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो गया है। अब सामाजिक सुरक्षा की यह महत्वपूर्ण संस्था भंग हो गयी है, इसलिये राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिये कदम उठाने पड़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 यह गारण्टी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जायेगा। निःशक्तजनों एवं बेरोजगार (घुमक्कड़) वर्ग को राहत और सहायता प्रदान करने का निर्देश भी राज्य को दिया गया है। प्रत्येक राज्य की गरीब एवं अपना भरण–पोषण करने में अक्षम निःशक्तजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना होती है। वर्तमान भारत में तमाम योजनाएं चलायी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जिसके अन्तर्गत अनेक योजनाएं चल रही हैं।*

मुख्य शब्द– मलिन बस्ती, घुमक्कड़ जीवन, बच्चे, सामाजिक सुरक्षा

कानपुर सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले मलिन बस्तियों की संख्या 94 है। मैंने 94 बस्तियों में से 13 प्रतिशत मलिन बस्तियों को ही अध्ययन हेतु चुना है, जिसकी संख्या 12 आ रही है। इन बारह मलिन बस्तियों के नाम इस प्रकार हैं। तलवमण्डी मलिन बस्ती, दलेलपुरवा, नागेन्द्र का अहाता, राधेश्याम का अहाता, सरजू नरायण का अहाता, भगवानदास का अहाता, शराब मिल अहाता, मंगल प्रदार अहाता, कृष्ण प्यारी का अहाता, गुरूदीन का अहाता, लक्ष्मीपुरवा अहाता, शक्कर मिल खलवा अहाता। बच्चों में जीवन यापन एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु ये समितियां 11 मासिक अभियान दिवस भी चला रही हैं। इन तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद कानपुर सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली इन 12 मलिन बस्तियों में 20 प्रतिशत लड़के एवं 7 प्रतिशत लड़कियां घुमक्कड़ एवं अस्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जहां तक इन घुमक्कड़ बच्चों का नजरिया जो मैंने देखा और पाया कि ये बच्चे जीवन के प्रति निरूत्साहित दिखे, मैंने

* **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइन्स एण्ड कॉमर्स, कानपुर (उ.प्र.)**

लाख प्रयत्न किया कि ये बच्चे अपनी बस्ती के सरकारी स्कूल में जायें तथा नि:शुल्क शिक्षा एवं भोजन प्राप्त करें, पर चूंकि आम बच्चों की तरह इनका साक्षात्कार, शिक्षा के महत्व एवं अर्थ से हुआ ही नहीं था तो इनकी अभिरूचि शिक्षा के प्रति नहीं दिखायी दी। कुल मिलाकर इनका जीवन जैसा था वैसा ही बना रहने देना चाहते थे। जरूरत कुछ ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को आगे आने की है जो जबरन इन्हें पढ़ने हेतु स्कूल भेजे, शायद कुछ कक्षा पढ़ लेने के बाद, इन्हें शिक्षा का जीवन में महत्व समक्ष में आ जाये।

भारत में नीति सम्बन्धी किसी उपाय को सही अर्थों में लागू करना सचमुच एक चुनौती है। देश की विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण संस्कृति तथा सोच की वजह से मंत्रालय के लिये हर व्यक्ति और उसके मन-मस्तिष्क तक पहुंचना अपने आप में चुनौती के समान है और फिर घुमक्कड़ और बेसहारा बच्चे जो स्वयं में ही एक चुनौती हैं तो उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में बहुत बाधायें सामने आ रही हैं।

भारत में परिवार व्यवस्था परम्परागत रूप से, अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था रही है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी, जिसमें जरूरतमंद सदस्यों की जिम्मेदारी लेते परिवार के सभी सदस्य एकसाथ रहकर जीवन व्यतीत किया करते थे। औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण शहरीकरण और शहरों में रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो गया है। अब सामाजिक सुरक्षा की यह महत्वपूर्ण संस्था भंग हो गयी है। इसलिये राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिये कदम उठाने पड़ते हैं।

सामाजिक सुरक्षा- जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य बच्चों वृद्धों और निशक्तजनों जैसे संवेदनशील लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना है। जिससे कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा को सामाजिक बीमा, राष्ट्रीय, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा कहा जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख किया गया है कि इस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 14 यह गारण्टी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जायेगा। नि:शक्तजनों एवं बेरोजगार (घुमक्कड़) वर्ग को राहत और सहायता प्रदान करने का निर्देश भी राज्य को दिया गया है। प्रत्येक राज्य की गरीब एवं अपना भरण-पोषण करने में अक्षम नि:शक्तजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना होती है। सरकार अपने राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक भरण पोषण भत्ता प्रदान करती है। राज्य सरकार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, नि:शक्तजनों के सशक्तीकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना आदि कई योजनायें प्रदान करती है। इसके बाद के0सीता प्रभु ने भी इसकी वकालत करते हुए कहा कि भारत के लिये सर्वाधिक प्रासंगिक है- ''सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, ताकि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा'' का अभिप्राय सर्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधाओं से है और 1978 के अल्मा अतर घोषणा पत्र में इसे काफी महत्व दिया गया था। इसके बाद देश की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जान फूंकने के लिये 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एम0) की शुरूआत की गयी थी। नीतिगत प्रयासों के बावजूद भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के लिये सपना ही साबित हुई और भारत स्वास्थ्य के मौलिक पैमाने पर बांग्लादेश जैसे निम्न आय वाले देश से भी निचले पायदान पर है। वर्तमान भारत में तमाम योजनाएं चलायी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अनेक योजनाएं चल रही हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले बेसहारा, घुमक्कड़ जीवन यापन कर रहे बच्चों के भोजन एवं स्वास्थ्य के लिये सरकार एवं बच्चें स्वयं कितने जागरूक हैं। डाटा के अनुसार कानपुर में 390 मलिन बस्तियों हैं (डूडा, कानपुर विकास प्राधिकरण) कानपुर की सभी मलिन बस्तियां छः विधान सभा क्षेत्र में बंटी हैं।

कानपुर की मलिन बस्तियाँ

क्र0सं0	**विधान सभा**	**मलिन बस्ती**
1.	कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र	69
2.	सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र	94
3.	छावनी विधान सभा क्षेत्र	44
4.	जनरल गंज	43
5.	गोविन्द नगर	114
	कुल	**390**

मैंने यहां सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र के मलिन बस्तियों एवं उनमें जीवन व्यतीत कर रहे घुमक्कड़ बच्चों का स्वास्थ्य एवं जीवन यापन के प्रति जागरूकता का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया है।

कानपुर सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले मलिन बस्तियों की संख्या 94 है। मैंने 94 बस्तियों में से 13 प्रतिशत मलिन बस्तियों को ही अध्ययन हेतु चुना है। जिसकी संख्या 12 आ रही है। इन बारह मलिन बस्तियों के नाम इस प्रकार हैं। तलवमण्डी मलिन बस्ती, दलेलपुरवा, नागेन्द्र का अहाता, राधेश्याम का अहाता, सरजू नरायण का अहाता, भगवानदास का अहाता, शराब मिल अहाता, मंगल प्रदार अहाता, कृष्ण प्यारी का अहाता, गुरूदीन का अहाता, लक्ष्मीपुरवा अहाता, शक्कर मिल खलवा अहाता।

इन 12 मलिन बस्तियों में 60 प्रतिशत लड़के एवं 40 प्रतिशत लड़कियां हैं जिनकी संख्या कुल 2900 है। इसमें 20 प्रतिशत लड़के घुमक्कड़ अर्थात् 580 तथा 7 प्रतिशत लड़कियां अर्थात् 203 लड़कियां घुमन्तु जीवन यापन कर रही हैं। ये घुमक्कड़ बच्चे वो हैं जो अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात् या फिर माता पिता या परिजनों द्वारा परित्याग कर दिये गये हैं और बेसहारा हो गये हैं। इसमें से कुछ इच्छा से घर त्याग दिये हैं। चूंकि सरकार की तरफ से तो इतनी योनजाएँ चलाई जा रही हैं तो फिर ये बच्चें बेसहारा एवं घुमक्कड़ जीवन क्यों यापन कर रहे हैं? भारत में जनता की सुरक्षा के लिये सरकार अनेक योजनाएँ चला रही है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं।

भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां (वी0एच0एस0एन0सी0) कमजोर शहरी समुदायों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0) के अधीन महिला आयोग (एम0ए0एस0) समितियों के मंचों का भी सहारा लिया गया। बच्चों में जीवन यापन एवं

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु ये समितियां 11 मासिक अभियान दिवस भी चला रही हैं।

1. स्वच्छता अभियान के लिये वार्षिक योजना दिवस।
2. ग्राम स्वास्थ एवं स्वच्छता दिवस
3. खुले में शौंच मुक्त ग्राम दिवस
4. हाथ धुलाई स्वच्छता अभियान दिवस
5. स्कूल और आँगनवाड़ी स्वच्छता दिवस
6. तरल और ठोस कचरा दिवस
7. स्वास्थ्य जागरूकता दिवस/स्वस्थ्य जीवनचर्या दिवस

इन तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद कानपुर सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली ये 12 मलिन बस्तियों में 20 प्रतिशत लड़के एवं 7 प्रतिशत लड़कियां घुमक्कड़ एवं अस्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह जो मैंने पाया यह कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निशक्त लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में अधिकांश विकासात्मक कार्यक्रम निशक्तजनों के आसपास की सामाजिक या शारीरिक बाधाओं के कारण उनकी पहुंच से बाहर है। देश में निशक्तता के विभिन्न सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन इन कार्यक्रमों की कवरेज समावेशी नहीं है और इन योनजाओं में निशक्तजनों की समस्याओं का समावेशी समाधान नहीं है। सूचना के अभाव के कारण निशक्तजन उपलब्ध फायदों और स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। दसवीं पंचवर्षीय योजना में निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिये विभिन्न योजनाओं में निधियों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्बन्धित मंत्रालयों ने इसके पक्ष में समर्थन भी किया है, लेकिन मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस सुझाव के कार्यान्वयन के लिये कुछ भी नहीं किया जो कि इस सम्बन्धित मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में स्वयं ही बुरी टिप्पणी है। दूसरा एक बड़ा कारण जो भारतीय समाज के कुछ भागों में विकास नहीं होने दे रहा वह है यहां की हर समाज एवं संस्कृति के साथ अनेक मिथक और किवंदतियां जुडी रहती हैं जैसे भारत में स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों में बहुत सी अवधारणाएँ बनी हुई हैं- शौचालय केवल महिलाओं और बच्चों के काम के होते हैं, घर के अन्दर शौचालय बनाने से घर अपवित्र हो जाता है। शौचालय की सफाई करना अपना काम नहीं है।

भारत में नीति सम्बन्धी किसी उपाय को सही अर्थों में लागू करना सचमुच एक चुनौती है। देश की विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण संस्कृति तथा सोच की वजह से मंत्रालय के लिये हर व्यक्ति और उसके मन-मस्तिष्क तक पहुंचना अपने आप में चुनौती के समान है और फिर घुमक्कड़ और बेसहारा बच्चे जो स्वयं में ही एक चुनौती हैं तो उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में बहुत बाधायें सामने आ रही हैं। जहां तक इन घुमक्कड़ बच्चों का नजरिया जो मैंने देखा और पाया कि ये बच्चे जीवन के प्रति निरूत्साहित दिखे, मैंने लाख प्रयत्न किया कि ये बच्चे अपनी बस्ती के सरकारी स्कूल में जायें, तथा नि:शुल्क शिक्षा एवं भोजन प्राप्त करें, पर चूंकि आम बच्चों की तरह इनका साक्षात्कार, शिक्षा के महत्व एवं अर्थ से हुआ ही नहीं था तो इनकी अभिरूचि शिक्षा के प्रति नहीं दिखायी दी। कुल मिलाकर इनका जीवन जैसा था वैसा ही बना रहने देना चाहते

थे। जरूरत कुछ ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को आगे आने की है जो जबरन इन्हें पढ़ने हेतु स्कूल भेजे, शायद कुछ कक्षा पढ़ लेने के बाद, इन्हें शिक्षा का जीवन में महत्व समक्ष में आ जाये।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. मूर्ति जे0पी0 और डॉ0 मस्तुरी बेगम (2011) 'भारत में निशक्तजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा', इण्डियन जर्नल आॅफ काॅमर्स एण्ड मैनेजमेन्ट स्टडीज, संस्करण द्वितीय अंक 1 जनवरी 2011.
2. डॉ0 वाई पी आनन्द, क्लीनलीनेज सेनीटेशन गांधियन, मूवमेन्ट एवं स्वच्छ भारत अभियान, बाम्बे सर्वोदय मंडल और गांधी रिसर्च फाउडेशन।

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

भारत में सहकारी संघवाद एवं गठबंधन की राजनीति

• संध्या कुमारी

सारांश– *जहाँ कहीं शासन में साझेदार राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं, वही विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम शासन का पतन होता है। भारत में गठबंधन का प्रयोग भविष्य में सर्वानुमति की सरकार का वायस बन सकता है और सहकारी संघवाद को गतिशील तथा अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बनाने में सार्थक सिद्ध हो सकता है। गठबंधन की राजनीति से यदि जनकल्याण की भावना क्रिया रूप में परिवर्तित होती है तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है, तो निश्चय ही यह प्रयोग सराहनीय है।*

मुख्य शब्द– सहकारी संघवाद, गठबन्धन, निर्भरता, सहयोग, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, अनुदान।

लोकहित के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा कल्याणकारी कार्य किया जाना निरन्तर अभीष्ट है। केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति सम्बन्धों के आधार पर संघवाद की गतिशीलता निर्धारित होती है। इस कड़ी में सामयिक समस्याओं के समाधान एवं जनहित सम्बन्धी व्यापक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सहकारी संघवाद की अतिशय उपादेयता है। सरकारी संघवाद एक सकारात्मक एवं विकासात्मक अवधारणा है, जो किसी निश्चित तिथि या समय की उपज नहीं है, अपितु क्रमिक विकास का प्रतिफल है। सामान्यत: यह माना जाता है कि सहकारी संघवाद की अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कुछ देशों में लोकप्रिय हुई और इसे कार्यान्वित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। फाइनर के अनुसार संघवाद एक अत्याधुनिक अवधारणा है और व्यावहारिक दृष्टि से इसके सिद्धांत और व्यवहार अमेरिकी संघवाद से पुराने नहीं है। अमेरिकी संघ व्यवस्था के संदर्भ में मार्टन ग्रासिन्स ने स्पष्ट रूप में संकेत दिया है कि अमेरिकी संघ व्यवस्था के अन्तर्गत कभी भी पृथक शासकीय गतिविधियों की व्यवस्था नहीं रही है। हमारे इतिहास के सभी काल में राष्ट्रीय एवं राज्यों की सरकारों ने कार्यों में सक्रिय एवं दायित्वों के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ हिस्सा बँटाया है। जिस प्रकार किसी शासन व्यवस्था के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण करना सम्भव नहीं है, न वांछनीय है, उसी प्रकार संघ एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का पूर्ण विभाजन और उनका स्वतंत्र एवं निरपेक्ष अस्तित्व न तो सम्भव है, न ही वांछनीय है। इसके बावजूद भी पहले प्राय: सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघ और इकाइयों के पारस्परिक प्रबन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया जाता था, किन्तु सहकारी संघवाद की अवधारणा के विकास के बाद संघवाद के क्षेत्र में एक सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण का उदय हुआ।

• **शोध–छात्रा, राजनीति विज्ञान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा**

सहकारी संघवाद को परिभाषित करते हुए बर्च ने लिखा है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग, क्षेत्रीय सरकारों की राष्ट्रीय सरकार पर एक सीमा तक वित्तीय निर्भरता सहकारी संघवाद के मूल तत्व हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सशर्त अनुदानों के माध्यम से उन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को सम्पन्न कराया जाता है, जिसका दायित्व क्षेत्रीय सरकार पर है।

आज विश्व के सभी संघीय देशों में संघ एवं इकाइयों की पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग के सिद्धांत को महत्व दिया जा रहा है। प्रत्येक देश में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक मुद्दे एवं विषय हैं, जिनमें कार्यशैली की एकता अपरिहार्य है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश के नीति संचालन में एकता एवं एकरूपता आवश्यक है, विकासोन्मुख देशों में संघ-इकाई सहयोग और समन्वय और भी आवश्यक है। किसी भी इकाई सरकार में यह क्षमता नहीं होती है कि वह स्वयं अपने साधनों के बलबूते विकास कार्यक्रमों को लागू कर सके या प्राकृतिक आपदाओं एवं राष्ट्रीय संकट का मुकाबला कर सके। कोई भी राष्ट्र तब तक सम्पन्न एवं विकसित नहीं हो सकता, जब तक उसका प्रत्येक क्षेत्र सम्पन्न एवं विकसित न हो जाये। किसी भी देश के अन्दर किसी क्षेत्र का विकास न केवल क्षेत्रीय सरकार की जिम्मेदारी है अपितु राष्ट्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है। शासन के सभी क्षेत्र और मुद्दे ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्हें पूर्णतया पृथक करना संभव नहीं है। यदि राज्य एक सजीव शरीर है तो उसकी इकाइयाँ उसके अभिन्न अंग है। किसी एक अंग की हुई क्षति का प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार किसी एक क्षेत्र की कमजोरी सम्पूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय विकास के लिए समस्त क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास आवश्यक है। इस प्रकार सहकारी संघवाद की अवधारणा के प्रादुर्भाव के पश्चात् संघवाद के क्षेत्र में एक रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का उदय हुआ।

सर्वप्रथम अमेरिका में ही सहकारी संघवाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही अमेरिका में संघ एवं राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग की नींव डाली गयी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में अधिकाधिक विस्तार हुआ। आज संघ सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन, व्यावसायिक संघों तथा निजी उद्योगों के साथ ही सहभागिता कर रही है। विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं में भी संघवाद के बदलते हुए स्वरूप को स्वीकार किया गया है।

सहकारी संघवाद केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय के सिद्धांत की नींव पर आधारित है, किंतु व्यावहारिक धरातल पर केन्द्र और राज्यों की भूमिका में केन्द्र की भूमिका वरिष्ठ सहयोगी या सहभागी की होती है। राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता अनिवार्य होती है। किन्तु मात्र अनुदान की राशि प्रदान कर केन्द्र अपने उतरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यह देखना भी केन्द्र का महत्वपूर्ण दायित्व है कि केन्द्र द्वारा संचालित सभी योजनाएँ एवं कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते है या नहीं तथा उनका लाभ सम्बन्धित क्षेत्र की समस्त जनता को मिलता है या नहीं। साथ ही केन्द्र के लिये यह देखना भी आवश्यक है कि केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनुदान की

राशि का अपव्यय तो नहीं हो रहा तथा उसका प्रयोग निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए तो नहीं किया जा रहा है।

सहकारी संघवाद में केन्द्र की भूमिका मॉनीटरिंग अभिकरण की होती है। केन्द्र सरकार की प्रधानता कार्यों एवं स्थितियों की बाध्यता है। ग्रेनविल ऑस्टीन के अनुसार सहकारी संघवाद एक शक्तिशाली केन्द्र को जन्म देता है। किन्तु इसका यह परिणाम नहीं होना चाहिए कि प्रान्तों की सरकारें कमजोर हों तथा केन्द्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने वाले प्रशासकीय अधिकरण के रूप में कार्य करें। इस प्रकार सहकारी संघवाद वह योजना है, जिसमें संघ और इकाइयों की समान सहभागिता होती है, यद्यपि केन्द्र की भूमिका वरिष्ठ सहभागी एवं संरक्षक की होती है।

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना मुख्यत: सामाजिक एवं भौगोलिक विभिन्नताओं का अस्तित्व बनाये रखने एवं स्थानीय राजनीति की स्वायतता से वैचारिक एकमत का आधार प्रदान करने के लिए की गयी थी। संविधान निर्माता यह अपेक्षा रखते थे कि संघ के प्रत्येक राज्य सामान्यत: केन्द्र में अपनी सामाजिक विभिन्नताओं के कारणों से संघ से टकराव नहीं लेंगे तथा संघ भी राज्यों के हितों का ध्यान अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के समय रखेगा। इन सब से अधिक संघ एवं राज्य मूलभूत सिद्धांतों, नियमों एवं प्रक्रियाओं पर वैचारिक दृष्टिकोण से एकमत रहेंगे। परंतु इन समस्त अपेक्षाओं में संविधान निर्माता दो तत्वों की भूमिकाओं का ध्यान नहीं रख सके - प्रथम संघ एवं राज्यों के मध्य राजनैतिक दलीय एवं वैचारिक मतभेदों पर टकराव एवं द्वितीय, संघ के द्वारा राज्यों के साथ राजनीतिक चाल खेल जाना। भारत के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएँ पूर्ण हो सकती थीं, किंतु उक्त दो तत्वों ने उनकी अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया। इन दो तत्वों के मिलन से संघ एवं राज्य के मध्य सम्बन्ध संदेह, शक्ति एवं सौदेबाजी पर आधारित हो गए हैं। इसमें एक दलीय या बहुदलीय सरकार का राज्यों में होना गौण हो गया है। इसके प्रमुख कारण हैं- राजनीति के अतिरिक्त विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए जन आन्दोलन का राज्य सरकारों पर दबाव, आर्थिक विकास का राजनीतिक व्यवस्था पर निरन्तर परिवर्तन के लिए दबाव, प्रशासनिक ढाँचे एवं जनता के आर्थिक, सामाजिक ढाँचे के मध्य अन्तर का बढ़ना, राज्यों की जनता की उपर्युक्त माँगों के प्रति केन्द्र सरकार के द्वारा अनुपयुक्त राजनीतिक प्रबन्ध जो कि विकास मार्ग में अवरोध लाता है तथा संघीय व्यवस्था के लिए आधारभूत ढाँचे की स्थापना की प्रक्रिया का पूर्ण न होना।

भारत में सहकारी संघवाद अपनी विकास यात्रा में कई अवस्थाओं से होता हुआ बढ़ा है। संविधान लागू होने से लेकर 1966 तक इसका प्रथम चरण रहा, जिसे बहुधा सहकारी संघवाद का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस अवधि में कांग्रेस का एक छत्र राय रहा है तथा केन्द्र और राज्य परस्पर सहमति एवं सहयोग के सिद्धांत पर काम करते रहे। जब कभी भी संघर्ष एवं तनाव की स्थिति आई, तो पार्टी स्तर पर उसे सुलझा लिया गया। दलीय अनुशासन एवं संवैधानिक तथा संसदीय मूल्यों में नेताओं की गहरी आस्था के कारण संघर्ष एवं तनाव के बहुत कम अवसर रहे। उस समय राज्यों में वहीं मुख्यमंत्री हुआ, जो राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा तथा विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करता रहा। उस समय के मुख्यमंत्री की अपनी व्यापक पहचान होती थी। मुख्यमंत्रियों को केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा यथोचित सम्मान दिया जाता था तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में

उनसे परामर्श भी लिया जाता था। केन्द्र और राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। दोनों के सामने लम्बी चुनौतियाँ थीं, जिसका समाधान मिलजुल कर किया जाता था। केन्द्र और राज्य दोनों के लिए देश का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया में संसदीय नेतृत्व की अपेक्षा राज्यों के नेतृत्व ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया।

सहकारी संघवाद के विकास का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ, जब पहली बार चौथे आम निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार समाप्त हो गया और कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार बन गयी। इस अवधि में केन्द्र द्वारा गैर-कांग्रेसी सरकार गिराने की पहल की जाने लगी तथा दूसरी तरफ गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के असहयोग पूर्ण आचरण की सार्वजनिक रूप से निन्दा की जाने लगी। इस काल में कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण इन्दिरा गाँधी को अपनी सरकार बचाये रखने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तथा साम्यवादी दल के समर्थन की आवश्यकता पड़ी। परिणामतः कुछ राज्यों ने मौके का लाभ उठाकर सौदेबाजी के आधार पर सहयोग करने का फार्मूला अपना लिया। यह स्थिति 1967 से 1971 तक रही।

सहकारी संघवाद के विकास का तीसरा चरण तब प्रारंभ हुआ, जब 1971 के लोकसभा के निर्वाचन एवं 1972 के विधानसभाओं के निर्वाचन में इन्दिरा कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तथा पार्टी से महत्वपूर्ण इन्दिरा गाँधी हो गयी। कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों में उन्होंने मनोनीत मुख्यमंत्रियों की परम्परा प्रारंभ कर दी, जिसके चलते मुख्यमंत्री केन्द्र का आदेश पालन करने के लिए विवश होते थे। इस अवधि में केन्द्र राज्य सम्बन्धों में टकराव की राजनीति नगण्य हो गयी और एक प्रकार का सहयोग स्थापित हुआ, जिसे स्वामी-सेवक सम्बन्ध कहा जा सकता है। आलोचनात्मक दृष्टि से कभी इस अवधि के संघवाद को 'एकात्मकमता प्रवृत्त संघवाद' कहा गया तथा कभी इसे अधोमुखी संघवाद कहा गया। 1976 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इन्दिरा जी ने कहा था कि अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्य क्षेत्रीयता की भावनाओं को बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ावा दे रहे है। यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। प्रथम चरण में केन्द्र और राज्य के बीच का सहयोग समानता और पारस्परिक सद्भाव पर आधारित था, जबकि इस अवधि का आरोपित (थोपा गया) सहयोग था, किन्तु सहकारी संघवाद था। यह स्थिति इन्दिरा युग से लेकर राजीव युग तक बनी रही। यद्यपि राजीव गाँधी ने केन्द्रीय नेतृत्व संभालने के बाद केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सहकारी संघवाद के सिद्धान्तों को कार्यरूप देने का संकेत दिया। पंजाब में लोंगोवाल समझौता, असम समझौता, लालडेंगा के साथ समझौता तथा तमिलनाडु एवं जम्मू-कश्मीर में क्रमशः अन्ना डी.एम. के. एवं नेशनल कॉन्फ्रेस के साथ तालमेल बैठाकर यह संकेत दिया कि वे राज्यों से टकराव की नीति की जगह केन्द्र राज्य सहयोग एवं सहमति के सिद्धांत को मान्यता देना चाहते हैं। किन्तु राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र के प्रति सम्मिलित रूप से विरोध का भाव रखने लगी तथा केन्द्र का भी सहयोग एवं सहानुभूति का रवैया क्रमशः समाप्त होने लगा। अन्ततः राजीव गाँधी को कहना पड़ा कि यदि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्र विरोधी काम करती पायी जायेगी, तो उसे अवश्य ही बर्खास्त किया जायेगा, चाहे उसका बहुमत कितना भी बड़ा क्यों न हो। 1987 में राज्यों के राज्यपालों

को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति वेंकटरमन ने कहा था कि कुछ राज्य अपने लोगों के हितों के लिए विशेषकर भाषायी मामलों में इस प्रकार के कदम उठाते हैं, जिससे पड़ोसी राज्यों में तनाव एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सहयोग से 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के साथ सहकारी संघवाद के विकास का चौथा चरण प्रारंभ हुआ। इस समय से लेकर अब तक सहकारी संघवाद अपने नये रूप में क्रमशः विकसित एवं सुदृढ़ होता गया।

राज्यों के प्रति केन्द्र के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने से विदित होता है कि संवैधानिक संरचना के अन्तर्गत केन्द्र के सहकारी संघवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के कुछ प्रावधान हैं- जैसे राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान तथा राजस्व का बँटवारा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है (अनु0-155), किंतु व्यवहार में नेहरू के समय में कुछ परम्पराएँ विकसित हुई जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से करने लगा। इस परम्परा का एकमात्र प्रयोजन सही रहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल बना रहे तथा अनावश्यक केन्द्र और राज्य के बीच संघर्ष एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न न हों। 1950 से 1967 तक इस परम्परा के चलते तथा एक ही राजनीतिक दल के सरकार में होने के चलते केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक सम्बन्ध बना रहा। किन्तु चौथे निर्वाचन के बाद यह सहयोगात्मक सम्बन्ध बाधित होने लगा। बिहार में नित्यानन्द कानूनंगो तथा पश्चिम बंगाल में धर्मवीर की नियुक्ति के क्रम में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श नहीं लिया गया, जिसकी इन मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से निन्दा की। आगे चलकर इस परम्परा का उल्लंघन इन्दिरा जी, जनता पार्टी की सरकार और राजीव जी के कार्यकाल में भी होता रहा, जो सहकारी संघवाद के मानदण्डों के विपरीत रहा।

संविधान में केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्यपालों या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर यदि संतुष्ट हो जाये कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो वह वहाँ की लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिकार का खुला दुरूपयोग कर सहकारी संघवाद की मूल भावना को नकारने की पहल इन्दिरा गाँधी, मोरार जी देसाई और राजीव गाँधी के कार्यकाल में की गयी। अनेक विधिवेत्ताओं एवं राजनीतिक समीक्षकों ने इसे संघवाद के प्रतिकूल और अलोकतांत्रिक माना है। पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल डी.सी. पावटे के अनुसार व्यवहार में राष्ट्रपति शासन का अर्थ 1920 के पूर्व की नौकरशाही का शासन है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य को दी जानेवाली राशि वित्त आयोग के अनुरोध पर आवंटित की जाती है। वित्त आयोग ने यद्यपि आयकर तथा राज्य को दिये जाने वाले अन्य करों से आय में निरन्तर वृद्धि की अनुशंसा की है, किन्तु राज्यों की आवश्यकता और उनकी वित्तीय क्षमता के सिद्धांत की अपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में वित्तीय आयोगों ने आवश्यकता को मापने में एक समान मापदण्ड अपनाने तथा इस प्रकार

की विधि खोजने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। कुछ राज्यों की यह शिकायत रहती है कि केन्द्र सरकार राज्यों की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के प्रति उदासीन रहती है और उसे कमजोर बनाने का प्रयास करती रहती है। राज्यों की यह भी शिकायत है कि केन्द्र का सत्तारूढ़ दल उन राज्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाता है, जहाँ उसके दल की सरकार है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद केन्द्र के विरोधी दल की राज्य सरकारों से यह शिकायत आती रही है। नवें वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में केन्द्र द्वारा परिवर्तन लाने के निर्देश की गैर-कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक निन्दा की है। नवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये साधनों के हस्तान्तरण में संयम बरतने के लिए केन्द्र द्वारा दिये गये संकेतों को राज्य की सरकारें केन्द्र का कुचक्र मानती हैं। बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव को राज्यों के कर लगाने के अधिकार का अतिक्रमण माना जा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक केन्द्र, राज्य सम्बन्धों के प्रति राज्यों के दृष्टिकोण के विश्लेषण से विदित होता है कि सरकार सहयोग से अधिक सौदेबाजी के सिद्धांत को मान्यता देती रही है। वर्तमान संदर्भों में राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका ने सहकारी संघवाद के नये युग का सूत्रपात किया है। वस्तुत: गठबंधन सरकार ने सहकारी संघवाद को नूतन आयाम प्रदान किया है।

विद्यमान राजनीतिक परिवेश विभिन्न राजनीतिक दलों के समेकित बहुमत से नियंत्रित एवं निर्देशित है। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति का माध्यम चुनाव होता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल सरकार का निर्माण करता हैं। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो सरकार बनाने का संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन सरकार गठन की आवश्यकता एवं विवशता उत्पन्न होती है और मिले-जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। छोटे-छोटे समूह अथवा समान विचारधारा के दल जब एक मंच पर अपने व्यापक मतभेदों को भुलाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए एक साथ जुड़ते हैं और इस प्रकार बहुमत का सृजन करते हैं, तो इसे ही गठबंधन कहा जाता है। ऐसी सरकार संयुक्त सरकार, गठबंधन सकरार, साझा सरकार, संविद सरकार जैसे नामो से जानी जाती है। अगर गठबंधन में एक ऐसा प्रमुख दल सम्मिलित है, जिसके पास गठबंधन की आधे से अधिक सीटें हों, तो ऐसा गठबंधन स्थायी सिद्ध होता है।

किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में जब जनता को ऐसा लगता है कि बहुमत आधारित शासन प्रणाली उनके लिए उपयुक्त नहीं है या एक ही राजनीतिक दल उनके हित के लिए के लिए कार्य नहीं कर रहा है तथा उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तब वह विकल्प तलाशने लगती है। ऐसी स्थिति में जनता का किसी दल विशेष में विश्वास नहीं रह जाता है और इसी कारण राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

बहुदलीय प्रणाली में ही प्रमुख रूप से गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। गठबंधन शब्द लैटिन भाषा के कोएलिशियों से लिया गया है, जो कोएलिशियन का शाब्दिक सार है, जिसका अर्थ एक साथ मिलकर विकास करना होता है। गठबंधन शब्द कोएलिशियन का ही पर्याय है, जिसका आशय है- एक ऐसा संगठन, जो किसी विशेष

उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न पक्षों द्वारा बनाया गया। इसमें सभी पक्षों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपने संसाधनों को केन्द्रीकृत करना होता है। जब लोकप्रिय सदन के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तब राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के बीच गठबंधन को जन्म देने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विलियम गैमसन की मान्यता है कि ''गठबंधन का अर्थ संसाधनों के मिल-जुलकर प्रयोग करने से है, जो निर्णय के प्रतिफल को निश्चित करता है तथा जहाँ पर संसाधन महत्वपूर्ण और संवेदनशील गुण वाला है, उन निर्णय के प्रतिफल पर नियंत्रण दो या दो से अधिक दलों का होता है।'' गठबंधन में सम्मिलित घटक दलों के उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं। तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति के लिए घटक दल गठबंधन का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके बीच न तो मित्रता और न ही शत्रुता अधिक समय तक रहती है।

गठबंधन में सम्मिलित घटक दल विषम परिस्थितियों में एकमत हो जाते हैं। इसके प्रमुख नेतागण आम सहमति से एक संयुक्त कार्ययोजना पर कार्य करते हैं तथा अच्छे परिणाम निर्धारित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि दूसरे घटक भी इसी प्रकार जागरूक होंगे। इस स्थिति में किसी एक घटक को परिस्थितियों के बारे में अच्छा या बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सभी घटक गठबंधन के क्रियाकलापों के प्रति सजग होते हैं। कोई व्यक्ति तब गठबंधन नहीं बना सकता जब वह अपनी शक्ति को दूसरे घटकों की बिना जानकारी के वास्तविक से घटा-बढ़ा कर प्रयोग करता है। गठबंधन बनाने वाले सहयोगियों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वे अकेले कार्य करने की बजाय साथ-साथ कार्य करके सरकार को अधिक सशक्त और स्थिर कर सकते हैं।

जन-चेतना एवं जन सक्रियता से ही सामाजिक परिवर्तन संचालित होता है। इसकी गठबंधन प्रक्रिया की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका होती है। जब समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, तो वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन जाता है। किसी देश की राजनीति उस देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज वर्तमान में न केवल जाति, धर्म तथा अमीर-गरीब के आधार पर बँटा हुआ है, अपितु वर्ग, जीवनशैली और व्यवसाय के आधार पर भी विभक्त है। इस प्रकार का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विभाजन निर्वाचन को अत्यधिक प्रभावित करता है। परिणामत: किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त करना कठिन होने लगा है। मतदाता राष्ट्रीय पार्टी की तुलना में क्षेत्रीय दलों में अधिक विश्वास करने लगे हैं। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर ये दल प्रभावी है और मतदाताओं के हितों के अनुकूल सिद्ध हो रहे हैं। इस स्थिति में राष्ट्रीय दलों में मतदाताओं की आस्था का क्षरण होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल को बहुमत मिलने की सम्भावना नहीं रह जाती। विभिन्न दलों में मत बँट जाने के कारण गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता।

गठबंधन सरकारों के लक्षण– विभिन्न प्रकार के परिवेश में गठबंधन सरकारों के कार्यक्रम एवं कार्यकरण के आधार पर इस प्रकार की सरकारों के अनेक लक्षण परिलक्षित होते हैं :

1. कम से कम दो भागीदार गठबंधन सरकार में होते हैं, लेकिन इनकी संख्या इससे अधिक हो सकती है।
2. गठबंधन एक अस्थायी प्रबन्ध होता है। सामान्यतया गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है।
3. भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ स्वार्थ सिद्धि हेतु अपनाते हैं। जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती है, तभी तक ये गठबंधन में भागीदार बने रहते हैं।
4. गठबंधन सरकार का गठन उन देशों में होता है, जहाँ अनेक छोटे-छोटे दल हों और ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक दल न हो, जो सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके।
5. गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है, इसमें कठोर सिद्धान्तवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता। गठबंधन सरकार ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है, जिसे सत्ता में भागीदार दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं वरन समझौते की दृष्टि से अपनाते हैं। इस दृष्टि से गठबंधन सरकारें यथार्थवाद पर आधारित होती हैं।
6. गठबंधन सरकार की संकल्पना और प्रबन्ध में मूलभूत विकासशीलता होती है। यह विकासशीलता अनेक रूपों में हो सकती है। यह सरकार नवीन और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए किसी विशेष राजनीतिक तकनीक को अपना सकती है। इसके अतिरिक्त सम्मिलन की राजनीति में एक राजनीतिक दल, आज जिसका सबसे अधिक प्रबल रूप में विरोध कर रहा है, कल उसे अपना सहयोगी समझ सकता है। भारतीय राजनीति में ऐसा तब देखने को मिला, जब 1988-89 में जनता दल, कांग्रेस को अपना सबसे प्रमुख विरोधी और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीमा तक सहयोगी समझता था। लेकिन बाद में जनतादल भाजपा को अपना प्रमुख विरोधी और कांग्रेस को कुछ सीमा तक सहयोगी समझने लगा। कुछ अपवादों को छोड़कर वर्तमान में अवसरवाद की राजनीति में कोई दल किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तत्पर है।

गठबंधन सरकारों के विभिन्न प्रतिरूप- एक निश्चित प्रतिरूप में गठबंधन सरकारों का विशिष्टीकरण संभव नहीं दिखाता क्योंकि व्यवस्थागत संदर्भों में इनके विभिन्न प्रतिरूप दृष्टिगत होते हैं :

(1) **एक दलीय प्रधानता वाला गठबंधन**- ऐसा गठबंधन किसी एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व का होता है और एक या अधिक छोटे राजनीतिक दल उस प्रमुख दल के साथ जुड़ जाते हैं। छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन और कार्यकरण को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में किसी छोटे राजनीतिक दल के सरकार से अलग हो जाने पर भी सरकार बनी रहती है। गठबंधन सरकार का यह प्रतिरूप कुछ अर्थों में एक दलीय सरकार के समान आचरण करता है। विशेष रूप से यह स्थिति उस समय होती है, जब गठबंधन सरकार का नेतृत्व एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा हो। 1981-98 के वर्षों में ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम-बंगाल की गठबंधन सरकार इस प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जर्मन संघीय गणतंत्र में लम्बे समय तक इस प्रकार की सरकार का अस्तित्व रहा

है।

(2) **शक्तियों में लगभग समानता रखने वाले दो परस्पर विरोधी गठबंधन**– समसामयिक राजनीति को संचालित करने वाले दो परस्पर विरोधी गठबंधन सामान्यतया निर्वाचन पूर्व ही बन जाते हैं और राजनीति इन दोनों गठबंधनों में बँट जाती है। इस प्रकार का गठबंधन केरल की राजनीति में देखने को मिलता है। केरल की राजनीति में दो गठबंधन हैं - प्रथम, संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया जाता है और द्वितीय, संयुक्त मोर्चा गठबंधन, जिसका नेतृत्व सामान्यतया मार्क्सवरादी दल द्वारा किया जाता है। इन स्थिति में सामान्यतया जनता ही निर्णय दे देती है कि किस गठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी। कुछ अर्थों में दो गठबंधनों की ये स्थिति द्विदलीय व्यवस्था से समानता रखती है।

(3) **निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन**– अनेक राजनीतिक दलों के सम्मिलित होने से इस प्रकार का गठबंधन अस्तित्व में आता है। इसमें सम्मिलित दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति अपनाते हैं। इस प्रतिरूप में सामान्यतया गठबंधन सरकार के भागीदार दलों के बीच समान राजनीतिक विचारधारा का तत्व नहीं होता। 1967-72 के वर्षों में भारतीय संघ के कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोध' को आधार बनाकर गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। भारत में 1998 तक जब कभी केन्द्र में गठबंधन सरकार का गठन हुआ, तब उसका गठन निषेधात्मक आधार पर हुआ। 1996 में पूर्व कांग्रेस विरोध के आधार पर गठबंधन बने थे, जबकि 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विरोध के आधार पर गठबधन बना। निषेधात्मक आधार पर और सामान्यत: चुनाव के पश्चात गठित इन गठबंधनों में अवसरवादिता का तत्व बहुत प्रबल होता है।

गठबंधन के भीतर प्रत्यैक सहयोगी दल अपने दल के पक्ष में अधिक-से-अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। परिणामत: मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान आर-पार के रूख अपनाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में मध्यस्थ दल या समूह (जहाँ तीन दलों का गठबंधन विशेष रूप से हो) अथवा अति साधारण दल अंतिम निर्णय और कार्यों को इस ढंग से प्रभावित करने में सफल होता है, मानो विपरीत ध्रुवों के सहयोगियों के बीच पुल का कार्य कर रहा हो। सरकार गठबंधन में सहयोगी दलों के व्यवहार का यह दोहरापन गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषता है। किसी राजनीतिक दल के अधिक समय तक सत्ता में बने रहने पर उसके नेताओं में अधिनायकवाद एवं निरंकुशता की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे अल्पमत का आदर करना भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं की रूचि जनहित के बजाय निजी हितों में अधिक होती है। परिणामत: जनता में सरकार के प्रति अरूचि उत्पन्न हो जाती है और गठबंधन सरकार बनने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है।

गठबंधन की राजनीति का सम्बन्ध प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बढ़ती हुई जटिलताओं से है। गठबंधन सरकारों का निष्पादन बहुधा बहुत आशाजनक एवं संतोषप्रद नहीं रहा है। इन सरकारों के पतन का कारण स्वयं इनकी निर्माण प्रक्रिया में ही निहित होता है, क्योंकि गठबंधन सरकारों के निर्माण का कोई ठोस आधार नहीं होता है। परस्पर विरोधी

विचारधारा वाले राजनीतिक दलों का केवल एक ही प्रोग्राम इसके सृजन का आधार बन जाता है। इस प्रकार के प्रयोग में राजनीतिक अवसरवादिता के कारण बनायी गई सरकारों का आधार कुछ तो भावनात्मक होता है तथा कुछ स्वार्थ लोलुपता। उसमें व्यावहारिकता का अभाव होता है। गठबंधन सरकारों के कार्य संचालन के निम्नलिखित सामान्य परिणाम देखे जा सकते हैं :

1. अधिकांश मंत्रिमंडल का निर्माण किसी निश्चित सिद्धांत या कार्यक्रम के आधार पर नहीं हुआ था इसलिए वे शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो गये। आए दिन सरकारें बनती और टूटती रही और किसी भी राज्य में कोई एक भी मंत्रिमंडल अपनी पाँच वर्ष की अवधि पूरी न कर सका। देश के अधिकांश बड़े राज्यों में इस तरह के राजनीतिक अस्थायित्व का अनुभव पहली बार किया गया।

2. जहाँ कहीं भी गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, उनमें से अधिकांशतया सरकार का निर्माण करने के लिए दल-परिवर्तन के साधन को अपनाया गया। धन और मंत्रिमंडलीय पदों का प्रलोभन देकर विधायकों को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया। फलतः राजनीतिक सौदेबाजी की प्रक्रिया आरंभ हुई एवं राजनीतिक अनैतिकता को प्रोत्साहन मिला।

3. भारत में मिली-जुली सरकारों की अस्थिरता के कारण राज्यों की जनतंत्रीय व्यवस्था निरन्तर छिन्न-भिन्न रही। लगभग हर राज्य में विधान सभा का स्थगन और विघटन हुआ और राष्ट्रपति शासन बार-बार आरोपित किया गया।

4. सरकार की अस्थिरता के कारण नीति-निर्माण और नीति कार्यान्वयन दोनों ही प्रक्रियाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई। बार-बार सरकारों के बनने और टूटने के कारण नीतियों में निरन्तरता का बना रहना असम्भव हो जाता है। दूसरी ओर स्थायी लोक कर्मचारियों में नीतियों को कार्यान्वित करने के मामले में उदासीनता और शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। वे सोचते हैं कि जिस मंत्री ने आज एक नीति का निर्माण किया है, वह स्वयं कुछ दिनों बाद पद पर न रहेगा, जब दूसरा मंत्री आयेगा, तो वह अपने अनुसार नीतियों का निर्माण करेगा। इसलिए कर्मचारी अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी रूचि नहीं लेते। परिणाम यह होता है कि लगभग सभी राज्यों में मतदाताओं की आशाओं के विपरीत मिली-जुली सरकारों के शासन काल में सामान्य प्रशासन विशेषकर शांति और सुव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रहती है। इससे जन साधारण को गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दलों में बड़ी निराशा होती है।

5. मिश्रित मंत्रिमण्डल के काल में राज्य का आर्थिक विकास पुरी तरह प्रभावित हुआ। कारण था सरकार की अस्थिरता, फलस्वरूप नीतियों की अस्थिरता तथा उनके कार्यान्वयन में प्रशासकीय पदाधिकारियों की शिथिलता।

6. सरकार की अस्थिरता के कारण नौकरशाही को अत्यधिक सफलता मिली। मिली-जुली सरकारों के अधिकांश मंत्रियों को प्रशासन का कोई अनुभव भी नहीं था, ऐसी स्थिति में लोक कर्मचारियों का प्रभुत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ गया।

7. मंत्रिमंडलीय पद राजनीतिक सौदेबाजी का साधन बन गए। विभिन्न घटकों को संतुष्ट करने और दल-परिवर्तन को रोकने के लिए प्रत्येक मुख्यमंत्री ने प्रभावशाली विधायकों को मंत्रिमंडल के स्थान देने की नीति को अपनाया। इससे मंत्रिमण्डलों की

सदस्य संख्या में वृद्धि और परिणामस्वरूप सरकार के आर्थिक भार में अपार वृद्धि हुई।

8. सरकार के अस्थायित्व के कारण केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप राज्य के आन्तरिक मामलों में बढ़ गया। इससे एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ, जिससे स्वयं संघीय व्यवस्था खतरे में पड़ गई।

9. मंत्रिमंडल प्रभावहीन और मुख्यमंत्री का पद सामान्यतया अप्रभावी हो गया और उसका स्थान विभिन्न घटकों की प्रतिनिधि संस्था 'समन्वय समिति' ने ले लिया। कुछ राज्यों के लिए तो घटक-राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिल्ली से मुख्यमंत्री का चयन करके राज्य में तैनात कर दिया गया।

10. मिली-जुली सरकारों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है जो राजनीतिक दल इनमें सम्मिलित होते हैं, उनमें अधिकांश को पहली बार सत्ता में आने का अवसर मिला होता है। उन्हें यह बोध होता है कि यह सत्ता कुछ ही दिनों के लिए है, अतः अपने राजनीतिक पदों से जो भी लाभ सम्भव हो, उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए।

किसी सत्ताधारी दल द्वारा एक निश्चित अवधि में जनता से किये गये अपने वादों को पूरा न कर पाने अथवा जनविरोधी कार्य करने की स्थिति में जनता उसे अधिक समय तक सत्ता में टिके रहते नहीं देख सकती। इसलिए सत्ता से बाहर रहने वाले दलों पर भी जनता का आकर्षण बढ़ जाता है। जनता की इसी मनोवृति के कारण किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इस प्रकार सरकारों के गठन का दावा करने को वे पार्टियाँ प्रस्तुत हो जाती हैं, जिनको बहुमत तो नहीं मिलता लेकिन पार्टीवार सदस्य संख्या अधिकतम होती है। इस प्रकार गठबंधन सरकारों का गठन व पतन इन्हीं आधारों पर होता है। ऐसी सरकारों में क्षेत्रीय दलों के शामिल होने का आधार विचारधारात्मक न होकर सत्ता हासिल करने की जोड़-तोड़ होता है। वे हिसाब लगाते हैं कि समर्थन देकर उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार क्षेत्रीय दलों द्वारा राष्ट्रीय दलों पर हावी होने का पूरा प्रयास किया जाता है।

सरकार की अस्थिरता से विकास की गतिशीलता प्रभावित होती है। जहाँ कार्यपालिका का नेतृत्व कमजोर होता है, वहाँ मौलिक, सामाजिक व आर्थिक मामलों का सामना करने में वह विफल होता है। साथ ही वह किसी कार्यक्रम की रूपरेखा, चाहे वह अलोकप्रिय ही क्यों न हो, प्रस्तुत नहीं कर पाता। कार्यपालिका को सरकार की अवधि अल्प होने के कारण किसी महत्वपूर्ण मामले में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तो दूर, उस पर निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है तथा अपने ही भीतर टूटने का खतरा और विपक्ष द्वारा गिराये जाने के प्रयास के कारण ज्वलंत मामलों पर अपना निर्णय देने से वह बचती है। सत्ता में मात्र बने रहने के कारण उसे भयानक कीमत अदा करनी होती है। इस पर सरकार लम्बे समय तक नहीं चल पाती।

गठबंधन में परस्पर अविश्वास और एक-दूसरे के खिलाफ विरोध का भाव होने के कारण लगातार जोड़-तोड़ की स्थिति बनी रहती है और सरकार न्यूनतम कार्यक्रम की सहमति के बाद भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाती। कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में अंतर्द्वन्द्व पैदा हो जाते हैं, यद्यपि कार्यक्रम पर सभी एकमत होते हैं। भवानी सेन गुप्त के अनुसार - 'मिली-जुली सरकारों के गठन और जीवन तथा कार्यकरण के लिए जिस प्रतिभा और संस्कृति की आवश्यकता होती है, भारत की लोकतांत्रिक

राजनीति में अभी तक वस्तुतः उसका अभाव रहा है। अस्थायी मिली-जुली सरकारों या अल्पमत सरकारों के क्रम ने राज्य के संकट में योगदान किया है, क्योंकि राज्य सरकार के साथ गुंथा हुआ है।'' किसी गठबंधन सहकार के सहभागियों में समझौता करने के प्रयास में शुद्धता ही सबसे बड़ी बाधक होती है। जब कार्यक्रम ही अस्पष्ट और कमजोर होता है, तो उसका क्रियान्वयन भी मुश्किल मे संतोषप्रद होता है। इससे कार्य आधा-अधूरा ही होता है।

गठबंधन सरकार में मंत्रिमण्डल कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार में साझेदार विभिन्न दलों में से एक दल की असन्तुष्टि सरकार के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। गठबंधन सरकार ''मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर'' होती है। बाहर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी ही ठोस प्रतीत हो, उसके अन्दर मतभेदों के स्वर विद्यमान होते ही हैं। साझेदार दलों के बीच विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद ही दलों को अपना अलग-अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाये रखने की प्रेरणा देते है। जहाँ कहीं शासन में साझेदार राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं, वही विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम शासन का पतन होता है। भारत में गठबंधन का प्रयोग भविष्य में सर्वानुमति की सरकार का वायस बन सकता है और सहकारी संघवाद को गतिशील तथा अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बनाने में सार्थक सिद्ध हो सकता है। गठबंधन की राजनीति से यदि जनकल्याण की भावना क्रिया रूप में परिवर्तित होती है तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है, तो निश्चय ही यह प्रयोग सराहनीय है।

=================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. हरमन फाइनर, द थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस ऑफ माडर्न गवर्नमेंट, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृ. 166.
2. मार्टन ग्राजेन्स, द फेडरल सिस्टम इन गोल्स फार अमेरिकन्स, द रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेन्ट कमीशन ऑन नेशनल गोल्स, न्यू जर्सी, प्रैन्टिसटाल, न्यूर्याक, 1960, पृ. 268.
3. ए.एच. बिर्च, फेडरलिज्म फाइनन्स एण्ड सोशल लेजिस्लेशन इन कनाडा, आस्ट्रेलिया एण्ड अमेरिका, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1955, पृ. 305.
4. कार्ल बर्नस्टीन व मरफी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, आक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच. पब्लिशिंग हाउस, लन्दन, 1970, पृ. 73.
5. ग्रेनविल ऑस्टीन द इण्डियन कॉन्स्टीच्यूट : कार्नर स्टोन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, पृ. 0-187.
6. खान रसीउद्दीन फेडरल नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, द रिजनल डाइमेन्शन इन रामाश्रय राय, (साम्पा0) डेमोक्रेसी इन टू नेशन्स यू.एस.एफ. एण्ड इंडिया, नई दिल्ली, साउथ एशियन पब्लिशर्स, 1982, पृ. 293.
7. मायरन विनर, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, प्रिंस्टन, न्यू जर्सी, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968, पृ. 21.
8. द इंडियन नेशनल, पटेल, 21 मार्च 1976.
9. हिस्दुस्तान (दैनिक), पटना, 12 दिसम्बर 1987.
10. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली उ0, अक्टू0 1987.
11. पावटे, डी.सी. माई डेज एव गर्वनर, विकास पब्लिशर्स, दिल्ली, 1974.
12. हिन्दुस्तान (दैनिक) पटना, 2 जनवरी 1988 लोकतंत्र समीक्षा जन-दि0 1988 में उद्धृत, पृ. 23-24.

13. एफ.ए. आग : 'कोएलिशन', इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, वा-2, न्यूर्याक, द मैकमिलन कम्पनी, 1963, पृ. 600.
14. विलियम गैमसन : 'कोएलिशन फार्मेशन, इन्टरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, वा0-2, पृ. 530.
15. भवानी सेन गुप्त : इण्डियाज प्राब्लम्स ऑफ गवर्नेन्स, नई दिल्ली, कोणार्क, 1966, पृ. 10.
16. ए.पी.अवस्थी : इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एजूकेशन पब्लिशर्स, आगरा, 2001, पृ. 625.

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के सफलतम संचालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की भूमिका

* डी.एन. सूर्यवंशी
** नवीन सिंह राजपूत, ** भूपेन्द्र कुमार

सारांश– *राज्य में व्याप्त शोषण, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी समस्याओं को ग्राम सुराज अभियान के माध्यम से करीब से देखा और केन्द्र के दिशा निर्देश एवं सहयोग से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी लोकप्रिय योजना को प्रारंभ किया गया। शुरूआत में इस योजना के बारे में अनेक संशय की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि प्रति गरीब परिवार को एक रूपये किलो में 35 किलो चावल की आपूर्ति करना बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु राज्य सरकार द्वारा इस चुनौती को स्वीकार कर इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसके लिये अपने पड़ोसी प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी धान आयात की गई। परंतु इस योजना के संचालन में कोई रूकावट नहीं आने दिया गया।*

मुख्य शब्द– ग्राम सुराज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भ्रष्टाचार, हितग्राही

भूमिका– अविभाजित मध्यप्रदेश में छ.ग. अंचल की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं अविकसित, आदिवासी, पिछड़े, वनाच्छादित प्रदेश के रूप में जानी जाती थी। विकास के नाम पर यहाँ केवल खाना पूर्ति की जाती थी। स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही है। परिणाम स्वरूप छ.ग. अंचल प्राकृतिक संपदा का विपुल भंडार होने के बावजूद नौकरशाही और जन प्रतिनिधियों की दृष्टि में नजर अंदाज किया जाता रहा। जबकि पूरे मध्यप्रदेश के कुल राजस्व का 44 प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ अंचल से प्राप्त होता रहा है परंतु प्रदेश सरकार के सभी प्रमुखों ने इस प्रदेश के प्रति उदासीनता, भेदभाव बनाए रखा। इसलिए यहां आदिवासियों के शोषण की चरम सीमा से वनाच्छादित क्षेत्रों में नक्सलवाद जैसी समस्या ने जन्म लिया। वही ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार कृषि मजदूरों ने श्रम पलायन के रूप में प्रदेश से बाहर जाकर अपना जीवन यापन प्रारंभ किया।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों का सवाल है औद्योगिक नगरों को छोड़कर बाकी मध्यम श्रेणी और छोटे नगरों में भी रोजगार की समस्या बनी रही। इसी के प्रभाव से व्यथित होकर यहां के बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी, एवं कुछ जन प्रतिनिधियों

* प्राचार्य, एस.आर.सी.एस., कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग.
** शोधार्थी, शासकीय वि.. यादव तामस्कर स्व. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग.
*** शोधार्थी, एस.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग.

ने नये छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को बलवती किया।

छ.ग. के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने तीन वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में जोगी डबरी जैसी सिंचाई की योजनाओं को लागू करके किसानों को सशक्त करने का निर्णय लिया था, साथ ही शिक्षा के विकास हेतु कई विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। सन् 2003 में जब डॉ. रमन सिंह (भा0ज0पा0) राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए तब उन्होंने सर्वप्रथम राज्य के विकास के लिये नारा दिया 'विकास मूल मंत्र' 'आधार लोकतंत्र' उनके प्रयासों से राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ व कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उन्होंने लोक सुराज अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अनगिनत गांवों की चौपाल में बैठक लेकर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले कृषकों व श्रमिकों को अपने करीब देखकर उनके लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजना को प्रारंभ करने के बारे में प्रयास शुरू किये क्योंकि उन्होंने राज्य में व्याप्त शोषण, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी समस्याओं को ग्राम सुराज अभियान के माध्यम से करीब से देखा और केन्द्र के दिशा निर्देश एवं सहयोग से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी लोकप्रिय योजना को प्रारंभ किया। शुरूआत में इस योजना के बारे में अनेक संशय की स्थिति बनी हुई थी। क्योंकि प्रति गरीब परिवार को एक रूपये किलो में 35 किलो चावल की आपूर्ति करना बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु राज्य सरकार द्वारा इस चुनौती को स्वीकार कर इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसके लिये अपने पड़ोसी प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी धान आयात की गई। परंतु इस योजना के संचालन में कोई रूकावट नहीं आने दिया। परिणाम स्वरूप भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता ने लगातार तीन बार सत्तासीन किया।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कदम उठाए गए-

पीडीएस-आनलाईन व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 मे झारखण्ड में किया गया। छ.ग. में अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 12332 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है।

जनभागीदारी वेबसाईट

जनभागीदारी वेबसाईट (www.khadya.nic.in/citizen) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना नि:शुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिक को ई-मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इसमें पंजीयन के बाद नागरिको द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में उपयोग में लाए जा रहे वाहनों को पीले रंग से पेंट किया गया है, तथा जी0पी0एस0 सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि यह पहचान हो सके कि यदि योजना में प्रयोग किए जा रहे वाहन किसी अन्य दुकान अथवा मकान में पाया जाता है तब इसकी जाँच कर योजना में आ रही कालाबाजारी की शिकायत को दुरूस्त किया जाए।

उत्तरदाताओं के अभिमत का विश्लेषण–

प्र0 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु नये नियम का निर्माण करने की आवयकता है।

सारणी क्रमांक 1

क्रमांक	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	हाँ	210	70
2	नहीं	75	25
3	कह नहीं सकते	15	5
4	प्रश्न समझ में नही आया	–	–
योग		**300**	**100**

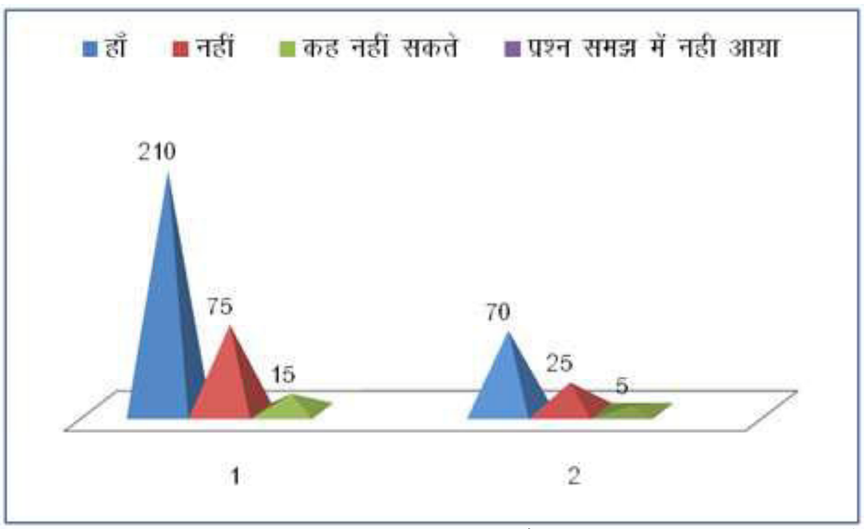

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन गत उत्तरदाताओं में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु नये नियम का निर्माण करने की आवश्यकता है जबकि 25 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु नये नियम का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है इसके साथ ही 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक रूप से नियम बनाना और पालन करना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में जनता व अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेंगे।

प्र0 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वजनिक विरतण प्रणाली से लाभान्वित परिवार का समय-समय पर शासन द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

सारणी क्रमांक 2

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	225	75
2	नहीं	60	20
3	कह नहीं सकते	15	5
4	प्रश्न समझ में नही आया		
	योग	**300**	**100**

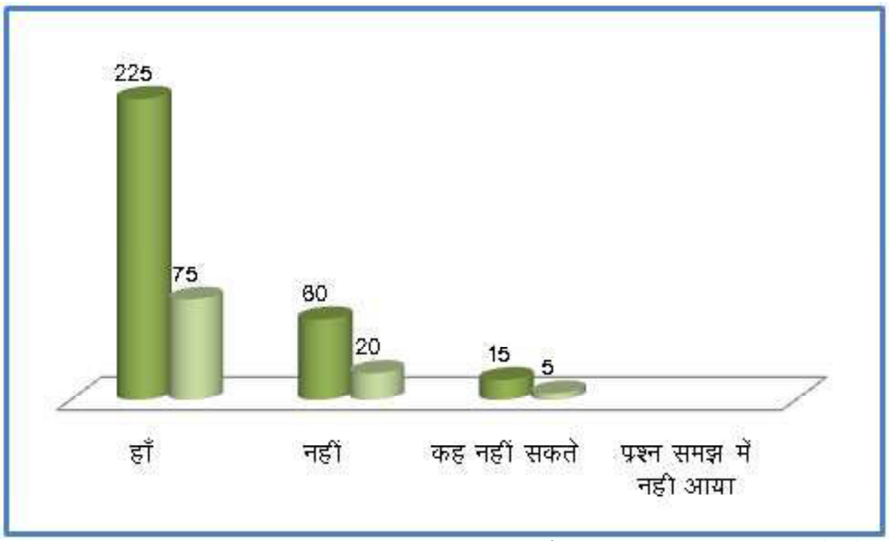

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित परिवार का समय-समय पर शासन द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित परिवार का समय-समय पर शासन द्वारा सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता नही हैं। वहीं 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया।

निष्कर्ष–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित क्रियान्वन के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नियमों का निर्धारण किया गया है जिसके द्वारा पात्र हितग्राहियों को ही उचित लाभ प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा खाद्य एवं पोशण सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों को बी.पी.एल. श्रेणी की दर पर 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता दी गई है।

शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जैसे- अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय करने संबंधी योजना, अमृत नमक वितरण योजना, अन्नपूर्णा दाल-भात योजना, चना वितरण योजना, कैरोसिन वितरण योजनाएं संचालित की जा रही है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Dr. J.C. Pant and J. P. Mishra, (2010) 'Lament for Economics', Sahitya Bhawan Pubilication, Agra, Page No 19-20
2. अग्रवाल ए. एन., (2004) 'भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं आयोजन', विश्व प्रकाशन, पेज नं. 35.
3. बागड़ा डालचंद (2001) 'भारतीय अर्थव्यवस्था', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पेज नं. 45
4. George C.,(2004) 'Enfrocing the Right of Food in India', Vishwa Prakashan, Page No 15
5. Crover P. PDS, (1998)) 'A Socio Economic Analysis', Classical Publishing Company, New Delhi, Page No. 25.

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

कृषि क्षेत्र : तनाव, समस्यायें एवं चुनौतियाँ

• वर्षा राहुल

सारांश– *भारत एक ऐसा विकासशील देश है जहां की 135 करोड़ जनसंख्या में से अधिकांश किसान अभी भी परम्परागत खेती कर रहे हैं। अधिकांश किसान आज के दौर में भी आधुनिक तकनीकों और कृषि उपकरणों की मौजूदगी के बावजूद परम्परागत खेती करके भी छोटे किसान उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे घाटे की खेती करते हुये ऐस दुष्चक्र में उलझे हैं कि ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाते हैं। खेती और कृषि से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था को समेकित रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिये कौशल विकास पर सरकार संजीदा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाये।*

मुख्य शब्द– कृषि, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण, बागवानी, जैविक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि जिसका राष्ट्रीय आय से (G.D.P.) में योगदान 50 प्रतिशत था आज घटकर मात्र 14 प्रतिशत रह गया। यद्यपि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान का दायरा बढ़ा है। प्रो0 सी0 क्लांग ने लिखा है कि कोई भी देश कितना ही उद्योग प्रधान क्यों न हो वह आर्थिक क्रियाओं के लिये कृषि या कृषि से सम्बद्ध क्रियाओं को अनदेखा नहीं कर सकता है क्योंकि उद्योग भी कृषि पर ही आधारित है। कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि पदार्थों के व्यापार से बहुत लोगों को रोजगार एवं करों के रूप में सरकार को आय प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार में भी कृषि पदार्थों (पटसन, चाय, मसाले) का योगदान नकारा नहीं जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा देते हुये स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गयी किन्तु 1991 के बाद नई औद्योगिक नीति एवं वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रियाओं का कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हाल ही में कृषि से जुड़ी कई समस्याओं ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया हैं जहां एक ओर सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है वहीं दूसरी ओर कृषि नीतियों में व्यापक कमियों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव की समस्या देखी जा रही है एवं कृषि मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिसमें ग्रामीण विकास एवं कृषि पर ध्यान देने की बात कही गयी वहीं संसाधनों को कहां, कैसे से उत्पन्न किया जायेगा पर विचार किया जाना आवश्यक है तभी कोई कारगर समाधान ढूंढ़ा जा सकेगा।

भारत एक विकासशील देश है जिसकी आत्मा कृषि पर बसती व निर्भर करती है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जनसंख्या का 68.70 प्रतिशत लोग कृषि

• **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग डी0वी0 कॉलेज, उरई**

क्षेत्र से जुड़े हुये हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कृषि से आशय ''भूमि को जोतने के विज्ञान एवं कला'' से है। कृषि एक लैटिन भाषा है जिसे हम सहज रूप में स्वीकृत करते हुये बोलचाल में प्रयोग करते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात जब हम आत्मनिर्भर हुये स्वयं देश का संचालन व क्रियान्वयन करने के लिये, किन्तु देश इतना शोषित हो चुका था कि आर्थिक स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिये व पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाते हुये अन्य देशों का अनुसरण करने को प्रेरित हुआ तथा अन्य देश व अपने मित्र देश रूस को आर्थिक नियमों को अपनाते हुये उद्योगों पर विशेष बल दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत देश धीरे-धीरे अपनी प्रधानता को खोने लगा जिससे हमारी जड़े हिलने लगी और अब वो समय आ गया कि जिस देश की जनता में देश की माटी व कृषि जहन में धंसती थी अब वो अपने अस्तित्व को वापस जाने के लिये पुनः जागृत हुआ है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दूसरे पहलू पर यदि नजर डाला जाये तो देश की जनसंख्या की अधिकता भी एक नकारात्मक प्रभाव डालती है।

कृषि एक ऐसा उद्योग है जिसमें हमेशा लागत से अधिक उत्पादन होता है। प्रकृति का अनमोल उपहार है कृषि। कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। पशुपालन, मत्स्य पालन, फल, सब्जी का उत्पादन जल और भूमि संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और करोड़ों लोगों के रोजगार का अभूतपूर्व साधन हैं इसके साथ ही पोषण की उचित व्यवस्था। लेकिन आज के समय में बीज-खाद माफिया के कारण देश का किसान परेशान है और आत्महत्या करने के लिये मजबूर है। बड़े किसान तो फिर भी अपना काम चला रहे हैं परन्तु छोटे और मझले किसान तो अपने जमीन से दूर हो चुके हैं और शहरों में मजदूरी करने के लिये मजबूर है।

प्रो0 सी0क्वांग ने लिखा है, ''कोई भी देश कितना ही उद्योग प्रधान क्यों न हो वह अपनी क्रियाओं को चालू व विकसित नहीं कर सकता, यदि वह साथ ही साथ अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कृषि एवं उद्योग में उचित सन्तुलन नहीं बनाये रखता है। किसी भी देश में कृषि उस देश की नींव होती है। कृषि के महत्व को भली-भांति समझने के लिये मुख्य रूप से इन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये जैसे- (1) राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। ये योगदान और भी अधिक हो सकता था यदि कृषि क्षेत्र को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता। (2) रोजगार का प्रमुख स्रोत भी प्रदान करता है कृषि, हमारे देश (भारत) में लगभग 68 प्रतिशत लोग इसी क्षेत्र से रोजगार प्राप्त किये हुये हैं। (3) आर्थिक विकास का आधार भी कृषि ही होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र से भारतीय सरकार को जी0डी0पी0 13.9 प्रतिशत प्राप्त होती है। (4) पूंजी निर्माण में भी सहायक है। (5) कृषि अनेक उद्योगों का आधार भी है जैसे सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, चाय, कॉफी, रबड़, वनस्पति, घी, तेल आदि। (6) देश के आन्तरिक व्यापार में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। (7) विदेशी व्यापार में महत्व है। (8) परिवहन व्यवस्था में महत्व हैं (9) जीविका-निर्वाह का मुख्य साधन है।

भारत की कृषि समस्याएं–

भारत सरकार के कई नीतियों व नियमों तथा पंचवर्षीय योजनाओं में सुधार के पश्चात भी कृषि क्षेत्र में वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाये हैं जिससे देश में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल में हम आत्मनिर्भर हो सकें। लगातार सरकारी प्रयासों के बाावजूद कृषि क्षेत्र में समस्यायें बनी हुई हैं जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **ग्रामीण शहरी विभाजन**– भारत के अधिकांश खेती ग्रामीण हिस्सों में की जाती है। ग्रामीण का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। किसानों का यह मानना है कि शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बेहतर है।
2. **कृषि में निवेश का अभाव**– कृषि क्षेत्र में निवेश में कमी हुई है। कृषि में निवेश उचित रिटर्न नहीं दे पा रहा है। अधिकांशतः किसान खासकर छोटे किसान स्वयं के उपभोग के लिये ही खेती को जारी किये हुये हैं तथा खेती में मजदूरों को लगाकार स्वयं किसी सरकारी नौकरी की आस में रहते हैं।
3. **प्रभावी नीतियों का अभाव**– भारत में कृषि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिये सुसंगत कृषि नीति नहीं है। कृषि में स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक स्पष्ट, व्यापक, कृषि नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
4. **प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव**– जब खेती की बात आती है तो इस क्षेत्र के लिये भारत ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित नहीं किया। सिंचाई से सम्बन्धित स्रोत को भी संरक्षित करने के प्रयास नहीं किये गये।
5. **विमुद्रीकरण का प्रभाव**– कृषि में तनाव की घटनाओं का मुख्य कारण विमुद्रीकरण है जिससे कृषि उत्पादकों में कमी आयी। कृषि क्षेत्र में नकद लेन-देन प्राथमिक तरीका है। बिक्री, परिवहन, विपणन और थोक केन्द्रों या मण्डियों के लिये तैयार माल का वितरण मुख्य रूप से नकद लेन देन पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखला में गिरावट बैंक खातों में जमा करने पैसे अवराधों की वजह से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ।
6. **कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप**– भारत के मूल्य नियंत्रण पर कई प्रतिबन्ध है। कृषि को इन प्रतिबन्धों से मुक्त कर वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।
7. **सिंचाई सुविधाएं**– भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 63 मिलियन हेक्टेयर हैं और देश में बोया हुआ कुल क्षेत्रफल का केवल 45 प्रतिशत ही है। इतने वर्षो में सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ। सिंचित क्षेत्र में बनी स्थिरता से इस क्षेत्र में किये गये निवेश एवं दक्षता पर सवाल लाजमी है। मध्यम और बड़े सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में छोटे सिंचाई परियोजनाओं के लिये सरकार एवं नीति निर्माताओं द्वारा ध्यान न देना।
8. **मानसून पर निर्भरता**– भारत में 65 प्रतिशत कृषि वारिश पर निर्भर हैं। मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता को नजरअन्दाज नहीं किया था। बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मानसून द्वारा निर्धारित होता है। खराब मानसून कृषकों की मेहनत, उपज का सत्यानाश कर भुखमरी की स्थिति में खड़ा कर देता

है।

9. **किसान संगठनों की अक्षमता**– किसान उत्पादक संगठनों को अपने हितों की मांग, उत्पादक वस्तु के विपणन की सही व्यवस्था एवं मूल्यों की बात संगठित ही सरकार को सोचने एवं इस दिश में क्रियान्वयन के लिये मजबूर करना चाहिये।
10. **कृषि मूल्य में उच्चावचन**– कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेजी से हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से अस्थिरता का माहौल होना, न्यूनतम समर्थक मूल्य स्थापित्य होना चाहिये जिससे कृषि क्षेत्र में उच्चावचन को कम किया जा सके।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी सरकारी प्रयास–

भारत में लोगों के मन में यह बात बसी हुई है कि कृषि कार्य घाटे का कार्य है या उस क्षेत्र में लाभ की अधिकता कम व जोखिम की सम्भावना ज्यादा है जिसका प्रभाव परिवार के जीवन स्तर पर पड़ता है। कृषक हीन भावना से ग्रसित वे अन्य कामों व कार्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। सरकार का दायित्व है कि लोगों व किसानों को प्रोत्साहित करें जिससे कृषि क्षेत्र में भी कुशल व प्रशिक्षित लोग आकर कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर सकें।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये उत्तम बीज की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरकों से जुड़ी सरकारी नीतियां, सिंचाई जल की उपलब्धता और प्रति बूंद पानी से अधिक उपज का लक्ष्य अर्थात् पानी की किफायती एवं अधिक कारगर उपयोग, विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर फोकस, विभिन्न मदों में किसानों एवं ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाने की पहल की जानी चाहिये। किसानों को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम लाभकारी उपज प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ा जाना चाहिये। 'मेरा गांव मेरा गौरव' जैसे प्रयास से किसानों को लाभान्वित कर देश प्रेम व्याप्त करना चाहिये। कृषि सिंचाई योजनाओं को मिशन मोड में ले लिया गया है। बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये नौ हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किये जाने से फसल की सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा जिससे फार्म लोन टारगेट नौ लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये करने एवं कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये करने की घोषणा से किसानों को सस्ता ऋण मिल सकेगा। लांग टर्म इरीगेशन फंड योजना उन राज्यों के लिये अच्छी साबित होगी, जहां पानी की किल्लत है। गरीबी से निजात दिलाने वाले प्रस्ताव से गांव भी खुशहाल होगें। फसलों को जोखिम से बचाने के साथ खेती की अन्य इनपुट लागत में कमी लाने के उपाय किये गये हैं। ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार और किसानों को समृद्ध करने वाली तकनीकें एवं उनके क्रियान्वयन के लिये किये गये प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले साबित होने चाहिये।

कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिये देश में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक तत्पर रहे हैं इसका पहली बार प्रावधान हुआ है। कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये 50 लाख रूपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया था। इसके साथ 543 कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय-स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। गांव के विकास के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये 33097 करोड़ रूपये (2018-2019) का प्रावधान किया गया है। इसमें जैविक

खेती को बढ़ावा देने के लिये 412 करोड़ रूपये का एक विशेष कोष भी शामिल है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये कृषि मीडियों या मुनाफाखोरों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया था। नि:संदेह उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से युवाओं में खेती के प्रति पुन: आकर्षण पैदा करना संभव होगा। बिगड़ी खेती को पटरी पर लाने में सरकार पिछले सालों में काफी हद तक सफल रही है।

पिछले तीन बजटों में खाद्यान्न उत्पादक बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के सार्थक उपाय किये गये हैं। इन प्रावधानों सें पटरी पे लौटी खेती को और रफ्तार मिलेगी। इसमें कृषि से जुड़े पांच मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है-

* उत्पादन बढ़ाने के लिये तमाम जरूरी प्रयास
* किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने की नीतियां
* पट्टे पर भूमि देने की नीतियों में सुधार
* प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत के लिये तंत्र का निर्माण
* पूर्वोत्तर राज्यों में हरितक्रान्ति के प्रयास के लिये पहल

किसानों, गरीबों एवं जरूरतमंदों के लाभार्थ क्षेत्र विशेष की कृषि समस्याओं के समाधान हेतु चलाई गयी विशिष्ट परियोजनाओं द्वारा समस्याग्रस्त अम्लीयश, लवणीय एवं क्षारीय भूमि का सुधार कर कृषि योग्य बनाने तथा मृदा स्वास्थ्य में आये विकारों को दूर कर फार्मजनित निवेशों (गोबर, कूड़े की खाद, कम्पोस्ट, पशुशाला की खाद, हरी खाद, फास्फो सल्फो नाइट्रो कम्पोस्ट, फसल, अवशेषों का संरक्षण एवं सदुपयोग आदि) का उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन, शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये सिंचाई साधनों का सृजन, चैकडैम, विशाल कुओं का निर्माण एवं जल समेट क्षेत्र पर आधरित परियोजनाएं छोटे एवं सीमांत कृषकों में आशा की नई ज्योति जगाने में कारगर साबित हुई है।

प्रक्षेत्र	बजटीय प्रावधान (करोड़ रु. में)		प्रतिशत में वृद्धि
	2009–14	2014–19	
फसल बीमा	6,182	33,162	436
माइक्रो इरिगेशन	3193	12711	298
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट	162	1,573	871
कृषि यांत्रिकरण	254	2408	846
कृषि विस्तार उपमिशन	3163	4046	28
कृषि विपणन	2666	6150	131
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	189	1322	700
डेयरी विकास	8114	10725	32
नीली क्रांति	1772	2913	64
कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार	12252	13748	12

आपरेशन ग्रीन–

पूरे देश में टमाटर, प्याज, आलू का उपभोग साल भर किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से अब तक विचौलियों के कारण कृषि जिंसों की खरीद हो जाने के बाद इनके मूल्य आसमान छूने लगते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि हर वर्ष किसी न किसी जिंस के लिये अवश्य ही देखने को मिलती है। परिणामस्वरूप किसान और उपभोक्ता दोनों को ही इसका खामियाजा झेलना पड़ता है। सरकार ने पहली बार वर्ष

2018-19 से 'आपरेशन ग्रीन' के नाम से एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है जिसेस किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेगें। इस कार्य के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो कि जरूरत से कम प्रतीत होता है। कुछ भी हो, किसानों एवं उपभोक्ताओं के प्रति ऐसा भाव हर दृष्टि से सर्वोत्तम है।

किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय-

आजीविका सुरक्षा के लिये बागवानी को बढ़ावा-

सरकार के अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प में बागवानी फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बागवानी फसलों की खोती से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। सब्जियां अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र से कम समय में अधिक पैदावार देती है। एक खेत से एक वर्ष में 3 से 5 सब्जियों की फसलें लेकर किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। कुछ सब्जियों से निर्मित कई मंहगे खाद पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, पेस्ट, पाउडर, मिठाईयां बनाकर आय बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित होकर वे सब्जियों का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, कौशल विकास के तहत बागवानी फसलों की नर्सरी व बीज बनाकर बेचने से भी किसान अपने परिवार के लिये कमाई का एक अच्छा व्यवसाय विकसित कर सकते हैं।

विदेशी सब्जियां-

सब्जियों में ब्रोकोली, ब्रुसेल्स, स्प्राउटस, चायनीज कैबेज, लीक पार्सले, सेलरी, लैटूस, चैरी, टमाटर, शैड कैबेज, एसपैरागस आदि प्रमुख हैं। ये सब्जियां विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। इस सब्जियों की मांग बड़े शहरों के पांच सितारा होटलों और पर्यटक स्थलों पर अधिक है। यदि किसानों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर दिया जाये तो निश्चित रूप से वे विदेशी सब्जियों की खेती से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं और यह उनकी आजीविका का एक नया साधन बनने में सहायक साबित होगा।

जैविक खेती-

आजकल सब्जियों की जैविक खेती का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैविक खेती में सब्जियों को जैविक खादों के सहारे व बिना कीटनाशियों दवाईयों के पैदा किया जाता है। इस प्रकार की सब्जियों के दाम निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके उगाई गई सब्जियों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। आज उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुये अच्छे गुणों वाली सुरक्षित सब्जियों को ऊंचे दाम पर खरीदना पसंद करता है। जैविक सब्जी उत्पादन का क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हैं इसके अलावा सब्जियों, फलों ओर फूलों से आर्गेनिक रंग भी बनाये जाते हैं जो न केवल शुद्ध सस्ते व खुशबूदार होते हैं बल्कि हमारी त्वचा के लिये भी सुरक्षित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिये नाबार्ड सहित कई सरकारी व गैर-सरकारी संस्थान कार्यरत है। वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही बागवानी फसलों की जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये हर वर्ष का अलग से प्रावधान किया

जा रहा है। जो किसान सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं यदि उन्हें कौशल विकास योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिये प्रशिक्षित कर दिया जाये तो निश्चित रूप से वे स्वयं और समाज को पौष्टिक कीटनाशिकों से मुक्त संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही ऐसी सब्जियों को बाजार में ऊंचे भाव पर बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। नि:संदेह इन सभी क्षेत्रों में कौशल विकास की अहम भूमिका हो सकती है।

फूलों से रोजगार–

किसान फूलों की खेती द्वारा अपनी आय कई गुना बढ़ा सकत हैं। गेंदा और गुलाब महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल हैं। आज देश के अनेक भागों में कट फ्लावर व लूज दोनों की काफी मांग है। इसी प्रकार रजनीगंधा व गलैडिओलस फूलों की खेती करके ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में फूलों की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण–

उल्लेखनीय है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिये बजट वर्ष 2017-18 के 715 करोड़ रूपये के मुकाबले वर्ष 2018-19 में दुगुना कर 1400 करोड़ रूपये कर दिया गया। टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादकों के लिये 'ऑपरेशन ग्रीन' शुरू किया जा रहा है जिसमें भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध होगी। यदि ये ऑपरेशन सही दिशा में दिल्ली से निकलकर गांव तक हकीकत में उतर जाता है तो इन फसलों के किसानों को निश्चित लाभ होगा। खरीद के मानकों पर सरकार ने नीति आयोग और राज्य सरकार को जिम्मा देने की बात की है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारें स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी दे रही है। प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय-स्तर पर बेचने के लिये केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार प्रणाली विकसित कर रही है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद जैसे 15 संस्थान फल व सब्जियों और दूसरे खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों में कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों में भी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके आधार पर सरकारी व निजी क्षेत्र में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में रोजगार का दायरा बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया में फल व सब्जियों का मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात आलू, टमाटर जैसी सब्जियां जो कि खुले बाजार में यदि 10-15 रूपये प्रति किलों की दर से बेची जाती है जिनको सामान्य तापक्रम पर अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के मूल्य में तीन से चार गुना तक की वृद्धि हो जाती है तथा इसे सामान्य तापक्रम पर लम्बी अवधि तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इससे किसानों को उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त होने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे युवकों को भी रोजगार मिलता है और उपभोक्ता को वर्ष भर

प्रसंस्कृत फल व सब्जियों को आपूर्ति समुचित मूल्य पर सुनिश्चित हो पाती है।

बीज उत्पादन–

सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में उन्नत संकर किस्मों व उत्तम गुणों के बीजों का बड़ा योगदान है। स्वयं परागण वाली सब्जियों जैसे मटर, सेम, बांकला, टमाटर, मिर्च, बैगन, लोबिया या ग्वार की उन्नत किस्मों के बीज थोड़ी-सी जानकारी के साथ किसान भाई स्वयं बना सकते हैं। परागण वाली सब्जियों जैसे लौकी, तोराई, करेला, खीरा, ककड़ी, खारबूजा, तरबूज, टिण्डा, फूलगोभी, पत्तागोभी, गांठगोभी, मूली, शलगम, गाजर, प्याज, पालक, ब्रोकोली इत्यादि व संकर किस्मों के बीज किसान थोड़ी-सी जानकारी व ट्रेनिंग के साथ सफलतापूर्वक पैदा कर सकते हैं। बागवानी फसलों की खेती में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। साथ ही पढ़े-लिखे युवा सब्जी बीज उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं।

महिला किसान सशक्तीकरण–

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के माध्यम से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है-

1. महिलाओं की कृषि कार्यो से होने वाली शुद्ध आय को निरन्तर बढ़ाना।
2. कृषक महिलाओं और उनके परिवारों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार करना।
3. खेती के तहत क्षेत्रफल, फसल तीव्रता तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि।
4. महिलाओं की कृषि कार्यो में कौशल तथा क्षमताओं को विकसित करना।
5. महिलाओं की कृषि सम्बन्धित उपयोगी जानकारियों जैसे उपजाऊ भूमि, कृषि ऋण, प्रौद्योगिकी एवं अन्य सूचनाओं इत्यादि तक पहुंच को बढ़ाना।
6. कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु बाजार सम्बन्धी जानकारियों की पहुंच में वृद्धि।

निष्कर्ष–

उक्त सभी बातों (समस्याओं व समाधानों) का जबाब हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास है। अगर हमारे वैज्ञानिक पश्चिम की नकल छोड़कर भारतीय दर्शन और सोच पर विचार कर निर्णयों को कार्यान्वित करें तो लगभग सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। नये वैज्ञानिकों के तरीकों को झुठलाना नहीं है बल्कि नये खोजों को उचित प्रयोग कर जरूरी खोजों को प्रयोग में लाना है। भेड़ चाल से देश का कल्याण नहीं होगा। इसके लिये निम्न सुझावों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

1. पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर सामने आयेगें।
2. जल, भूमि और वायु प्रदूषित नहीं करना चाहिये।
3. शुद्ध जल संरक्षण से मत्स्य पालन से लाभ होगा इससे जुड़े व्यवसायों में भी वृद्धि होगी।
4. फल और सब्जी की उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।
5. पौष्टिक आहार पर बल देना चाहिये जिससे बौद्धिक विकास सम्भव हो पायेगा।
6. सरकार सब्सिडी का प्रयोग पूर्णतया: रूप से कृषि क्षेत्र में व कृषि में वृद्धि के लिये किया जाना चाहिये।
7. अनेक प्रयासों से कृषि लागत को कम क किसान के लाभों में वृद्धि की जानी

चाहिये जिससे कीमतें भी कम होगी।

8. उक्त प्रयासों से शहरों की तरफ ग्रामीण किसानों का पलायन भी रूकेगा व कृषि के प्रति मोह बढ़ेगा।

देश का कल्याण तब ही हो सकता है जब किसानों को बीज खाद माफिया से मुक्त कराकर उनकी पैदावार की लागत को कम कर सकेगें।

चूंकि विकास दर बढ़ाने का मूलमन्त्र कृषि ही है। अतएव इस क्षेत्र के लिये ठोस व प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन से ही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की धुंधली होती तस्वीर को प्रकाशमय बनाना सम्भव है। हमें विश्व व्यापार संगठन के तहत किये गये समझौतों, वैश्वीकरण व उदारीकरण की प्रक्रियाओं का कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का बारीकी से विश्लेषण करने के पश्चात् ही लागू करना चाहिये। हमें देश हित में यथार्थ व व्यवहारिक नीतियों को ही प्राथमिकता देना चाहिये।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. भारतीय आर्थिक समस्यायें, एल0एन0 कोली
2. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था
3. भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था
4. योजना
5. कुरूक्षेत्र
6. Agriculture Economics

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

जौनसार-बावर के समाज में नव वर्ष उत्सव के रूप में विशू मेले का सांस्कृतिक समागम का आयोजन

* टीका राम
** जे.सी. जोशी

सारांश- *विशू मेला जोनसार-बावर, हिमाचल-प्रदेश एवं रँवाई-जौनपुर क्षेत्र के समाज में हिन्दू नव वर्ष आगमन व बैशाख संक्राति अथवा शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इनके सांस्कृतिक मूल्य भी समान है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अग्रणी रहा है। प्रत्येक माह की संक्रान्ति धार्मिक कार्यो की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है। प्रमुख संक्रान्ति के अवसर पर क्रमशः विशू मेला, दशहरा एवं दीवाली आदि त्यौहार मनाये जाने की परम्परा है। विशू मेला बैशाख संक्रान्ति के अवसर पर ही नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह लोकोत्सव नई फसल की कटाई-दवाई, धान्य संग्रह, अपने एक वर्ष के सफल कार्यो व नव वर्ष को कुशल-मंगलपूर्वक व्यतीत करने के उपलक्ष मे मनाया जाता है। इसी अवसर पर प्रकृति पूजा एवं अपने ईष्ट-देवता की पूजा-अर्चना भी की जाती है। यह उत्सव समाज में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक माध्यम है, क्योंकि इस अवसर पर सबका मिलन होता है। कालान्तर में इस लोक उत्सव की लोकप्रियता, सार्थकता एवं प्रासंगिकता में निरन्तर गिरावट आनी आरम्भ हुई।*

मुख्य शब्द- समाज, संस्कृति, विशू लोकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम-धुम्मसू लोकनृत्य, ठोउड़ा नाट्य-कला, झैंता, रासो, घुण्ड़िया रासो।

प्रस्तावना- जौनसार-बावर व समीपवर्ती क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, रँवाई-जौनपुर में गुजर-बसर करने वाले समाज में त्यौहारों का विशेष महत्व है। विशू मेला इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, जो विषुवत संक्रान्ति के नाम से नव वर्ष के आगमन पर सम्पूर्ण क्षेत्र में एक लोकोत्सव के रूप में हर्षोल्लाास के साथ मनाया जाता है। विशू मेले को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। लोकोत्सव का सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, जो आर्थिक और भौगोलिक समानता पर आधारित हैं। साथ ही आर्थिक समृद्धि, खुशहाली एवं प्रकृति पूजा से सम्बन्धित मान्यताओं की परम्परा प्रचलित है। आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के सम्बन्ध में सर्वप्रथम धान्य-संग्रह, पशुपालन, चरान, चुगान का विशेष महत्व है। उसके लिए प्रकृति

* शोधकर्ता, इतिहास विभाग, एच0 एन0 बी0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल

** विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एच0 एन0 बी0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल

पूजा, अपने इष्ट देव एवं ग्राम देवता की पूजा अर्चना की मान्यता एवं परम्परा इस उत्सव की विशेषता रही है। साथ ही उत्सव में सभी लोग परस्पर ठोउडा नाट्य कला, लोकगीत एवं लोकनृत्य का आनन्द की अनुभूति अनुभव करते हैं। यह उत्सव सामाजिकता व सामुदायिकता की भावना को प्रकट करने का सर्वाधिक पारदर्शी, व उपयुक्त साधन और माध्यम है। इस क्षेत्र में मनाये जाने वाले त्यौहारों व क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले लोकोत्सव के माध्यम से यहां के समाज में लोक संस्कृति का प्रथम दृष्टया परिचय व चित्र परिलक्षित होता है। समाज में लोक संस्कृति का परिचय जितने अच्छे ढंग से लोकोत्सव व त्यौहारों के माध्यम से हो सकता है उतना अच्छा परिचय किसी दूसरे सांस्कृतिक घटक से नहीं हो सकता है।

उद्देश्य–

* लोकोत्सव के अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करना।
* लोकोत्सव की प्रकृति एवं स्वरूप को समझता।
* लोकोत्सव को आयोजित करने व मनाने के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के महत्व को समझना।
* लोकोत्सव की मान्यताओं का विश्लेषण करना।
* लोकोत्सव की समाज में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्व को समझना।
* लोकोत्सव में सम्मिलित लोगों की भावनाओं को समझना।

शोध क्षेत्र का परिचय– जौनसार-बाबर भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से देहरादून जिले का एक भूभाग अथवा परगना है। इसके उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में देहरादून तथा पूर्व में टिहरी एवं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। सिरमौर से इसे टौंस नदी पृथक करती है। इसका निचला हिस्सा टौंस और यमुना का दोआब है। इस क्षेत्र का नाम जौनसार-बावर दो पट्टियों के रूप में प्रसिद्व है। हालांकि इसका तीसरा सब डिवीजन लोखण्ड़ी-किनाणी क्षेत्र है। जौनसार के उत्तर में लोखण्ड़ी, पूर्व में यमुना और पश्चिम में टौंस नदी तथा दक्षिण में कालसी के पास यमुना-टौंस का संगम है। लोखण्ड़ी से कुछ दूर बैनालखड़ जौनसार-बाबर की सीमा बनाता है। बैनालखड़ के उस पार का क्षेत्र बावर और बावर के पश्चिम में देवघार खत है। देवघार खत भी जौनसार-बावर का ही भाग है।[1]

इस क्षेत्र का नाम जौनसार-बावर क्यों पड़ा? इसके विषय में इतिहासकारों व लेखकों के मध्य अलग-अलग धारणायें है। परन्तु तथ्य पूर्ण धारणा यह है कि गढ़वाल से जमना (यमुना नदी) पार होने के कारण यह क्षेत्र 'जमनापार' कहलाने लगा जो कालान्तर में जौनसार के रूप में प्रचलित हुआ। सुदूर उत्तर में 'पॉवर नदी' के कारण यह क्षेत्र बावर कहलाया।[2] परन्तु कल्हण कृत राजतरंगिणी में 'बावापुर' नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जो जम्मू से 40 मील पूर्व में 'बवोर' नाम से जाना जाता है। इस बावापुर अथवा बवोर से तात्पर्य बावर से लगाया जाता है।[3] इस प्रकार इस सम्पूर्ण क्षेत्र का आधुनिक नाम "जौनसार-बावर" पड़ गया।[4] हालांकि इसमें देवघार क्षेत्र के नाम का जिक्र नहीं होता है। देवघार क्षेत्र को मिलाकर इसका नवीन ऐतिहासिक व भौगोलिक नाम 'जौनसार-बावर-देवघार' होना चाहिए।

जौनसार-बावर तथा देवघार क्षेत्र मूलतः खस प्रधान समाज है। इस क्षेत्र में खस

राजपूतों का प्रभुत्व प्राचीन काल से है। इसका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। आज भी एक दूसरे से परिचय में सर्वप्रथम यह पूछा जाता है कि, तुम कहां के खसिया अर्थात् खस हो। साथ ही इस क्षेत्र के सर्वोच्च पूज्य और लोकप्रिय देवता 'चार महासू' का कुड्डू और काश्मीर (कश्मीर) मूल स्थान है। "कूड्डू-काश्मीर में अनोडी (हनोल) का बोठा और चालदा" अर्थात् कुल्लू और काश्मीर से आये हुए अनौल (हनोल) के चालदा (चलता महासू) और बोठा'(बैठा हुआ महासू) प्रमुख देवता है। इस प्रकार आज भी इस क्षेत्र में खस जाति के स्मारक सम्बन्धी नामों में खशकातर तथा हिमाचल में खशधार, खशकोड़ी आदि स्थान नाम उल्लेखनीय है।[5]

खसों के मूल स्थान तथा भारत में प्रवेश के सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के मध्य मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया मूल के मानते हैं तो कुछ भारतीय मूल के मानते हैं। खस मूलत: मध्य एशिया के काकेशस पर्वत से ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते से हिन्दूकुश को पार कर भारत आये[6] और काशगर, कशकारा, हिन्दूकुश आदि स्थानों पर अपनी छाप छोड़कर कश्मीर से नेपाल तक आ पहुँचे। आज भी हिमाचल प्रदेश और जौनसार-बावर में खस नाम से इसके प्रमाण मौजूद है।[7] विद्वानों का मत है कि खस 1500-1000 ईसा पूर्व के मध्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से आये हैं। राहुल सांकृत्यायन खसों के आगमन का समय 2000 ई0 पू0 बताते हैं।[8]

इस प्रकार उपर्युक्त मतों और तथ्यों से स्पष्ट होता है कि खस मूलत: मध्य एशिया के मूल निवासी थे। खस आर्यों की एक शाखा थी जो भारत में आगमन के समय अपनी वैदिक बान्धवों की शाखा से पृथक होने पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में विचरण करते हुये यहां के मूल निवासी हो गये तथा एक शाखा इनकी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आकर बस गयी। कालान्तर में आर्यों और खसों के मध्य सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अन्तर दिखाई देते हैं। परन्तु रूप-आकृति में काफी समानता दिखाई देती है।

जौनसार-बावर के समाज व संस्कृति को समृद्ध बनाने में मेलों व त्यौहारों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस संस्कृति को यदि मेला संस्कृति कहा गया तो अत्युक्ति न होगी। यहां के समाज में मेला संस्कृति की परम्परा हिन्दू मेला संस्कृति के समान है। यहां भी मेले, पर्व, एवं त्यौहार ऋतु परिवर्तन के अवसर पर धान्य संग्रह और प्रकृति पूजा एवं धार्मिक रूप से प्रेरित है। परन्तु जौनसार-बावर समाज में वैशाख संक्रान्ति, दशहरा, दीवाली एवं पौश माह की संक्रान्ति को चार साजों (चौंऊंसाजै) अर्थात् त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इन साजों का समाज में अपना सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। इन त्यौहारों की, संक्रान्ति को स्थानीय भाषा-बोली, रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के अनुसार 'चार साजे' (चौऊँसाजै) कहा जाता है। इस परम्परा के अनुसार वैशाख संक्रान्ति का 'साजा' एक है। इस अवसर पर लोग अपने-अपने ईष्ट देवता व देवी की पूजा अर्चना के साथ प्रकृति पूजा भी करते हैं। समाज में मेला संस्कृति को समझने से पहले सम्पूर्ण समाज की लोक संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक है। मेला संस्कृति तो समाज में लोक संस्कृति का एक भाग है। परन्तु लोक संस्कृति समाज की प्रेरणादायिनी और प्राण वायु है। अत: इस क्षेत्र में आयोजित मेले मुख्यत: त्यौहारों पर आधारित है तथा इनकी प्रकृति त्यौहारों एवं मेलों पर आधारित है।

समाज का अर्थ– समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम् एवं अज से मिलकर बना

है। सम् का अर्थ है इकट्ठा अथवा एक साथ अज का अर्थ साथ में रहना। इसका तात्पर्य है कि समाज शब्द का अर्थ एक साथ रहने वाला मानव समूह अथवा समुदाय से है। इस प्रकार समाज का अर्थ है, एक साथ रहने वाला समूह। समाज एक से अधिक लोगों के समूह को कहते हैं। इसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। समाज शब्द का उपयोग आम बोल-चाल की भाषा में मनमाने ढंग से किया जाता है। लोग समाज के किसी भी संगठन, विशेष धर्म, भाषा अथवा संस्कृति से सम्बन्धित समूह को समाज कह देते हैं। जैसे-हिन्दू समाज, शिक्षक समाज, जैन समाज एवं मुस्लिम समाज आदि शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। जो वास्तविक रूप से तर्कहीन एवं अवैज्ञानिक है। समाजशास्त्रीय अर्थ में 'समाज' शब्द मानव समूह से सम्बन्धित नहीं है। बल्कि लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली अन्तःक्रिया के नियमों के सम्मिश्रित स्वरूप से सम्बन्धित है। इस प्रकार समाज लोगों का संगठन नहीं हैं और न ही कोई वस्तु है, जिसका भौतिक स्वरूप हो। ''समाज पूर्णतया अमूर्त है।'' यह एक वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। समाज सर्वव्यापी है, अर्थात् जहाँ। जीवन है वहां सम्बन्ध है और वहां समाज का निर्माण होता है। समाज में सामाजिक सम्बन्ध, स्थापित होते हैं संगठनों का निर्माण होता है, व्यक्तियों की अन्तः क्रिया व चेतना होती है। साथ ही परम्पराओं का निर्वहन किया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, जिससे भौतिक और सामाजिक उन्नति होती है। मनुष्य प्राणियों में सर्वाधिक चिन्तनशील एवं प्रगतिशील है। मनुष्य ने अपने दीर्घकालीन इतिहास में एक समाज प्रक्रिया का निर्माण आरम्भ किया। वह समय एवं परिस्थिति के अनुरूप ज्यों-ज्यों अपने मस्तिष्क जैसी अमूल्य शक्ति का प्रयोग करते रहे हैं। उनके जीवन पद्धति में नवीन बदलाव के दौर आये और जीवन पद्धतियों के बदलने से आवश्यकताओं में परिवर्तन आने आरम्भ हुए। इन आवश्यकताओं ने मनुष्य जीवन को एक सूत्र व बंधन में बांधने का कार्य आरम्भ किया। इस बन्धन से समाज में परस्पर सम्बन्धों की प्रक्रिया के जाल का निर्माण हुआ और यही जाल समाज कहलाए और समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का योग है, जिसमें परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। समाज के निर्माण में सामाजिक सम्बनधों तथा व्यक्तियों का समान महत्व है। समाज रीतियों कार्यविधियों, अधिकार व पारसपरिक सहायता, अनेक समूहों और उनके उप विभागों मानव व्यवहारों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। साथ ही परस्पर अंतः क्रिया द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों का समूह है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने मनुष्य को विभिन्न समूहों एवं व्यवसायों को अपनाते हुए विभक्त करते गए और मनुष्य की परस्पर निर्भरता बढती गयी, जिसने मजबूत सामाजिक बन्धनों को जन्म दिया।[9]

जौनसार-बावर के समाज के विकास में तीज-त्यौहार की भूमिका- मेला व उत्सव समाज में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मेले समाज में रीति-रिवाजों एवं परम्परागत मान्यताओं के विकास के माध्यम है। किसी जन समुदाय अथवा क्षेत्र विशेष के समाज अथवा संस्कृति में परम्परागत रूप से मनाये जाने वाले तीज-त्यौहारों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तीज-त्यौहार भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन है। इस अतीत गौरव की शंखध्वनि का समय-समय पर हमारे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में संचार होता रहता है। 'मेला' शब्द की उत्पति 'मेल' शब्द से हुई है। जिसका अभिप्राय मिलन से है अर्थात् किसी नियत तिथि को नियत स्थान पर होने वाले

जनसमूह का मिलन, समागम, व जमावड़ा ही मेला है। मनोरंजन, आमोद-प्रमोद तथा हंसी-खुशी से युक्त इस मिलन का सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक महत्व भी होता है। यमुना-टौंस घाटी के मध्य विस्तृत यह क्षेत्र आदिकाल से ही भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक मान्यताओं एवं धार्मिक परम्पराओं के कारण एक विलग क्षेत्र रहा है। इसकी अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक अस्मिता तथा सामाजिक पहचान है। इसी समाज व लोक संस्कृति में जौनसार-बावर व यमुना-टौंस घाटी के इर्द-गिर्द क्षेत्र की सुन्दरता व मधुरता निहित है। यहां का समाज व लोक संस्कृति प्राचीन है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। यहां के समाज व लोक संस्कृति की स्पष्ट झलक क्षेत्र में मनाये जाने वाले मेले व त्यौहारों में परिलक्षित होती है। क्षेत्र की लोक संस्कृति के अन्तर्गत यहां जन समुदाय के धार्मिक विधि-विधान, व्यवहार, संस्कार व अनुष्ठान, कला-साहत्यि, ज्ञान-विज्ञान, लोकनृत्य, लोकगीत, व लोककथा, नाटक, लोकोक्ति व मुहावरे आदि ही यहां के समाज और लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग है।

प्रस्तुत शोध पत्र में यमुना-टौंस घाटी के मध्य में विस्तृत जौनसार-बावर के समाज में लोक संस्कृति के तथ्यों का अध्धयन किया गया है। ग्रामीण समाज में प्रचलित लोक संस्कृति की अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। लोक संस्कृति ही किसी समाज अथवा जन समुदाय और ग्रामीण जन जीवन की आत्मा और उसका सामाजिक पर्यावरण व वातावरण है। मानव समाज आदि काल से अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित होने लगा तथा इस काल से मानव समाज दो समूहों में विभाजित रहा। पहला समाज जिसमें साधारण व सरल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का रहन-सहन व जीवन-यापन होता है और दूसरा वह समाज जिसमें व्यक्तियों को तुलनात्मक दृष्टि से उन्नत सामाजिक पर्यावरण व वातावरण के साथ ही शिक्षा-दीक्षा प्राप्त होती रहती थी। इनमें पहले समाज को लोक समाज तथा दूसरे समाज की प्रकृति पहले से भिन्न होने के कारण इसे लोक समाज नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों समाजों में आचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन, ज्ञान-विज्ञान, एवं रूचियों में स्पष्ट भिन्नता परिलक्षित होती है।

यमुना-टौंस के मध्य क्षेत्र में विस्तृत जौनसार-बावर के समाज में लोक संस्कृति की समानता अधिकांशतः आस-पड़ोस के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के महासू, सिरमौर, जूब्बल व उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के रँवाई-जौनपुर के समाज से काफी मिलती-जुलती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में केवल यमुना-टौंस घाटी के मध्य क्षेत्र जौनसार-बावर को चयनित किया गया। यह सम्पूर्ण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के शेष क्षेत्रों से बिलकुल अलग सामाजिक, रीति-रिवाजों, रहन-सहन, भाषा-बोली वाला पृथक सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें जौनसार-बावर, रँवाई-जौनपुर एवं हिमाचल-प्रदेश की संस्कृतियों में आमूल-चूल क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ-साथ अधिकांशतः एक समान सांस्कृतिक

विशू लोकोत्सव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- 'विशू' मेला जौनसार-बावर, हिमाचल-प्रदेश एवं रँवाई-जौनपुर का एक लोक उत्सव अथवा लोक त्यौहार है। नव वर्ष आगमन पर मनाये जाने वाले बसन्त उत्सव को विशू उत्सव अथवा विशू मेले के नाम से सम्पूर्ण क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गढ़वाल हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बिखोती या वैशाखी कहते हैं। चिशू मेला यहां के लोगों की रागात्मक एवं सौन्दर्यबोध भावनाओं की उच्चतम अभिव्यक्ति है। विशू पर्व वैशाख की विशुवत संक्रान्ति से शुरू

होता है। विशुवत संक्रान्ति के नाम से इस पर्व का नाम विशू पड़ा। संक्रान्ति के दिन सर्वप्रथम अपने ईष्ट देवता की पूजा की जाती है।[11] विशू का आरम्भ त्यौहार के रूप में होता है, जो धीरे-धीरे मेले का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि विशू मेला त्यौहार पर आधारित मेला है अर्थात् इसकी प्रकृति त्यौहार और मेले दोनों पर आधारित है। स्थानीय परम्परानुसार वैशाख संक्रान्ति को विशू का 'साजा' कहा जाता है। विशू के इस साजे को त्यौहार कहते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम बुरासनी पर्व अथवा फूल संक्रान्ति आयोजित होती है। तत्पश्चात् अगले दिन विशू मेला आरम्भ होता है। इस मेले को त्यौहार आधारित मेला कहना अधिक प्रासंगिक होगा।[12]

जब सूर्य विषुवत रेखा[13] के निकट होता है, तो उस समय जौनसार-बावर में चैत्र मास के अन्तिम दिन विषुवत संक्राति के शुभ अवसर पर बुरासनी (फूल संक्रान्ति) पर्व को परम्परागत ढंग से मनाया जाता है। बुरासनी (फूल संक्रान्ति) पर्व को जौनसार-बावर के लखवाड़ और जौनपुर क्षेत्र में एक माह पूर्व से गांव के बालक-बालिकायें देव आंगन में फूल पूजने आरम्भ करते हैं। घर के चूल्हा चौकी पर फूल सजाते हैं तथा बड़ों को फूल देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। "बसन्त श्री के कानन-वन-कुन्जों" से भांति-भांति के सुन्दर पुष्प लाकर बच्चे प्रभाती गाते हैं। यह कुमाऊँ-गढ़वाल में फूलदेई पर्व (पुष्पदेहरी) के समान प्रतीत होती है।[14]

जौनसार-बावर के शेष क्षेत्र में वैशाख सक्रान्ति को बुरासनी पर्व के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व वैशाख सक्रान्ति और उससे पहले दिन 'विशुड़ी' के नाम से मनाया जाता है। स्थानीय भाषा-बोली में इसे बुरासनी या 'फूलयात' कहते हैं। इसी दिन से सम्पूर्ण क्षेत्र में विशू मेले का आरम्भ हो जाता है। इसमें मुख्यत: गांव के युवा और बच्चे शामिल होते हैं। प्रात: ब्रह्ममूर्त में गांव के युवक जंगल से बुरांस के फूलों की मालायें और गुलदस्ते बनाकर लाते हैं। तत्पश्चात् एक जगह एकत्र होकर वाद्य-यन्त्रों के साथ-साथ गांव में नृत्य करते हुये प्रवेश करते हैं। गांव में पहुँचते ही युवक बाजगी लोगों को फूल देकर अपने घरों को निकल जाते हैं। तत्पश्चात् अपने घरों और मन्दिरों के अग्र भाग पर बुरांस की मालायें और गुलदस्ते सजाते हैं। इस प्रकार वैशाखी के दिन इस रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित पर्व का समापन होता है। उसके अगले दिन विशू मेला आरम्भ होता है।[15]

विशू मेले का शुभारम्भ वैशाख संक्रान्ति अर्थात् वैशाख शुक्ल तृतीया अथवा अक्षय तृतीया[16] के शुभ अवसर पर होता है। इसकी नियत तिथि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक है।[17] वैशाखी के अवसर पर सम्पूर्ण देश में अलग-अलग नामों से वैशाखी पर्व को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, जौनसार-बावर तथा उत्तरकाशी में विशू तथा रँवाई क्षेत्र में फूलयारी, आसाम में बिहू तथा चम्बा में फूल्यांच के नाम से मनाया जाता है। इस प्रकार हिमालय क्षेत्र में पश्चिम में डूग्गर से पूर्व में आसाम तक नियत तिथि एवं पारम्परिक रूप से मनाते हैं।[18] जौनसार-बावर, हिमाचल प्रदेश तथा जौनपुर-रँवाई क्षेत्र में प्रथम वैशाख से प्रथम ज्येष्ठ तक जगह-जगह विशू मेले आयोजित होते हैं।[19]

जौनसार-बाबर में वैशााख आगमन पर नयी फसल की कटाई-दवाई कर धान्य संग्रह के उपलक्ष्य में जगह-जगह विशू मेले आयोजित होते हैं।[20] धान्य संग्रह के साथ प्रकृति पूजा का भी प्रचलन है। उल्लेख है कि इस अवसर पर उत्पादन और सृजन की सृष्टि के कारणभूत तत्वों की लाक्षणिक पूजा होती है।[21] इसका प्रमुख उद्देश्य जीव-जगत

को धन-धान्य से सम्पन्न और सु:खमय जीवन की कामना से है अर्थात् सम्पूर्ण जीव-जगत के कल्याण मात्र से है। इस त्यौहार में मुख्यत: वन के देवी-देवताओं की त्यौहार के अवसर पर पूजा-अर्चना के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परम्परा है क्योंकि चैत्र मास के आगमन पर जंगल में नई कोपलें एवं पत्तियां निकलती है, जिसमें विश होने की सम्भावना होती है। इस विश को खाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए पशुओं का बचाव व रक्षा हेतु यह त्याोहार मनाया जाता है।[22]

विशू का यह पर्व सम्पूर्ण यमुना-टौंस घाटी क्षेत्र में पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक स्थानों पर मेले भी आयोजित होते हैं। विशू उत्सव के अवसर पर जौनसार-बावर क्षेत्र में थाणाडांडा, नागथात, चुराणी, गिरतीथात, चौलीथात, लाखामण्ड्ल, मुयलाथात, सौचोई, मानड्थात, काण्ड्ोई भरम, माघटीडांडा, आदि स्थानों पर रँवाई क्षेत्र में भुटाणू, टिकोची, चींवा, किरोली, तथा जौनपुर क्षेत्र में त्याड़ा-भदराज आदि नामक स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है।[23]

समाज में प्रचलित लोकमान्यता के आधार पर प्राचीन समय से गांव की युवतियाँ (ध्याणटुड़ियाँ) वैशाख माह की विषुवत संक्रान्ति के अवसर पर झुण्ड अथवा समूह बनाकर अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर 'गानी' के फूल तथा कोपलें बीनने के उद्देश्य से जंगलों में जाया करती थी। गानी एक सुगन्धित पुष्प का एक उपयोगी पौधा है। यह पौधा रोगों के उपचार हेतु लाभकारी माना जाता है। इसके कोपलों का स्वादिष्ट साग भी बनता है। यह पौधा बसन्त ऋतु के आगमन पर ऊँचे-ऊँचे पर्वतीय व देवदार-बांज के जंगलों में फलता-फूलता तथा बसन्त ऋतु के पश्चात् विलुप्त हो जाता है। गांव की लड़कियाँ पहले इन पौधों के कोपलें व फूलों को तोड़कर लाती थी। तत्पश्चात् सभी लड़कियाँ एक स्थान पर एकत्रित होती थी तथा उत्साह के साथ लोकगीतों के साथ तांदी लोकनृत्य करती थी। साथ ही जंगूबाज व बाजूबन्ध भी मनोरंजन की दृष्टि से गाये जाते थे। धीरे-धीरे यह आयोजन एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्पराओं के रूप में प्रचलित हो गया तथा उन ऊँचे-ऊँचे पर्वतीय टीलों पर लकड़ी से निर्मित शिवलिंग स्थापित किये गये और इन मेलों को जौनसार-बावर, रँवाई, जौनपुर आदि क्षेत्रों में विशू मेले के रूप में आयोजित होने लगे। यही कारण है कि विशू मेले को 'गनियात' भी कहा जाता है। इसके साथ यह उत्सव कौरवों-पाण्ड्वों के मध्य प्रचलित कला-कौशल से भी पारम्परिक रूप से जुड़ गया है।[24]

मेले स्थल का प्रबन्ध– विशू पर्व का शुभारम्भ बैशाख माह की संक्रान्ति से एक त्यौहार के रूप में आयोजित होता है। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न देव स्थानों पर तीन से चार दिन तक निरन्तर एक दिवसीय मेले आयोजित होते हैं। सोचोई, मानड्थात, एवं घेतीडाण्डा आदि स्थानों पर एक दिवसीय मेले 13 अप्रैल, 16 अप्रैल तक प्रात: काल से सांय काल तक आयोजित होते हैं। यहां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक रूप से समान स्थिति वाले क्षेत्र के गांव व खत विशू मेले अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करते हैं। मेले का आयोजन पूर्व नियोजित होता है। यह खत या पट्टी विशेष के सम्बन्धित गांव के लोगों पर निर्भर करता है। खत व गांव के मुखिया (स्याणा) सामूहिक रूप से मेले का प्रबन्ध करते हैं। मेले में छोटी-मोटी दुकाने लगी रहती हैं। रात्रि विश्राम की मेले स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं होती। मेले के समापन पर लोग अपने-अपने घरों की ओर लौट

जाते हैं। सोचोई, मानड्थात, एवं घेतीडाण्डा में आयोजित मेलों में शामिल मशक खत, मेघरेऊ खत एवं बमटाड् खत के गांव के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो स्वयं ही आयोजन व प्रबन्ध करते हैं। इसी प्रकार समस्त गांव व खत के लोग स्वयं मेले स्थल की व्यवस्था सामूहिक रूप से करते हैं।[25]

मेले की आरम्भ की प्रक्रिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम- प्रत्येक वर्ष विशू पर्व मे की तैयारी विषुवत संक्रान्ति से एक सप्ताह पहले आरम्भ हो जाती है। गांव-खत सभी लोग मेले से पहले अपने कृषि कार्यों को समाप्त कर अपने-अपने घर, आंगन व मकान की साफ-सफाई एवं लिपाई-पुताई करते हैं। विशू पर्व के इस शुभ अवसर पर खत के शामिल गांव के अलावा अतिथियों की भरमार होती है। अतिथियों का आदर व सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है। इस अवसर पर मेहमान दूर-दूर से आमन्त्रित किये जाते हैं। मेले में चावल को कूटकर व पीसकर इसकी शाकुडिया (पापड्) व धान को कुछ समय पहले बर्तन में भिगाकर औखली में कूटकर 'च्युड़ा'(मुड़ा) बनाया जाता है। इसके साथ परम्परागत खाद्य सामग्री जैसे- शाकाहारी व मांसाहारी भोजन परोसने की परम्परा है। पहले संक्रान्ति के दिन ईष्ट देवता की पूजा की जाती है। त्यौहार मनाने के पश्चात सभी लोग मेहमानों सहित अपने परम्परागत् वेशभूषा व महिलायें विशेष कर आभूषण समेत सज धजकर मेले में जाते हैं। गांव-खत से सभी लोग अपनी-अपनी टोलियों (समूहों) में सामूहिक वाद्ययन्त्रों के साथ लोकगीत व लोकनृत्य के साथ मेले स्थल पर पहुँचते हैं।

मेले स्थल पर आगमन की प्रक्रिया- बैशाख संक्राति (संगरांद) अथवा बुरासनी (फूल संक्रान्ति) पर्व के दूसरे तीसरे दिन परम्परागत रूप से विशू मेले जगह-जगह आयोजित होते हैं। मेले के दिन दोपहर में पुरूष-महिलायें, युवक-युवतियाँ सज धजकर सार्वजनिक आंगन में एकत्रित होकर देवी-देवताओं और ऐतिहासिक पुरूषों पर बनी हारूल तांदी नृत्य से आरम्भ करते हैं। विशू मेले में प्रत्येक पुरूष और युवक अपने अस्त्र-शस्त्रों के साथ मेले में शिरकत करते हैं। लोकनृत्य करते समय प्रमुख अस्त्र-शस्त्रों जैसे-डांगरा (फरसा), घेसड़ी, डेंगा (लाठी) आदि का नाचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नृत्य करते समय अस्त्र-शस्त्रों को हवा में लहराया जाता है।

मेले स्थल पर प्रस्थान की शुरूआत परम्परागत रूप से हजूरै-हजूरै लोकनृत्य से होती है। इसके साथ-साथ बीच में 'शांठी-पांशी रे खेलटू' नृत्य भी होता रहता है। गांव से बाहर कुछ दूर पहुँचने पर 'झीरूवा-रै-झीरूवा' धुम्मसू लोकनृत्य की परम्परा प्रचलित है। इन लोकनृत्यों का विशू पर्व में न केवल मनोरंजन व आनन्द की दृष्टि से महत्व है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं उत्पादन व सृष्टि की रचना की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इसीलिए बारी-बारी से यह नृत्य विशू मेले में शामिल सभी गांव द्वारा मेले स्थल तक आते-आते दोहराये जाते हैं। मेले स्थल पर खत के समस्त गांव के पहुँचने पर सामूहिक रूप से पुनः यह नृत्य दोहराये जाते हैं। मेले स्थल पर धुम्मसू लोकनृत्य का यह दृश्य अद्भुत प्रतीत होता है। मेले स्थ्ल पर सर्वप्रथम ईष्ट देवता व खत के प्रमुख प्रतिनिधि (स्याणा) के स्वागत में शबद बजाया जाता है।[27]

मेले में आयोजित सांस्कृतिक समागम के कार्यक्रम- हजूरै सांस्कृतिक लोकनृत्य- हजूरै-हजूरे विशू पर्व का पारम्परिक धुम्मसू लोकनुत्य है, जिसका अर्थ आईऐ

श्रीमान आइऐ से है। अर्थात् विशू मेले में आमन्त्रित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम यही नृत्य किया जाता है। पहले गांव के युवक आंगन में आकर गांव के सभी पुरूष-महिलाओं को इस नृत्य द्वारा गांव के मुख्य आंगन में आमंन्त्रित करते हैं। तत्पश्चात् खत के सभी गांव या मेले में शामिल गांव इस नृत्य के माध्यम से एक दूसरे को मुख्य मेले स्थल पर आंमन्त्रित करते हैं। इसे स्थानीय भाषा में फुर्निया कहते हैं। फुर्निया धुम्मसू लोकनृत्य की रोद व कड़क थाप है। इस थाप के साथ नृत्य करते समय ऐसा लगता है कि कंकरीट-मिट्टी भी नाच रही है। हजूरै-हजूरै लोकनृत्य विशू मेले में सन्देश वाहक अथवा संचार का एक माध्यम है, जो लोगों को मेले स्थल पर आमन्त्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस लोकनृत्य के आरम्भ होते ही लोगों तक यह सन्देश पहुँच जाता है और विशू मेले स्थल की ओर सभी लोग प्रस्थान करते हैं। इस लोकनृत्य का सन्देश पहुँचते ही सभी लोग अपने-अपने अस्त्र-शस्त्रों को लेकर मेले में शामिल होते हैं।[28]

झीरू सांस्कृतिक लोकनृत्य- झीरू धूम्मसू नृत्य में झीरू एक व्यक्ति विशेष है। इस झीरू लोकनृत्य में काम-वर्जना, उर्वरता-उत्सव का भाव निहित है। विशू मेले में उत्पादन और सृजन की सृष्टि के कारणभूत तत्वों की लाक्षणिक पूजा की दृष्टि से इस लोकनृत्य का महत्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पीछे प्रजनन प्रक्रिया के लैंगिक पक्ष का हाथ रहा है अर्थात् इसे लिंग पूजा के रूप में देखा जा सकता है। विशू वर्च में मेले स्थल पर लिंग-पूजा से भी यही निष्कर्ष निकलता है। यही कारण है कि सृष्टि निर्माण और पशु-धन एवं फसल उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से 'झीरू लोकनृत्य' का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं सृष्टि की रचना की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह लोकनृत्य भी झीरू के नाम पर ढ़ोल-दमाऊ की रोद्र व कड़क थाप के साथ किया जाता है। इस नृत्य को स्थानीय भाषा में ''भाण्ड़'' कहते हैं। भाण्ड़ से तात्पर्य काम-वर्जना से है। यही कारण है कि यह लोकनृत्य विशू मेले में सृष्टि की रचना व उत्पादन के संवर्द्धन हेतु परम्परागत रूप से किया जाता है।[29]

शांठी-पांशी सांस्कृतिक लोकनृत्य- शांठी-पांशी की अवधारणा और ठोउड़ा उत्सव से प्रेरित 'शांठी-पांशी रे खेलटू' लोकनृत्य का विशू मेले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं युद्ध प्रशिक्षण की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह मेले का हंसमुख अर्थात् हास्यस्पद से ओत-प्रोत लोकनृत्य है। इसमें नृत्य करते समय आदमी एक पैर या टांग से जमीन पर उछलता-कूदता है। यह नृत्य भी शांठी-पांशी की हास्यस्पद से युक्त थाप के साथ किया जाता है। साथ ही सभी लोग बार-बार 'शांठी-पांशी रे खेलटू' और 'उभी चिलकिया मेरिए जागै' बोलते व अस्त्र-शस्त्र लहराते रहते हैं। उभी चिलकिया मेरिये' जागे से अभिप्राय जन्म स्थान या गांव की थाती-माटी से है अर्थात् गांव की थाती-माटी शक्ति के रूप में ठोउड़ा खेलते हुए चमत्कार करना ताकि मेरी विजयी हो। 'शांठी-पांशी' की अवधारणा कौरवों-पाण्ड़वों की विचारधारा और उनके दलों से प्रभावित है। हिमांचल प्रदेश और जौनसार-बावर में कौरवों और पाण्ड़वों के समर्थक लोगों को शांठी-पांशी कहा गया है। इस अवधारणा के आधार पर कौरवों की संख्या साठ और पाण्ड़वों की पाँच बतायी गयी है। कालान्तर में साठ से शांठी और पाँच से पांशी बना और इसी के आधार पर शांठी-पांशी की अवधारणा का विकास हुआ।[30]

हालांकि समाज में प्रचलित जनश्रुति पर आधारित लोकगाथाओं व लोकगीतों में

कौरवों-पाण्ड्वों की संख्या महाभारत से सम्बन्धित प्रमुख ग्रन्थों के अनुसार वर्णन किया जाता है! इसीलिए शांठी-पांशी की अवधारणा में उल्लिखित कौरवों-पाण्ड्वों की संख्या पर संन्देह होना स्वभाविक है। शांठी-पांशी से तात्पर्य कौरवों-पांड्वों के मध्य राजसत्ता ग्रहण करने व एक-दूसरे को राजसत्ता से बेदखल करने के उद्धेश्य से उनके मध्य निरन्तर होने वाले षड्यंत्र, परस्पर संघर्ष, मतभेद एवं द्वन्दयुद्ध से है। साथ ही इस संघर्ष में होने वाली जान-माल की हानि से व कुलवंश अथवा परिवार के समूलनाश से है न कि उनके संख्यात्मक आँकड़ों से है।

इस प्रकार उपर्युक्त धुम्मसू लोकनृत्य का यह कार्यक्रम बारी-बारी से मुख्य मेले स्थल पर पहुँचने तक जारी रहता है। मेले स्थल पर सर्वप्रथम लोग भगवान शिव के उपासक, शिलगुरू के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात् जुबड़ (मैदान) में सभी दल या गांव अपने-अपने स्थान पर एकत्र होते हैं। सभी गांव के पहुँचने पर पहले आराध्य देवता चार महासू के नाम तथा गांव-खत के मुखिया के सम्मान में शबद (स्वागत शबद) बजाकर एक बार सभी दल सामूहिक रूप से धुम्मसू लोकनृत्य करते हैं। तत्पश्चात् ठोउड़ा उत्सव आरम्भ होता है।

सांस्कृतिक ठोउड़ा उत्सव का परिदृश्य- ठोउड़ा शब्द का सम्बन्ध पूर्व वैदिक संस्कृत शब्द धातु के 'ठोर' से लगता है, जिसका अर्थ दौड़ना है। पहाड़ी भाषा में ठोर का अर्थ दौड़ाई है, यथा 'ठोर मारना' (दौड़ाई देना) ठोर से 'ठुरना' बना है जिसे पंजाबी में 'टूरना' कहा जाता है। 'टूरना' भाववाचक शब्द 'ठूरड़ा' या 'ठुर्ड़ा' से बना है जिसका अर्थ पैर या टांग है। पहाड़ी में 'र' प्रायः श्रुत हो जाता है। इस प्रक्रिया में अनेक बोलियों में 'ठुरड़ा' या 'ठुर्ड़ा' केवल 'ठुड़ा' रह गया है और पंजाबी में यह ठुड़ हो जाता है। इसी ठुड़ को ठुड़ा कहा जाता है, जिसका परिवर्तित रूप लोक-नाटय ठोउड़ा कहलाया है, क्योंकि इसमें टांगों पर ही बाणों का निशाना बांधा जाता है और टांगों की मूल कसरत रहती है।[31]

विशू मेले स्थल पर धनुष-बाण द्वारा खेला जाने वाला 'ठोउड़ा' नृत्य रोमांचकारी होता है। यमुना-टौंस घाटी के मध्य जौनसार-बावर व समीपवर्ती स्थानों पर मनाया जाने वाला यह पर्व निराला है। इस मेले में धनुष-बाण से खेला जाने वाला यह ठोउड़ा युद्ध-नृत्य आकर्षण का मुख्य केन्द्र बिन्दु होता है। ठोउड़ा उत्सव में भाग लेने के लिए दूर-दूर से महान प्रतियोगी तथा इस खेल में पारंगत व निपुण कुशल योद्धा अपने साजो-समान के साथ उत्सव स्थल पर जोश व उत्साह के साथ पहुँचता है। विद्वानों तथा लेखकों ने भी ठोउड़ा उत्सव में शामिल पूर्व कुशल योद्धाओं व ठोउड़ा सम्बन्धी प्रमुख अस्त्र-शस्त्रों एवं पोशाक का उल्लेख किया है। मेले के दिन प्रातः काल देवी-देवताओं की पूजा के उपरान्त ठोउड़ा खेलने वाले कुशल योद्धा व वीर पुरूष मन्दिर के भण्ड़ार गृह से धनुष-बाण एवं ऊनी-कुर्ता व पायजामा निकालते हैं। इन वस्त्रों को धारण कर ठोउड़ा खेलते हैं, किन्तु सोचोई, मानड़थात, घेतीडाण्डा आदि मेला स्थलों पर इन वस्त्रों के धारण करने वाले धनुर्धारी की खासी कमी देखने को मिली है। यह नृत्य हारूल (वीरगाथाओं) के साथ वाद्ययन्त्रों की ताल पर खेला जाता है।[32] अस्त्र-शस्त्रों में धनुष-बाण (धनु-शरू) एवं डांगरा (फरसा) प्रमुख है। पोशाक में सूथण और औला (चमड़े का जूता) है। सूथण ऊन का बना चूड़ीदार पायजामा है। जबकि औला चमड़े का बना मोटा जूता है। ठोउड़ा

खेलते समय इन अस्त्र-शस्त्रों से बचने के लिए उक्त पोशाक का होना आवश्यक है। इसके अभाव में ठोउड़ा खेलना वर्जित है क्योंकि इसके अभाव में शारीरिक चोट लग सकती है, जो प्राणघातक भी हो सकती है।[33]

ठोउड़ा से अभिप्राय यह है कि ठोउड़ा को सामान्यत: तीर अथवा बाण को स्थानीय भाषा-बोली में शरू या शरी कहते हैं। जब कमान में तीर अथवा बाण को जोड़ीदार पर प्रहार हेतु साधा जाता है, और पिण्डली पर निशाना लगाते हैं, तो उसे ठोउड़ा कहते हैं। लोक मान्यतायें है कि ठोउड़ा प्राचीन काल में युद्ध प्रशिक्षण का एक रूप माना जाता है। यह भी मान्यतायें है कि यह मेला वीर राजपूतों का था, जो अपने अस्त्र-शस्त्र-तीर-कमान और फरसा लेकर अपनी बहादुरी का राग अलापते हुए युद्ध स्थल पर कूच करते थे।[34] कालान्तर में युद्ध स्थल का स्थान मेले स्थल ने ले लिया जो लोगों के बीच भाई-चारे का प्रतीक एवं संस्कृति के आदान-प्रदान का माध्यम बन गया। यही कारण है कि आज भी ठोउड़ा उत्सव सम्बन्धी नियम-कानूनों का अनुशासन के साथ पालन किया जाता है।[35]

ठोउड़ा उत्सव सम्बन्धी नियम-कानूनों का विशेष महत्व है सर्वप्रथम ठोउड़ा वर्ण-व्यवस्था अथवा जाति व्यवस्था के आधार पर खेला जाता है। ये अपने भाई-बन्धु के साथ भी नहीं खेला जाता है। उल्लेख है कि ठेाउड़ा प्रतियोगिता में दोनों प्रतिद्वन्दी एक ही परिवार व खानदान के लोगों के बीच खेला जाता है, जो लोक मान्यताओं और उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सत्य नहीं है।[36] ठोउड़ा ब्राहमण-राजपूत जातीय श्रेष्ठता तथा समाज में उच्च स्थान व प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण दलितों के साथ नहीं खेला जाता है। हिन्दू शास्त्रों एवं परम्पराओं के अनुसार क्षत्रीय ब्राहमण पर प्रहार नहीं करता है। यही कारण है कि ब्राहमणों और राजपूतों के बीच ठोउड़ा नहीं खेला जाता है। ठोउड़ा एक-दूसरे गांव, खतों एवं शांठी-पांशी लोगों के बीच सामान्यत: खेला जाता है।[37] शांठी-पांशी से तात्पर्य कौरवों और पाण्ड्वों के समर्थक लोगों से है। ठोउड़ा (तीर) लगाने के भी स्पष्ट नियम होते हैं। यह केवल घुटने से नीचे और टकने से ऊपर टांग पर लगाने का नियम होता है अर्थात् पिण्डली मुख्यत: इसका केन्द्र अथवा लक्ष्य होता है।[38]

ठोउड़ा उत्सव में वाद्य-यन्त्रों का विशेष महत्व होता है। ठोउड़ा उत्सव की विशेष धून या ताल को स्थानीय भाषा बोली में 'ठोइड़ाच' या ठड्येर ताल कहते हैं। इस ताल का ठोउड़ा खेलते समय प्रतियोगी (ठोटोरी) पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठोउड़ा उत्सव में महारत हासिल योद्धा प्रतिभाग लेता है, जो ठोउड़ा खेल में पारंगत और निपुण होता है। ठोउड़ा उत्सव में कुशल और अनुभवी प्रतियोगी के साथ नौसिखिया भी स्वंय को जोश और आवेग में आकर नहीं रोक पाते हैं। इसमें मेहमान खत और मेजवान खतों के गांव के प्रतियोगी (ठोठोरी) भाग लेते हैं। मेजवान खत के गांव एक दूसरे से पहले मैदान में कूद पड़ने को उत्साहित रहते हैं। तथा 'शांठी-पांशी रे खेलटू' हास्यपूर्ण नृत्य के साथ मैदान में ललकार भरते हुये कूद पड़ते हैं। प्रतियोगी मैदान में एक दूसरे को मुकाबले के लिये आमन्त्रित करते हैं। जब 'शांठी-पांशी' अथवा खस राजपूतों के मध्य मुकाबला होता है, तो एक दूसरे पर ठोउड़ा (तीर) के प्रहार के साथ-साथ व्यंग्यों और वक्तव्यों का भी मनोवैज्ञानिक प्रहार करते हैं। इस स्थिति में सुअवसर मिलने पर एक प्रतियोगी स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट दिखाने का जोर-शोर के साथ अथक प्रयास करते हैं।[39]

ठोउड़ा उत्सव वस्तुत: पहाड़ी जन जीवन की शताब्दियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता

का ताना-बाना है। यह लोक जीवन में वीरत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इसमें प्राचीन युद्ध विधा और व्यूह-रचना का जीता-जागता उदाहरण परिलक्षित होता है। साथ ही यह पहाड़ी जनमानस के लिए तीरअन्दाजी का उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। आधुनिकता से पूर्व धनुष-बाण की लड़ाई और हिंसक पशुओं से रक्षा का यह एक मात्र साधन था। कालान्तर में ठोउड़ा उत्सव का सम्बन्ध केवल टांगों या पैरों पर निशाने बाजी का एक मात्र मनोरंजन के साधन के रूप में रह गया है।[40]

विद्वानों के अनुसार धनुष-बाण की यह प्रचलित परम्परा महाभारत के युद्ध का एक प्रतीकात्मक रूप है। यह खेल जौनसार-बावर, रँवाई, जौनपुर, तथा हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला व सिरमौर जनपदों के दूरस्थ गांवों में भी खेला जाता है। इन क्षेत्रों में दो पृथक-पृथक परिवारों के वंशजों को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। जिन्हें 'पाशा' (पाण्डवों के वंशज) एवं 'शाठा' (कौरवों के वंशज) कहते हैं। परन्तु इस क्षेत्र के लोग कौरवों और पाण्ड्वों के वंशज नहीं है। ये लोग केवल इनकी अलग-अलग विचारधारा के समर्थक थे न कि उनके वंशज थे। मान्यता है कि ये योद्धा परिवार जौनसार-बावर, सिरमौर, शिमला व बंगाण आदि क्षेत्रों में आकर बस गये। कालान्तर में वे लोग शांठी-पाांशी के रूप मे विख्यात हुए। वर्तमान में इस युद्ध खेल को जीवित रखते हुए इसे नृत्य शैली में संरक्षित रखा गया है। आज भी यहां लोक परम्पराओं के आधार पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह धनुष-बाण का यह युद्ध-नृत्य जारी है।[41]

तान्दी नृत्यों का परिदृश्य– विशू मेले स्थल पर जिधर देखो रौनक ही रौनक का माहौल नजर आता है। एक तरफ ठोउड़ा उत्सव मेले का मुख्य आकर्षण है, तो बच्चों का कौतुहल सातवें आसमान पर होता हैं वहीं दिन भर दूसरी और महिलायें (रणटुड़ी) व लड़कियाँ (ध्याणटुड़ी) पारम्परिक लोक गीतों का समा बांधती है।[42] मेले में युवक-युवतियाँ एवं पुरूष-महिलायें दोनों वर्ग पृथक-पृथक समूहों में विभाजित होकर सामूहिक लोकगीत व लोकनृत्यों का आयोजन करते हैं। इन लोकगीतों में मुख्यतः झुमैलौ, तांदी, बाजूबन्द, हारूल और इनके ताल के साथ-साथ नृत्य के पदचापों का अनुठा समायोजन देखने को मिलता है। इन गीतों में प्रत्येक कार्य, दुर्घटना, विषाद, हर्ष, व्यापार, विछोह, मिलन आदि की सहज अभिव्यक्ति होती है। इस मेले में विभागीय स्टॉल, खेलकूद प्रतियोगितायें एवं लोकगीत व नृत्य की सांस्कृतिक प्रतियोगितायें आदि गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ही लोकगीत व लोकनृत्य अपनी परम्परा के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रतियोगिता के रूप में धनुष-बाण का खेल (ठोउड़ा) खेला जाता है।[43] ठोउडा उत्सव समाप्त होने पर मुख्य मेले स्थल पर महिलायें पारम्परिक झैंता और रासो तान्दी नृत्य करती हैं। इन तान्दी नृत्यों का अपना सांस्कृतिक महत्व है, जो निम्नलिखित हैं। -

रासो व झैता लोकनृत्य– रासो पारम्परिक तांदी नृत्य है यह तान्दी नृत्य केवल ढोल दमाऊ की थाप पर तान्दी बनाकर महिलायें हाथों की कलाइयों से करती हैं। इस नृत्य में हाथों की कलाकारी और आँखों के ताल-मेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस नृत्य में महिलायें अपने कला-कौशल को दिखाने के लिए पीछे नहीं रहती। विशू मेले में महिलाओं के इस सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य करते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मानों मेले स्थल पर केवल महिलाऐं परियों के रूप में नृत्य कर रही हैं। महिलायें तान्दी बनाकर दोनों हाथों से व कमर झुकाकर यह नृत्य करती हैं तथा इसकी ताल ढोल-दमाऊ से दी जाती

है। धीमी गति का यह नृत्य बहुत समय में तान्दी का एक चक्कर पूरा कर पाता है। मेला स्थल इस तान्दी नृत्य के आकर्षक और मनमोहक दृश्य से मन्त्र-मुग्ध हो उठता है। साथ ही चारों तरफ की चहल-पहल एवं शोर-शराबा शान्त प्रतीत होता है। झैंता नृत्य जौनसार-बावर का एक प्रसिद्ध व आकर्षक नृत्य है। यह नृत्य लगभग सभी मेलों में किया जाता है परन्तु विशू मेले में इसका विशेष महत्व है। इसमें महिलायें पारम्परिक परिधानों से सुसज्जित होकर तान्दी नृत्य में शामिल होती हैं। महिलायें बायें हाथ से तान्दी को जोड़ती हैं और दायें हाथ से कमर झुकाकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य ढोल-दमाऊ व पारम्परिक लोकगीत के साथ किया जाता है।[44]

घुंडिया रासो लोकनृत्य– विशू मेले का समापन परम्परागत रूप से 'घुण्डिया रासो' तान्दी लोकनृत्य द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरूष ही पुरूष पारम्परिक सफेद पोशाक पहनकर भाग लेते हैं। इस पोशाक को स्थानीय भाषा-बोली में 'जुड़ो' या 'चोड़ना' कहते हैं। पोशाक के साथ कमर में लाल, पीले एवं हरे रंग की चादर गले में मफलर की भाँति लपेटी जाती है। इस नृत्य में सभी लोग नाचने के लिये ढ़ाल, तलवार और फरसा आदि अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करते हैं। यह नृत्य ढोल-दमाऊ की विशेष ताल 'घीं' के साथ किया जाता है। स्थानीय भाषा में इस ताल को 'घीं' कहा जाता है। यह लोकनृत्य अर्द्धवृत्ताकार तान्दी बनाकर किया जाता है। नृत्य करते समय सभी लोग एक स्थान पर रूककर बायें पैर के घुटने पर दायें पैर के टखने को रखकर आसमान में अस्त्र-शस्त्र लहराते हैं। यह क्रम बारी-बारी से चलता रहता है। इसका प्रतिनिधित्व गांव या खत के स्याणा (मुखिया) द्वारा किया जाता है। केवल खत के स्याणा के पास एक हाथ में ढ़ाल और दूसरे हाथ में तलवार होती है जबकि अन्य लोगों के पास केवल तलवार या फरसा में से एक ही शस्त्र होता है। इस नृत्य का अपना सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व है साथ ही इसका व्यक्ति विशेष के जीवन-मरण से गहरा सम्बन्ध है। किसी व्यक्ति (पुरूष) की मृत्यु होने पर उसे यह सफेद पोशाक पहनाकर इस तान्दी नृत्य की मुख्य 'घीं' ताल के साथ उसका मृत शरीर गांव से विदा किया जाता था। इसीलिये इस पोशाक और 'घीं' ताल का जीवन-मरण से निकट का सम्बन्ध था। नब्बे के दशक से इस परम्परा अथवा प्रथा का प्रभाव समाज में कम होने लगा। कालान्तर में यह प्रथा समाप्त हो गयी।[45]

मेले का आर्थिक विश्लेषण– विशू मेले का यह पर्व सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है। मेले के इस अवसर पर जौनसार-बावर व समीपवर्ती क्षेत्र के लोग कृषि कार्य समाप्त करने के पश्चात् मनोरंजन, परस्पर मिलन व आराम करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर मेले का आयोजन कर भरपूर आनन्द लेते हैं। प्राचीन समय से विशू मेले से पूर्व आवश्यक सामग्री का क्रय-विक्रय वस्तु-विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। परन्तु आधुनिकता के प्रभाव के कारण विशू मेले में हस्तशिल्प व स्वयं निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं व्यापार होने लगा जबकि पहले मेले के दिन व्यापार के प्रदर्शन पर सामाजिक विधि-विधान व आर्थिक जुर्माने के साथ प्रतिबन्ध था। माना जाता है कि व्यवसाय व व्यापार से मेले का महत्व कम होता रहा साथ ही मेले स्थल पर लोगों का ध्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम से हटकर दुकान व खाद्य सामग्री की तरफ आकर्षित होने लगा। इस अवसर पर लोग देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना के साथ-साथ नयी फसल से बनाये गये खाद्य व्यजंन भेट

स्वरूप मन्दिर में चढ़ाये जाते हैं।

विशू मेले में आधुनिक समय के साथ स्थानीय व समीपवर्ती बाजार या कस्बों के व्यापारियों द्वारा मेले स्थल पर चाय, पकोड़ी, बीड़ी, तम्बाकू, मिठाइयाँ कुल्फी, छोले-बटुरे, समोसे, फलों का जूस, गिल्टा व खेती के उपकरण आदि की दुकाने लगती है। इन दुकानों से व्यवसायी मेले के अवसर पर एक ही दिन में हजारों रूपये तक कमा लेते हैं। हालांकि विशू मेले के अधिकार क्षेत्र के गांव-खत के लोग उनसे कर वसूल करते हैं। साहिया, चकराता, कालसी व विकासनगर से व्यापारी वर्ग मेले स्थल पर दुकानों को लाकर सजाते हैं। समस्त गांव व खतों के विभिन्न लोग जन समूह के साथ मेले स्थल पर पहुँचते हैं। किन्तु दूरस्थ गांव व नगरीय क्षेत्रों से रूट के परिवहन व अपने निजी वाहनों द्वारा मेले में पहुँचते हैं जिससे वाहन मालिकों को भी रोजगार के स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। इस मेले में बहुत अधिक संख्या में वाहन मालिक रोजगार के कारण भाग लेते हैं।[46]

मेले का स्वरूप– विशू मेले के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों और लेखकों ने अलग-अलग ढंग से उल्लेख किया है। डी0 डी0 शर्मा का मत है कि हिमाचल प्रदेश के जूब्बल गांव और जौनसार-बावर में विशू मेला दो खतों अथवा खस राजपूतों (खुन्दों) के मध्य आयोजित होता है।[47] सिरमौर जिले में रैंजटे[48] के विशू मेले का ऐसा ही वर्णन एम0 आर0 ठाकुर द्वारा किया जाता है। खून्द (खस राजपूतों) का सम्बन्ध केवल देशमौण से है। विशू मेले के सम्बन्ध में खून्द शब्द का उल्लेख करना सही नहीं है। जैसा कि देश शब्द से स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत एक विस्तृत क्षेत्र आता है। जिसमें बहुसंख्य खून्द अर्थात् शांठी-पांशी मुल्क के खून्द (खस राजपूत) भाग लेते हैं। जबकि विशू मेला केवल कुछ गांव या एक-दो खतों तक सीमित होता है। परन्तु भोपाल सिंह द्वारा उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विशू मेला न केवल दो खतों के मध्य आयोजित होता है बल्कि एक-दो गांव के द्वारा भी विशू मेला आयोजित होता है। विशू मेला वस्तुतः 3 से 4 दिन तक आयोजित होता है।[49]

लोक मान्यताओं और परम्पराओं के आधार पर भी शर्मा और ठाकुर द्वारा किया गया वर्णन सन्देह पूर्ण लगता है। मान्यता है कि विशू मेले का स्वरूप गांव-खत की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के साथ-साथ आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मेले का स्वरूप जितना बड़ा होगा उसका महत्व भी उतना ही आधिक होगा। मेले के स्वरूप से तात्पर्य इसमें शामिल गांव-खतों से है अर्थात् इसमें एक गांव, खत के कुछ गांव, और एक या एक से आधिक खतों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अधिकांश मेलों का स्वरूप एक खत की भौगोलिक सीमा तक सीमित रहता है, क्योंकि उस गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परायें और रीति-रिवाज एवं आर्थिक स्थिति समान होती है। हालांकि विशू मेले में निकट के गांव खतों के लोग भी मनोरंजन हेतु शामिल होते हैं। कभी-कभी चालदा महाराज के भ्रमण क्षेत्र में कई खतों का जमावड़ा होता है। ऐसी स्थिति में विशू मेले का स्वरूप व्यापक हो जाता है।[50]

परिवर्तनशील तत्वों की प्रवृतियाँ– प्राचीन काल से मेले समाज में लोक संस्कृति के वाहक और परस्पर मिलन के मुख्य केन्द्र रहे हैं। वह काल जब परिवहन व संचार के आधुनिक साधनों का अभाव था अर्थात् इनका विकास नहीं हुआ था। लोग इन मेलों के माध्यम से अपनी संस्कृति का आदान-प्रदान, अपने ईष्ट मित्रों से मिलते थे, और

एक-दूसरे के साथ सुख-दु:ख बांटते थे। उस समय मेले में गांव-खातों की अच्छी भागीदारी रहती थी। लोगों को इन मेलों का बेसब्री से इन्तजार लम्बे समय से होता है। आधुनिकता के दौर में बढ़ते पलायन तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव व प्रवेश के साथ मेले की मौलिकता का स्वरूप व प्रकृति का रूप कृत्रिमता ने ले लिया है। परिणामस्वरूप लोगों का इन मेलों के प्रति लगाव, रूचि व आकर्षण कम होने लगा है। इसमें आम लोगों की सहभागिताा व भूमिका अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है। युवा पीढ़ी में अपनी परम्परागत वेशभूषा व चाल-चलन का प्रचलन भी बदल रहा है। अब बहुत कम लोगों द्वारा ही अपनी परम्परागत वेशभूषा व खान-पान का प्रचलन समाज में देखने को मिलता है।

लोकगीतों व लोकनृत्यों में अश्लीलता का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मेले में वीरगाथाओं (हारूल) के साथ खेला जाने वाला रोमांचकारी खेल 'ठोउड़ा' का प्रचलन भी धीरे-धीरे कम हो गया है क्योंकि इस खेल में कुशल धनुर्धर अब गांव-खत में बहुत कम रह गये हैं। यह खेल जौनसार-बावर, रँवाई व जौनपुर आदि क्षेत्रों के कुछ-कुछ गांव तक सीमित रह गया है। इन मेलों में प्रस्तुत होने वाले स्थानीय लोकनृत्यों में धुम्मसू, झैंता, रासौ, तांदी व ठोउड़ा नाट्य-कला मुख्य है। किन्तु आधुनिक पॉप संगीत एवं फिल्मी गीतों के नकारात्मक प्रभाव से ये सब अपना अस्तित्व निरन्तर खोते जा रहे हैं। मेले में ग्रामीणों द्वारा तैयार की गयी परम्परागत वस्तुओं व सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रदशर्नियों का भी अभाव रहता है।

उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात् इन मेलों में विधायकों एवं मन्त्रियों का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। विभिन्न स्थानों पर लगने वाले विशू मेले के उद्घाटन में मंत्रियों को आमंत्रित किया जाना आवश्यक समझा जाता है। परन्तु यहां की लोक संस्कृति को संरक्षित रखने एवं मेलों को बहुआयामी रूप देने का कोई प्रयास सरकारी व गैर-सरकारी स्तर पर नहीं किया जा रहा है।[51]

निष्कर्ष– निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि विशू पर्व का समाज में अपना सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व है। विशू मेला, मेलों का मेला और लोक संस्कृति के वाहक का एक सशक्त माध्यम है तथा लोक संस्कृति के परिष्करण का दर्पण है। यह मेला पारम्परिक लोक संस्कृति का सजीव और जीवन्त स्वरूप है। विशू मेले की समस्त गतिविधियों मे शामिल कार्यक्रम में समाज के सम्पूर्ण रीति-रिवाजों, परम्पराओं व विधि-विधान का स्वरूप व प्रकृति का स्पष्ट चित्र परिलक्षित होता है। इस मेले से परस्पर सामाजिक जागरूकता और संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। साथ ही इसमें लोक आस्था व विश्वास की भावना सतत् रूप से वर्द्रित होती है। मेले का स्वरूप गांव, खातों के समान रीति-रिवाजों व परम्पराओं पर निर्भर होता है। परन्तु इसकी प्रकृति त्यौहारों व मेलों पर आधारित है। आधुनिकता के प्रभाव के कारण विशू मेले के स्वरूप व प्रकृति तथा महत्त्व में परिवर्तन होने लगे और मेले के आयोजन और मनाने के तौर-तरीके में परिवर्तन होने लगे, परन्तु विकृति से दूर रहने के लिये समाज में वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रयास जारी है। नब्बे के दशक तक सम्पूर्ण क्षेत्र में विशू मेले का स्वरूप अधिकांशत: पूर्ववर्त बना रहा परन्तु तकनीकी विकास और रोजगार के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के कारण विशू मेला अपना स्वरूप और महत्त्व निरन्तर खोने

लगा। यही कारण है कि वर्तमान में विशू मेला केवल गांव तक सीमित रह गया और वह भी केवल वैशाख संक्रान्ति तक सीमित है। इसीलिए आज विशू मेले की प्रासांगिकता, सार्थकता एवं लोकप्रियता कम होने लगी है।

=================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1 एटकिन्सन, एडविन्न टी0, 1990, हिमालय गजेटियर, देहरादून, पृष्ठ 320-321

2 जोशी, के0 आर0, 1975, जौनसार बावर का संक्षिप्त परिचय, पृष्ठ 1

3 नैथाणी, शिव प्रसाद, 2010, उत्तराखण्ड गाथाओं का रहस्य, श्रीनगर गढ़वाल, पृष्ठ 293

4 जोशी, के0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 1

5 रावत, प्रहलाद सिंह, 1985-86, गढ़-सुधा, चण्डीगढ़, पृष्ठ 24

6 कश्यप, पदम चन्द्र, 2003, भारतीय संस्कृति और हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, पृष्ठ 1

7 एटकिनसन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 113

8 शर्मा0, डी0 डी0, 2006, हिमालय के खश, नैनीताल, पृष्ठ 19

9 शर्मा, डी0 डी0 ,शर्मा, मनीषा, 2015,,उतराखण्ड का सामाजिक एवं सांम्प्रदायिक इतिहास पृष्ठ-21

10 कुँवर, कमलेश, 2012, यमुना बेसिन (गढ़वाल हिमालय) का सांस्कृतिक भूगोल नई दिल्ली, पृष्ठ 6-8

12 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 214

13 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 226

14 राणा, जयपाल सिंह 2008, जौनसार-बावर का परिचय, देहरादून, पृष्ठ 134

15 शर्मा, डी0 डी0, 2013, उत्तराखण्ड़ का ज्ञान कोष, नैनीताल, पृष्ठ 662

16 शर्मा, डी0 डी0, 2007, उत्तराखण्ड़ के लोकोत्सव एवं पर्वोत्सव, नैनीताल, पृष्ठ 138

17 राणा, जयपाल सिंह, 2008, जौनसार-बावर का परिचय, देहरादून, पृष्ठ 40, 47

18 शर्मा, डी0 डी0, 2006, पूर्वोक्त, पृष्ठ 130

19 ठाकुर, एम0आर0, 1981, हिमाचल के लोकनाट्य और लोकानुरंजन, दिल्ली, पृष्ठ 54, 55

20 सिंह, भोपाल, 2009, जौनसार-बावर के सुपुत्र, दिल्ली, पृष्ठ 90

21 कश्यप, पदमचन्द्र, पूर्वोक्त पृष्ठ 64-65

22 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त 2001, पृष्ठ 213

23 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त पृष्ठ 300

24 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 301

25 कुवँर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 301

26 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 302

27 ठाकुर, एम0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 54, 55

28 19 मई, 2016 को ग्राम बुल्हाड़ के विशू का सर्वेक्षण

29 कश्यप, पदमचन्द्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ 64, 65

30 सर्वेक्षण, पूर्वोक्त

31 रावत, सुभाष, 2001, मेले और उत्सव परम्परा, पौड़ी गढ़वाल, पृष्ठ 153

32 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 303

33 सिंह, भोपाल, पूर्वोक्त पृष्ठ 91

34 रावत, सुभाष, पूर्वोक्त, पृष्ठ 92

35 सिंह, भोपाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 92

36 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 303

37 सिंह, भोपाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 91

38 ठाकुर, एम0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ58
39 ठाकुर, एम0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58
40 ठाकुर, एम0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58
41 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त पृष्ठ 303, 304
42 रावत, सुभाष, पूर्वोक्त, पृष्ठ 152
43 कुँवर, कमलेश, पर्वोक्त पृष्ठ 302, 303
44 मनमौजी, सुरेश, आपणा रिवाज, देहरादून, पृष्ठ 25, 26
45 मनमौजी, सुरेश, आपणा रिवाज, देहरादून, पृष्ठ 25-26
46 कुँवर, कमलेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 304
47 शर्मा, डी0डी0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 134, 137
48 ठाकुर, एम0आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58
49 सिंह, भोपाल पूर्वोक्त, पृष्ठ 53
50 19 मई, 2016, ग्राम बुल्हाड के विशू मेले का सर्वेक्षण
51 कुँवर, कमलेश, पृष्ठ 305, 306

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

सारण जनपद में भूमि उपयोग के परिवर्तित प्रारूप का कृषि पर प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण

* सिम्की कुमारी

सारांश– *प्रस्तुत शोध पत्र सारण जनपद में भूमि उपयोग के परिवर्तित प्रारूप का कृषि पर प्रभाव के विश्लेषण पर लक्षित है। क्षेत्र में वृद्धिगत जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में होने वाले परिवर्तन तथा तद्नुसार कृषि, परिवहन एवं आवास के लिए होने वाली मांग में वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन यहाँ अब एक अनिवार्य प्रघटन है। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार मानव एवं भूमि के बीच बिगड़ते अन्तर्सम्बन्ध की परिणति है। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से उसमें स्थानिक–कालिक भिन्नतायें भी विद्यमान है। फलतः मानव–भूमि अन्तर्सम्बन्धी में परिवर्तन ज्वलन्त रूप से हुआ है। शोध पत्र में भूमि उपयोग के अद्यतन द्वितीयक आँकड़े जिला सांख्यिकी विभाग से उपलब्ध किये गये हैं व इसमें प्रयोग किया गया विधितंत्र मात्रात्मक, गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक हैं।*

मुख्य शब्द– भूमि उपयोग, कृषि, प्रभाव, ज्वलंत, मानव–भूमि, अन्तर्सम्बन्ध।

अध्ययन क्षेत्र– वर्तमान सारण जनपद 266.76 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में 25°36' उत्तरी अक्षांश से 26°13' उत्तरी अक्षांश एवं 84°34' पूर्वी देशान्तर से 85°16' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा गंगा एवं घाघरा नदियाँ संयुक्त रूप से बनाती हैं जबकि पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी द्वारा होता है। एक त्रिकोण के आकार में पश्चिम से इसका आधार (Base) सिवान एवं गोपालगंज जिलों से मिलने वाली कृत्रिम सीमा से बना है, जबकि शीर्ष (Apex) पूर्व में गंगा एवं गंडक नदियों के संगम बिन्दु से निर्मित है। यहाँ पटना एवं वैशाली जिलों की सीमायें भी मिलती है। घाघरा उस पार बलिया (उत्तर प्रदेश) एवं भोजपुर (बिहार) जनपद अवस्थित है, जबकि गंडक पर मुजफरपुर एवं वैशाली जिलों का प्रसार है।

संकल्पना– मानव-भूमि अन्तर्सम्बन्ध गत्यात्मक है, क्योंकि गत्यात्मकता जनसंख्या का एक अपरिहार्य गुण है। बढ़ती संख्या के साथ बढ़ती आवश्यकतायें भूमि उपयोग में लम्बवत् तथा क्षितिजवत प्रसार का नेतृत्व करती है। आधुनिक भग्नावशेष विलोपन के ही उदाहरण है। अर्थात् भूदृश्य का रूपान्तर व भूमि उपयोग में परिवर्तन द्वारा सम्पन्न होता है। इस अर्थ में मानवीय आवश्यकताओं (भौतिक एवं आध्यात्मिक) की पूर्ति हेतु प्राकृतिक तथा कृत्रिम संसाधनों के संश्लिष्ट में किया गया हस्तक्षेप भूमि उपयोग कहलाता है। (विंक, ए0पी0, एवं 1975)। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक भूद्श्य का सांस्कृतिक भूदृश्य में किया गया रूपान्तरण भूमि उपयोग प्रक्रिया की एक परिणति है। मानव अपनी प्रवृति तथा

• शोध छात्रा, भूगोल विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

बढ़ती हुई संख्या तथा बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध प्राविधिकी एवं प्रौद्योगिकी के सहारे प्रकृति प्रदत साधनों का दोहन तथा संरक्षण करता है। इनका प्रभाव भूमि उपयोग के बढ़ते हुए क्षेत्रीय आच्छादन तथा उपयोग में क्रमश: अतिविविधता तथा भिन्नता के रूप में प्रस्फुटित होती है।

द्रष्टव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्नांकित है :-

1. वन
2. कृषि के लिए अप्राप्य भूमि
   (अ) गैर कृषि उपयोग में प्रयुक्त भूमि
   (ब) बंजर एवं अकृषित भूमि
3. परती के अतिरिक्त अन्य अकृषित भूमि
   (अ) स्थायी गोचर एवं चारागाह
   (ब) अन्य वृक्ष, फसलों एवं झुरमुट जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं
   (स) कृषि योग्य बर्बाद भूमि
4. परती भूमि
   (अ) चालू परती के अतिरिक्त परती
   (ब) चालू परती
5. शुद्ध बोयी गयी भूमि

बिहार सरकार के सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ने उपरोक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित वर्गीकरण को बिहार राज्य के लिए अपनाया है :-

1. शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Area Sown)
2. चालू परती (Current Fallow)
3. पुरानी परती या अन्य परती (Od Fallow)
4. झुरमुट या बगीचे (Orchards and Groves)
5. कृषि के लिए अयोग्य (Unculturable land)
6. कृषि योग्य बर्बाद भूमि (Culturable waste)
7. कृषि के लिए अप्राप्य भूमि (Land not available for Cultivation)
8. चारागाह एंव गोचर भूमि (Pastures and Grazing land)
9. वन (Forest)

उपरोक्त वर्गों का अध्ययन की दृष्टि से झा.बी. एन. (1979) द्वारा दो वर्गों जोत योग्य (Arable) एवं गैर जोत योग्य (Non arable) तथा सिंह आर. एन. (1978) द्वारा कृषीय (Agricultural) तथा गैर कृषीय (Non-Agricultural) वर्गों में रखा गया है।

अध्ययन का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि उपयोग के परिवर्तित प्रारूप का कृषि का भूमि पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। साथ ही साथ ऐसी भूमि में कृषि कार्य की संभावनाओं की खोज करना जिसका उपयोग किन्ही कारणवश कृषि जोत हेतु नहीं किया जा सका है इसका उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार होगा।

विधितंत्र– प्रस्तुत शोध प्रपत्र में शोध कार्य के लिए द्वितीयक आँकड़े का उपयोग किया गया है, जिसका स्त्रोत्र जिला सांख्यिकीय विभाग से जीन्सवार के सहायता से भूमि उपयोग प्रतिरूप से सम्बंधित आँकड़े 1980-81 एवं 2012-13 का विस्तृत अध्ययन किया गया है तत्पश्चात् आँकड़े का परिकलन कर मात्रात्मक, गुणात्मक एवं अवलोकन कर एवं विश्लेषणात्मक में विधितंत्र का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या–

भूमि उपयोग की परिवर्तनीयता–

सारण जनपद की भौगोलिक दशाओं (धरातल, जलवायु, मिट्टी एवं जल प्रवाह) में पायी जानेवाली स्थानिक भिन्ताओं का प्रभाव भूमि उपयोग की स्थानिक परिवर्तनीयताओं में परिलक्षित होना स्वाभाविक है, हालांकि गंगा-गंडक दोआब जैसे एक छोटे भू-भाग में धरातल एवं जलवायु की दृष्टि से पायी जानेवाली स्थानिक भिन्नतायें सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हैं। लेकिन जल प्रवाह का नियंत्रण भूमि की कृष्यता (Cultivability) को अवश्य ही प्रभावित करती है। यद्यपि गंगा-गंडक नदी के समीपस्थ संघटकों में भूमि उपयोग का प्रारूप जनपद के मध्यवर्ती भाग की तुलना में भिन्न है। विगत 30-32 वर्षो (1980-81 एवं 2012-13) की अवधि में परिवर्तित भूमि उपयोग का प्रारूप का आलेख तालिका-1 में प्रस्तुत है।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Area Sown)

तालिका-1 खण्ड 5 के निरीक्षण से स्पष्ट है कि दिया गया परिवर्तन का परमाण ध्यानाकर्षण योग्य है। शुद्ध बोयी गयी भूमि का क्षेत्रीय औसत अच्छादन में 2.57 प्रतिशत का ह्रास प्रदर्शित है। स्थानिक स्तर पर 70 प्रतिशत का ह्रास द्रष्टव्य है। तथापि 30 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्फूटित है।

चालू परती (Current Fallow)

तालिका-1 के खण्ड 8 के झलक मात्र से स्पष्ट होता हे कि चालू परती क्रमशः 1.71 प्रतिशत के अच्छादन द्वारा संकुचन का शिकार है। स्थानिक स्तर पर 65% संकुचन द्रष्टव्य है जबकि 35% का वृद्धि स्पष्ट होता है।

पुरानी परती (Old Fallow)

उक्त तालिका-1 खण्ड 11 के देखने मात्र से स्पष्ट होता है कि सारण जनपद में पुरानी परती भूमि का 1.25 प्रति ह्रास द्रष्टव्य है। ज्ञातव्य है कि क्षेत्र में 7 संघटक ह्रास दर का परिदृश्य परिलक्षित करते हैं जबकि 13 संघटक में वृद्धि का परिदृश्य विद्यमान है।

झुरमुट एवं बगीचे (Orchards and Groves)

तालिका 1 के खण्ड 14 के झलक से स्पष्ट होता है कि झुरमुट एवं बगीचे भूमि का आच्छादन का परिवर्तित प्रतिरूप का सकारात्मक परिवर्तन 0.36 प्रतिशत विद्यमान है। स्थानिक भिन्नता के रूप में 50% संघटकों में ह्रास विद्यमान है। जबकि 50% संघटकों में सकारात्मक सुधार देखा गया है।

कृषि के लिए अयोग्य भूमि (Unculturable land)

कृषि के लिए अप्राप्य भूमि का क्षेत्रीय स्तर औसत 2.02 प्रतिशत का परिवर्तन विद्यमान है जबकि 9 अंचलों में ह्रास 9, 11 अंचलों में सकारात्मक सुधार विद्यमान है। (तालिका-1 के खण्ड 17)

तालिका-1

सारण जनपद : परिवर्तित भूमि उपयोग प्रारूप 1980-81 एवं 2012-13

सारण जनपद : परिवर्तित भूमि उपयोग प्रारूप 1980–81 एवं 2012–13

	भूमि उपयोग	X1			X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8			X9		
	अंचल	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन	1980–81	2012–13	परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	मशरक	68.11	56.47	-11.64	17.78	21.77	3.99	0.21	3.87	3.66	3.56	4.30	0.74	2.13	0.03	-2.10		0.81	0.81	8.21	11.77	3.56			0.00	0.00	0.00	0.00
2	पानापुर	68.1	56.40	-11.70	17.78	20.77	2.99	0.26	3.87	3.61	3.56	4.30	0.74	2.13	0.07	-2.06		0.18	0.18	7.21	11.77	4.56			0.00	0.00	0.00	0.00
3	तरैया	75.62	70.85	-4.77	8.45	3.53	-4.92	0.16	5.18	5.02	2.18	6.29	4.11	0.38	4.04	3.66		0.10	0.10	12.61	8.55	-4.06	0.60	0.20	-0.40	0.00	0.00	0.00
4	इसुआपुर	74.62	71.85	-2.77	9.45	2.53	-6.92	0.16	5.19	5.03	2.18	6.29	4.11	0.38	4.37	3.99		0.10	0.10	12.61	8.55	-4.06	0.60	0.20	-0.40	0.00	0.00	0.00
5	मढ़ौरा	75.77	67.90	-7.87	4.20	9.84	5.64	1.14	0.61	-0.53	4.05	3.69	-0.36	2.75	1.21	-1.54			0.00	12.09	16.75	4.66			0.00	0.00	0.00	0.00
6	अमनौर	81.72	78.14	-3.58	4.86	1.15	-3.71	0.53	0.52	-0.01	1.32	2.16	0.84			0.00		0.16	0.16	11.46	17.20	5.74	0.11	0.62	0.51	0.00	0.00	0.00
7	बनयापुर	75.69	74.37	-1.32	5.86	5.21	-0.65	2.53	0.52	-2.01	2.07	3.44	1.37	0.26	0.11	-0.15	0.20		-0.20	13.39	14.81	1.42		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
8	लहलादपुर	75.68	74.37	-1.31	5.86	5.21	-0.65	2.53	0.52	-2.01	2.07	3.44	1.37	0.26	0.11	-0.15	0.21		-0.21	14.39	13.81	-0.58		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
9	एकमा	79.57	78.11	-1.46	1.31	3.53	2.22		0.32	0.32	4.06	3.35	-0.71		1.13	1.13			0.00	15.06	13.48	-1.58			0.00	0.00	0.00	0.00
10	मांझी	75.79	73.75	-2.04	9.75	6.60	-3.15	0.26	0.89	0.63	2.13	1.89	-0.24	0.71	7.48	6.77	0.06	0.12	0.06	11.23	9.26	-1.97			0.00	0.00	0.00	0.00
11	जलालपुर	66.53	79.39	12.86	8.70	0.52	-8.18	9.61	1.20	-8.41	3.80	4.93	1.13	4.41	1.70	-2.71	0.07		-0.07	7.18	11.80	4.62		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
12	रिविलगंज	46.24	29.13	-17.11	4.98	6.81	1.83	17.81		-17.81	0.99	2.24	1.25	23.14	27.14	4.00	0.06	0.07	0.01	6.70	34.23	27.53	0.08	0.28	0.20	0.00	0.00	0.00
13	छपरा	47.77	57.87	10.10	2.96	1.54	-1.42	0.68	2.09	1.41	2.07	1.70	-0.37	1.72	6.24	4.52		0.59	0.59	11.15	29.82	18.67	0.07	0.17	0.10	0.00	0.00	0.00
14	नगरा	47.77	57.88	10.11	19.90	1.54	-18.36	0.67	2.09	1.42	2.07	1.70	-0.37	1.71	5.24	3.53		0.59	0.59	11.14	29.72	18.58	1.09	0.17	-0.92	0.00	0.00	0.00
15	मकेर	67.55	73.73	6.18	12.37	5.30	-7.07	3.54	3.83	0.29	4.41	2.69	-1.72	0.46	4.03	3.57	0.46		-0.46	11.08	10.51	-0.57	0.13	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00
16	परसा	66.55	75.73	9.18	13.37	3.30	-10.07	3.54	3.83	0.29	4.41	2.70	-1.71	0.46	4.04	3.58	0.46		-0.46	11.08	10.51	-0.57	0.13	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00
17	गरखा	83.54	83.39	-0.15	5.92	4.26	-1.66	0.11	0.16	0.05	1.00	1.04	0.04	1.08		-1.08		0.16	0.16	8.20	10.99	2.79	0.15		-0.15	0.00	0.00	0.00
18	दरियापुर	54.79	43.68	-11.11	12.97	22.53	9.56	18.82	3.59	-15.23	0.90	3.33	2.43	0.09	18.55	18.46			0.00	12.43	6.11	-6.32		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00
19	दिघवारा	43.22	44.85	1.63	7.68	4.46	-3.22	0.40	4.18	3.78	2.39	2.01	-0.38	30.45	17.11	-13.34	0.02	2.53	2.51	15.81	23.19	7.38	0.03	1.95	1.92	0.00	0.00	0.00
20	सोनपुर	42.71	18.27	-24.44	12.35	39.91	27.56	9.11	4.38	-4.73	7.82	2.75	-5.07	7.29	17.28	9.99	3.44		-3.44	17.50	17.46	-0.04	0.11		-0.11	0.00	0.00	0.00
		65.86	63.29	-2.57	10.22	8351.00	8340.78	3.59	2.34	-1.25	2.85	3.21	0.36	3.99	6.01	2.02	0.23	0.32	0.09	11.52	15.56	4.04	0.15	0.59	0.44	0.00	0.00	0.00

नोटः– X1 शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Area Sown) X2 चालू परती (current Fallow) X3 पुरानी परती (Old Fallow) X4 झुरमुट एवं बगीचे (Orchards and Croves) X5 कृषि के लिए अयोग्य भूमि (Unculturable land) X6 कृषि योग्य बर्बाद भूमि (culturable Waste Land) X7 कृषि के लिए अप्राप्य भूमि (land not available for cultivation) X8 चारागाह एवं गोचर (Pastures and Grazing Land) X9 वन (Forest)

कृषि योग्य बर्बाद भूमि (Culturable Waste Land)

तालिका -1 के खण्ड 20 के झलक मात्र से विदित होता है कि क्षेत्रीय औसत भूमि का अच्छादन का परिवर्तन प्रारूप सकारात्मक वृद्धि 0.087 प्रतिशत का परिगणित किया गया है। भिन्नता के रूप में 7 अंचलों में ह्रासोन्मुख परिवर्तन देखा गया जबकि 13 संघटकों में सुधारात्मक वृद्धि का परिदृश्य द्रष्टव्य है।

कृषि के लिए अप्राप्य भूमि (Land not Available for Cultivation)

कृषि के लिए अप्राप्य भूमि का परिवर्तिन प्रतिरूप का सकारात्मक वृद्धि 4.04 प्रतिशत परिगणित किया गया है जिसका तालिका-1 के खण्ड 24 में विदित होता है कि तथापि 9 अंचलों का ह्रास के रूप में परिवर्तन विद्यमान है जबकि 11 अंचलों में सुधारात्मक वृद्धि का परिदृश्य विद्यमान है।

चारागाह एवं गोचर (Pastures and Grazing Land)

तालिका-1 के खण्ड 26 के निरीक्षण मात्र से स्पष्ट होता है कि सारण जनपद के चारागाह एवं गोचर भूमि अच्छादन का परिवर्तित प्रतिरूप का सकारात्मक सुधार (वृद्धि) 0.44 प्रतिशत का आकलित किया गया है। क्षेत्र में लगभग 5 अंचलों का ह्रास जबकि 15 अंचलों में सुधारात्मक सुधार देखा गया है।

भूमि उपयोग प्रारूप में आया परिवर्तन निम्नांकित कारकों (तत्वों) का संकेतक है-

1. अनवरत रूप से सारण जनपद की वृद्धिगत जनसंख्या गैर-कृषीय कार्यों के लिए कृषीय भूमि का विस्तार को क्रमशः सीमित करने की ओर अग्रसर है।
2. अबाध रूप से बढ़ती जनसंख्या और संकुचित होती हुई कृषीय भूमि के बीच बढ़ते तनाव की दशा में परती भूमि में संकुचन एक बाध्यता है।
3. विविध वृक्ष एवं झुरमुट में अच्छादन में आयी प्रतिशत वृद्धि निःसंदेह वृक्षारोपण की बढ़ती लोकप्रियता का धोतक है। दूसरी ओर यह कृषि के लिए खेतिहर श्रमिकों की बढ़ती अनुपलब्धता का एक निदान भी है।
4. जनसंख्या के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप कृषि योग्य बर्बाद भूमि (तालिका-1) के प्रतिशत में आया।
5. गोचर एवं चारागाह (तालिका 1 में खण्ड 23) के क्षेत्र मे आया संकुचन कृषि के लिए बढ़ती हुई भूमि की भूख का सूचक है।
6. समग्र रूप से जनपद की भूमि उपयोग संरचना तनाव ग्रस्त है जिसमें कृषीय एवं गैर-कृषीय उपयोग वर्ग संघर्षरत है। इस संघर्ष की भूमिका मुख्य रूप से जनसंख्या के विस्फोट में विदित है।

कृषि पर प्रभाव-

अन्ततः जनसंख्या की दो गुणी से ढ़ाई गुणी वृद्धि के कारण ह्रसोन्मुख मानव भूमि अनुपात ने भूमि पर जनसंख्या के दबाव को बढ़ा दिया है। फलतः हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति एवं अब नूतन हरित क्रांति (New Green Revolution) का उद्घोष किया जाने लगा है। निश्चित रूप से क्षितिजवत एक लम्बवत विस्तार में कृषि भूमि की प्रगति प्रदर्शित है। लेकिन ऐसे विकास का परिणाम अति फसलीकरण (Over Cropping) एवं भूमि का अति उपयोग (Over use of land) है।

निष्कर्ष–

निष्कर्ष रूप में अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप से स्पष्ट होता है कि जनपद का अधकांश क्षेत्र कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जनपद के वन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नाम मात्र है, कृष्य परती भूमि एवं बंजर भूमि के अधिक से अधिक क्षेत्र को नियोजन द्वारा जोत के अन्तर्गत सम्मिलित करके कृषि क्षेत्र के अनुकूल किया जा रहा है साथ ही चारागाह तथा उद्यान कृषि का संरक्षण एवं क्षेत्र में भी वृद्धि किया जाये जिसके लिए परती भूमि के नियोजन पर बल दिया जाना चाहिए।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. विंक, ए. पी.ए., 1975,: लैंड यूज इव एडवांसिंग एग्रीकल्चर स्प्रिंगर वर्लाग, बर्लिन हेडेनबर्गा, न्यूयार्क।
2. झा.बी.एन.,1979 प्रोब्लम्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन: ए केश स्टडी ऑफ कोशी रीजन क्लासिकल पब्लिकेशन, न्यू देलही, पृ. 73।
3. सिंह, आर.एन., 1978: लैंड यूटिलाइजेशन इन मुजफपुर प्लेन, अप्रकाशित पी-एच.डी., शोध-ग्रंथ, बी.आर.ए.बी.यू.मुजफरपुर, पृ.-62

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

भारतीय फिल्मों में बढ़ता उपभोक्तावाद

• तनु डंग

सारांश– *शर्मिला टैगोर के काजल से श्रीदेवी की शिफॉन साड़ी तक राजेश खन्ना के कुर्ते पज़ामे से गोविन्दा के रंगीन कपड़ों तक, बॉलीवुड ने हमेशा भारतीय समुदाय के लिए फैशन, जीवन–शैली और सामाजिक संबंधों के पैमाने को तय किया है। भारतीय सिनेमा जो ब्रिटिश शासन के आधीन, भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से आरम्भ हुआ था तथा उनके मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण ज़रिया था, स्वाधीनता के बाद धीरे–धीरे एक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। एक फिल्म बनाने की कीमत हजारों से बढ़कर लाखों और लाखों से बढ़कर करोड़ों में हो गई। इससे फिल्म निर्माताओं का ध्यान आम जनता से हटकर उच्च–वर्ग की ओर आकृष्ट होने लगा जिसके चलते फिल्मों ने उच्च मध्यम–वर्ग एवं उच्च वर्ग की जीवन–शैली और फैशन का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। फिल्मों के इस नये दौर ने पिछड़े वर्ग एवं मध्यम–वर्ग के लोगों को पूंजीवाद और बाज़ारवाद के फिल्मी मायाजाल में बुनकर रख दिया। 70 और 80 के दशक तक भारतीय फिल्में मध्यम–वर्ग के जीवन और उससे जुड़े मुद्दों पर आधारित थी जिसमें मेलोड्रामा तो था लेकिन आज के दौर का ग्लैमर नही था। 90 के दशक में निर्माताओं को यह आभास हुआ कि भारतीय दर्शकों में यह क्षमता है कि वह इस फिल्म उद्योग को बड़े से बड़ा बना सकते हैं। उनकी इस समझ ने भारतीय सिनेमा में एक नए युग का आव्हान किया जो मुख्यतः शहरी कहानियों पर आधारित थी। यह फिल्में चमकदार, उपभोक्तावादी कल्पनाएं थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जीवन–शैली को दर्शाती एवं अपनाती, एक नवनिर्मित मध्यम–वर्ग की उत्पत्ति हुई। इस नये फिल्मी वर्ग ने जल्द ही भारत और विदेश के दर्शकों की कल्पना पर कब्ज़ा कर लिया। इसने भारतीय फिल्म उद्योग में नई उपभोक्तावादी वस्तुओं को भी जगह देनी शुरु कर दी। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य समाज में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने में बॉलीवुड फिल्मों की भूमिका का वर्णन करना है। कई लेखों की व्यापक समीक्षा के माध्यम से यह शोध पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि बॉलीवुड ने भारतीय समाज में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका निभाई है।*

मुख्य शब्द– भारतीय फिल्म उद्योग, सिने दर्शन, व्यावसायीकरण, उपभोक्तावाद, प्लेसमेण्ट, ब्राण्ड

प्रस्तावना– फिल्मों का भारतीय दर्शकों के दिलों में हमेशा से विशेष स्थान रहा है। भारत में प्रदर्शित पहली फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' ने फिल्मी पर्दे पर आते ही दर्शकों को

• सहायक प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिष्ती उर्दू अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

मन्त्रमुग्ध कर दिया था। शुरूआती दौर में फिल्मों की कहानी मुख्यत पौराणिक कथाओं और लोगों के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर केंद्रित थी,किन्तु फिल्मों के व्यवसायीकरण के बाद एक नये दौर का आरम्भ हुआ जिसमें दर्शकों ने अपने वास्तविक जीवन को फिल्मों की दुनिया के आधार पर ढ़ालना शुरू कर दिया। फिल्में भारत में मनोरंजन का एक उल्लेखनीय माध्यम है (पांडा, 2004)। जो अन्य चीजों के साथ-साथ संवाद के नये दृष्टिकोण, फैशन के बदलते रूझान और उत्पादकों के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने का काम भी करती हैं। भारतीय दर्शकों ने हमेशा स्वयं को सिनेमा के अभिनेताओं के साथ भावनात्मक रूप से जोड़कर फिल्मों को देखा है और यही वजह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां फिल्मी सितारों को सिर्फ देखा और सराहा ही नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। कृपलानी (2006) के अनुसार ''दर्शक नए रूझान, फैशन और हेयर स्टाइल को अपनाने के लिए इन्हीं कलाकारों पर निर्भर रहते हैं और इसलिए यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि विज्ञापनदाताओं ने भारतीय सिनेमा का प्रयोग अपने उत्पादों का विज्ञापन करने और फिल्मों में सितारों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दिया है''।

हिंदी सिनेमा ने राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने और लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अप्पादुराई और ब्रेकिंनरिज (1996) के अनुसार ''यह कहा जा सकता है कि फिल्में राष्ट्र की पौराणिक वीरता, उपभोक्तावाद, निश्चिंतता और सामाजिकता का निर्माण करने की सबसे मजबूत संस्था है''। वहीं भूपति (2003) का मानना है कि''सिनेमा राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का एक लघु रूप है जहां अर्थों पर पुनर्विचार किया जाता है, परम्पराएं बनाई व पुन: निर्मित की जाती हैं तथा पहचान को पुन: अपनाया या अस्वीकृत कर दिया जाता है''।

उपभोक्तावाद-

उपभोक्तावाद एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और विचारधारा है जो लोगों को बड़ी मात्रा में सामान और सेवाओं का उपयोग करने एवं अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादों और सेवाओं का प्रयोग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों को आज उपभोक्तावाद की श्रेणी में रखा जाता है। आज उपभोक्तावाद विश्व की सामाजिक ताकतों में से एक बन गया है जो धर्म, वर्ग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता के मतभेदों को पार कर सभी को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपभोक्ता समाज का निर्माण हुआ और 18वीं शताब्दी में उपभोक्तावाद में भरपूर तेजी आई। कुछ सिद्धांत वादियों का मानना है कि इस परिवर्तन का मुख्य कारण उभरता मध्यम वर्ग है जिसने उपभोक्तावाद के नए विचारों को अपनाया और बदलते फैशन को अपनी जरूरतों से ज़्यादा महत्व देते हुए खरीदारी करना शुरु किया। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि उपभोक्तावाद बाजारों की राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकता है जो मुनाफे के लिए पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ''मीडिया इन एवरी-डे-लाइफ '' पुस्तक में लेखक लिखते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ उपभोक्तावाद हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी और दृश्य संस्कृति में गहराई से एकीकृत हो गया है और हमें कई ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिसे हम पहचान भी नहीं पाते।

आज सूचना, मनोरंजन और उत्पादों के प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उपभोक्तावाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश भारतीय उपभोक्तावाद फीचर फिल्मों और फिल्म उद्योग द्वारा प्रेरित है। आज फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को जनता के बीच तत्काल लोकप्रियता प्राप्त होती है।

भारत में उपभोक्तावाद– राष्ट्रीय उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाले कुछ मुख्य कारण निम्न हैं :-

* मध्यम वर्गीय श्रेणी में बढ़ोत्तरी, उनके बदलते मूल्य और उपभोक्ता मांग में वृद्धि
* महिलाओं की बदलती भूमिका, कार्यक्षेत्र में उनकी भागीदारी और इसके कारण परिवार की बदलती संरचना
* विज्ञापन के कारण लोगों की उपभोक्ता आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का बढ़ना
* बचत खातों में धनराशि तथा क्रेडिट कार्ड व्यवस्था आने से उपभोक्ताओं द्वारा लग्जरी वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि
* शहरों में नए प्रकार के शॉपिंग आउटलेट का खुलना तथा शॉपिंग वातावरण में नई तकनीकों द्वारा आए बदलाव
* मीडिया का बदलता स्वरूप, केबल टीवी का आगमन और फिल्मों का बढ़ता उद्योग
* मीडिया में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तथा लोगों के बीच उसकी बढ़ती लोकप्रियता
* उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता
* भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती विदेश यात्रा तथा वहां के उत्पादों से उनका संपर्क
* घरेलू उपभोक्ता उत्पादों का बढ़ता क्षेत्र
* बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश
* ग्रामीण उपभोक्ता क्षेत्र का विस्तार
* भारतीय फिल्म और धारावाहिकों में जीवनशैली के रूप में उपभोक्तावाद का चित्रण

भारतीय सिनेमा में उपभोक्तावाद की शुरूआत–

भारतीय सिनेमा में उपभोक्तावाद ने अपनी पहचान राज कपूर की 'श्री 420' फिल्म के लोकप्रिय गीत 'मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी' के साथ ही बना ली थी। यह गीत न केवल भारत में सफल रहा परन्तु इसने सोवियत संघ में भी खूब धूम मचाई और चाहते अनचाहते इसी गीत ने भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक उपभोक्तावाद की अवधारणा से जोड़ दिया। 1950 और 1960 के भारतीय सिनेमा ने प्रभावी जीवनशैली को दर्शाना शुरु कर दिया। फिल्मों में दिखाए जाने वाले व्यवसायी, समृद्ध मकानों में रहते थे जो आम दर्शकों की पहुँच से बहुत दूर था। फिल्मों में नायकों को हमेशा विदेशी गाड़ियाँ चलाते हुए तथा महंगे सूट पहने हुए दिखाया जाता था और यदि फिल्म के किसी नायक को विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता तो वहाँ के दृश्य भव्य रूप में फिल्मों में दिखाए जाते थे। कई फिल्मों में हवाई अड्डे के दृश्य दिखाए जाते थे। फिल्मों में समृद्ध व्यवसाइयों के पुत्र अधिकतर रोमांस, व्यापार तथा रोमांच की तलाश में कश्मीर, पैरिस और टोक्यो जाया करते थे। यह फिल्मों

का पूर्व वैश्वीकृत युग था जिसने अपनी उपभोक्तावादी लेंस से मुख्यधारा के लोगों के जीवन को परिभाषित करना आरम्भ कर दिया था। फिल्मों में इस भव्य जीवनशैली को दर्शाने के लिए अधिकांश निर्देशकों का स्पष्टीकरण यह था कि अधिकतर दर्शकों के लिए फिल्म वास्तविकता से बचने का ही माध्यम है। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने 'एंग्री यंग मैन' के पहचान स्थापित की। फिल्म के नायक के रूप में उनके हिंसक और उत्तेजित व्यक्तित्व ने मध्यम वर्ग को एक नई पहचान दी। 80 के दशक में भारतीय मध्यम वर्ग ने वैश्विक पूंजीवाद के साथ अपना रिश्ता पुन: स्थापित किया। इस दशक की फिल्मों में नायक-नायिका अन्तर्राष्ट्रीय डिग्रीधारी होते थे, खूबसूरत स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग की जाती थी तथा आधुनिकता की छाप छोड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का भरपूर प्रयोग किया जाता था। फिल्मों में प्रदर्शित महंगे कपड़े और भव्य खान-पान के दृश्य समाज में शक्ति का प्रतीक बन गए। 90 के दशक तक निर्माता जान गए थे कि केवल दर्शकों में ही फिल्म उद्योग को बड़ा बनाने की क्षमता है। इसलिए उन्होने बड़े बजट की फिल्में बनाना शुरु किया जिससे मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग दोनो को एक साथ प्रभावित किया जा सके। फिल्मों की इस वर्ग को 'शहरी कहानियाँ, 'डायस्पोरा फिल्में' और 'एन.आर.आई' फिल्मों का भी नाम दिया गया। इन चमकदार उपभोक्तावादी कल्पनाओं ने, जिसमें मध्यम वर्ग के रीत रिवाजों के साथ अंतराष्ट्रीय जीवनशैली भी शामिल थी, भारतीय और विदेशी दर्शकों की कल्पनाओं के लिए एक नया आयाम स्थापित कर दिया।

'दिलवाले दुलहनिया ले जायेंगें'आदित्य चोपड़ा (1995),'परदेश' सुभाष घई (1997), 'कुछ कुछ होता है'करण जोहर (1998), 'कभी खुशी कभी गम'करण जोहर (2001) जैसी फिल्मों ने फैशन को नई परिभाषा दी, फिल्मों में दिखाये गये स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा दिया और भारतीय परम्पराओं को लोगों के बीच फिर जीवान्त किया। 1990 और 2000 के दशक को वास्तव में एन.आर.आई. का स्वर्णयुग तथा उभरते हुए मध्यम वर्ग तथा भारत की बढ़ती भौतिक अकांक्षाओं को फिल्मों में दर्शाने का युग था।

फिल्मों में, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे माध्यमों से कहीं अधिक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्तावाद की जड़ों से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसमें 'दिलवाले दुलहनिया ले जायेंगें'फिल्म की एक मुख्य भूमिका रही जिसमें लंबे ट्रैकिंग शॉर्ट्स के माध्यम से लंदन और पंजाब के बीच एक न्यू भूगोल की रचना की गई। 'कभी खुशी कभी गम' में रोहन के लंदन आने पर वेस्टमिस्टर एफिल टावर ऑफ लंदन और लंदनआई के हेलीकाफ्टर से लिए हुए भव्य दृष्य लोगों को लंदन के खूबसूरत वातावरण और बड़े-बड़े शोरुम तथा बाजारों की ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। अगले 10 सालों में बनाई गई सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ज्यादातर हीरो को एन.आर.आई. दिखाया जाता था जिसके द्वारा इंपोर्टेड ब्रांड और अंतराष्ट्रीय उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा मिलने लगा। फिल्मों में इन उत्पादों का प्रयोग करने वाले कलाकार उसके ब्रांड अंबेसडर बन गए और इसके विज्ञापन से उनकी आय में भी अच्छी वृद्धि होने लगी (राव 2007, ओबरॉय 1998)। पुणेथाम्बेकर (2005) के अनुसार, ''यह फिल्में डिजाइनर इंडिया दिखाती है''। 2000 के बाद बनी कई फिल्मों में जीवन की आदर्श पस्थितियों को दर्शाया गया जो वास्तविक पस्थितियों से बिल्कुल अलग थी। यह फिल्में 1950 के दशक से बिल्कुल अलग थी जिसमें गरीब लोगों

को मुम्बई की झोपड़ियों और चौलों में रहते हुए दिखाया जाता था। 2000 के बाद बनाई जाने वाली फिल्मों में झोपड़ियों को तभी दिखाया जाता था जब हिंसा या आतंकवाद के दृश्य दिखाने होते थे। यह फिल्में लोगों के वास्तविक जीवन से बिल्कुल परे थी और उन्हें एक नई जादुई दुनिया का हिस्सा बना रही थी। इस युग की फिल्मों के नायक हमेशा समृद्ध दिखाए जाते थे। 70 और 80 के दशक में दिखाया जाने वाला 'एंग्री यंग मैन' भी इस दशक में एक समृद्ध उद्योगपति के रूप में दिखाया जाने लगा और यदि किसी फिल्म में मुख्य पात्र समृद्ध ना हो तो उस फिल्म को आर्ट सिनेमा की श्रेणी में रखा जाने लगा। इस दशक की फिल्मों ने नए बॉलीवुड के मायावी स्वर्णिम युग की शुरूआत की जहाँ फिल्मों द्वारा उपभोक्तावाद तथा भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व किया जाने लगा। फिल्मों में महंगी कारें, मोटरसाइकिल और प्रसिद्ध डिजाइनरों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों तथा अंग्रेजी भाषा पर खूब ज़ोर दिया जाने लगा। अधिकांश फिल्में निचले मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग की सच्चाइयों और उनके प्रतिदिन संघर्षमय जीवन से बेहद दूर थी। पहले की फिल्मों में जहाँ 80 प्रतिशतवास्तविक घटनाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता था वहाँ अब फिल्मों में केवल 20 प्रतिशत वास्तविकता रह गई थी और 80 प्रतिशत दृश्य और परिस्थितियां केवल काल्पनिक थी। जहाँ पहले फिल्में एक साथ बैठकर देखने का उत्सव हुआ करती थीं वहां अब फिल्मों द्वारा लोगों के बीच अलगाव आने लगा। हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचने लगा है और उसकी मुख्य आकांक्षाएं उत्पादों में आकर सिमटने लगी। अब तो फिल्मों में व्यक्ति भी उत्पाद की तरह हो गया है जिसे हासिल करने में ही पूरे तीन घंटे की फिल्म निकल जाती है।

इस व्यवसायीकरण की दौड़ में फिल्मों द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक संदेश लुप्त होते जा रहे हैं। केवल कुछ गिनी-चुनी फिल्में ही आज समाज को कोई नई दिशा देती हैं या किसी मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का प्रोत्साहन देती हैं। फिल्म निर्माण में पहले के मुकाबले अब कहीं अधिक धन लगाया जाता है लेकिन अधिकतर फिल्में कोई संदेश दिए बिना ही चली जाती हैं। अत: बॉलीवुड के वैश्वीकरण ने जो मुख्यत: उत्पादों के उपभोग तथा एक काल्पनिक दुनिया के विकल्प पर आधारित है, दर्शकों को फिल्मों से अलग कर दिया है क्योंकि यह फिल्में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है (रावत, 2007)।

ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के दौर की फिल्मों की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि वह वास्तविक भारत को नहीं दर्शाती बल्कि उपभोक्तावाद को भारत में स्थापित करने का प्रयास करती हैं। उनका मानना है कि फिल्में ऐसी खूबसूरती और परंपराओं को दर्शाती हैं जो वास्तविक नहीं हैं (पुणेधाम्बेकर, 2005)। वहीं कपूर और पेन्डाकुर (2007) का मानना है कि ''वैश्विक दबाव के कारण भारतीय सिनेमा से 'भारत एक भौगोलिक क्षेत्र' के रूप में लगभग गायब हो गया है''। शायद यही वजह है कि आज भारत के कई पर्यटक स्थलों में फिल्मों के निर्माण के लिए विशेष सुविधाएं और छूट दी जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का निर्माण भारत में किया जा सके। विदेश में रह रहे कई दर्शकों का यह भी मानना है कि फिल्मों को प्रभावशाली बनाने के लिए खूबसूरत स्थलों पर फिल्माए गए गीतों तथा भव्य पोशाकों का होना बहुत जरूरी है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह फिल्में लोगों की वास्तविकता को दर्शाती

है या नहीं (पुणेधाम्बेकर, 2005)।

भारतीय फिल्मों की बदलती पूंजीवादी पृष्ठभूमि का कारण केवल दर्शक या निर्माता नहीं है इसका एक मुख्य कारण 1991 में भारत में आया आर्थिक उदारीकरण भी है। उदारीकरण के बाद से विदेशी क्षेत्र भी भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्त्रोत बन गए और भारतीय निर्माता फिल्मों द्वारा अंतराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचने का प्रयास करने लगे। यही वजह थी कि फिल्मों में विदेशी स्थानों और प्रसिद्ध ब्रांडो को सम्मिलित किया जाने लगा। इन बदलावों ने भारतीय सिनेमा को एक अंतराष्ट्रीय पहचान देने के साथ-साथ गौरव का स्थान भी दिया है। आज का भारतीय कामर्शियल सिनेमा कई फिल्म प्रदर्शनियों, फिल्म समारोह, डॉक्यूमेंट्री तथा विशेष कार्यक्रमों का हिस्सा होने के साथ-साथ कई विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है (सिलवा, 2004)। एक भारतीय आज यह सोच कर खुश हो सकता है कि हमारा बॉलीवुड भी अब कूल हो गया है (कबीर, 2005)। यह फिल्में जिनका स्क्रीन-प्ले मुख्य रूप से एन.आर. आई. को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है, वह भारतीयों को भी आधुनिकता के नए दिशा-निर्देश देती है तथा भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाने का प्रयास करती है (डोनियर, 2010)।

फिल्मों में उत्पाद प्लेसमेंट का युग-

हर साल हजारों फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन करने वाले भारतीय फिल्म उद्योग एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें दर्शकों को संभावित उपभोक्ताओं में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता है। चाहें फिल्म छोटे बजट की हो या बड़ी, ब्रांड बॉलीवुड की लोकप्रियता के सहारे अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। फिल्मों द्वारा ब्रांड का प्रदर्शन करना ना केवल उत्पादकों के लिए परन्तु निर्माताओं के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन गया है। फिल्म निर्माता और अभिनेता आज किसी विशेष कंपनी की कार चलने, किसी ब्राण्ड की शर्ट पहनने, कोई विशेष पिज्जा खाने यहां तक कि किसी कंपनी का जूता पहनने के लिए भी भारी मात्रा में शुल्क लेते हैं और बदले में इन उत्पादों को फिल्म की स्क्रिप्ट में विशेष स्थान मिलता है। उत्पाद प्लेसमेन्ट विज्ञापन की सबसे लोकप्रिय तकनीक बन गया है । कई कारणों से उत्पाद प्लेसमेंट विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया हैजिसके दो मुख्य कारण क्रमश: पारंपरिक मीडिया दर्शकों में कमी एवं दर्शकों का विखंडन (डेलॉयट, 2005) तथा इंटरनेट जैसे वैकल्पिक मीडिया की उपलब्धता जिसके कारण उपभोक्ता को अपनी इच्छा अनुसार विज्ञापनों का चयन करने की सुविधा। इस कारणवश विज्ञापनकर्ताओं को विवश हो कर दूसरे विकल्पों का प्रयोग करना पड़ रहा है जिससे वह उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच के सम्बन्ध को पुन: स्थापित कर सकें । (ओप्नील और बैरेट, 2004)।

इस बदलते परिदृष्य में उत्पाद प्लेसमेंट विज्ञापन का एक नया साधन बन गया है जो विज्ञापन के पारंपरिक व्यवसाय को चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ सालों में फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंटकी भूमिका बढ़ी है। शुरूआती दौर में ब्रांड आमतौर पर फिल्मों में तीन तरह से दिखाए जाते थे- पहला, ब्रांड के उत्पाद को दिखाया जाता था, दूसरा ब्रांड का लोगो प्रदर्शित किया जाता था और तीसरा ब्रांड को 'बैकग्राउंड प्रॉप' के रूप में प्रयोग किया जाता था (स्मिथ, 1985)। पर अब फिल्मों में ब्रांड की भूमिका बहुत बदल गई है।

अब वह फिल्म का एक अभिन्न अंग बन गया है। फाउन्टेन (2001) ने ब्रांड प्लेसमेन्ट को दर्शक का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता के रुप में परिभाषित किया है। इसके साथ-साथ ब्रांड प्लेसमेंट का आकार और अवधि (फाउन्टेन, 2002), दृष्य में ब्रांड का स्थान (गुप्ता एवं लार्ड, 1998) और फिल्म में ब्रांड आवृत्ति (ब्रेसॉड लेहु एवं रेसेल, 2008) पर भी ध्यान आकर्षित करने की क्षमता निर्भर करती है। घर में, टेलीविजन पर कार्यक्रम देखते समय दर्शक कई अन्य कार्य कर सकते हैं जो विज्ञापन पर दिए उनके ध्यान की अवधि एवं स्तर को प्रभावित कर सकता है और यह टेलीविजन द्वारा दर्शकों की ब्रांड स्मरण क्षमता बढ़ाने की भूमिका को प्रभावित करता है। लेकिन थियेटर पर फिल्म देखते समय उपभोक्ता इस जानकारी को स्वेच्छा से ग्रहण करता है जिससे उसका प्रभाव अधिक गहरा होता है।

भारतीय सिनेमा में बड़े ब्रांड खुलकर सामने आ रहे हैं जैसे- डॉन (2006) में टैगहयूअर, धूम 2 (2006) में कोक, क्रिश (2006) में सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड और पर्ल हार्बर (2001) में पेप्सी इसके मुख्य उदाहरण हैं। भारतीय सिनेमा में उत्पाद प्लेसमेन्ट के बढ़ते उपयोग का मुख्य कारण है कि यह माध्यम विज्ञापनदाताओं को मनोरंजक रुप में अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के साथ-साथ निर्माताओं के लिए अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराता है (रसेल एवं बेंच, 2005)।

भारत का लोकप्रिय हिंदी फिल्म उद्योग जिसे आमतौर पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है (मिनोचा एवं स्टोन हाउस, 2006), और इसे देखने वाला दर्शकों का एक बड़ा समूह है जो उपभोक्तावाद के लिए उपयुक्त है। भारतीय ब्रांड के अलावा हॉलीवुड की बड़ी कंपनियों के उत्पाद भी भारतीय फिल्मों में दिखाई देते हैं। 'कोका कोला' ने भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान द्वारा सेलिब्रिटी एंडोर्समेन्ट के साथ-साथ भारतीय फिल्मों में प्लेसमेंट का लाभ भी प्राप्त किया है जिससे इस ब्रांड को बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है (बिजनेस वीक, 2003)। आज के दौर में भारतीय फिल्मों में विदेशी एवं राष्ट्रीय ब्रांडो का बढ़ता प्रदर्शन, भारतीय दर्शकों के बीच बढ़ते उपभोक्तावाद का प्रतिबिंब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिल्मों का बढ़ता बाजार भी फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के प्रदर्शन में भारी वृद्धि हुई है। कई प्रमुख ब्रांड इस वैश्विक विपणन रणनीति के लिए अलग से बजट निर्धारित करते हैं। पिछले कुछ वर्षो में कई बहुराष्ट्रीय ब्रांडो ने भारतीय फिल्मों द्वारा भारतीय बाजार तक पहुँचने के लिए निर्माताओं के साथ भागीदारी की है। कुछ साल पहले तक फिल्मों में ब्रांडेड उत्पाद दिखाए जाने की प्रक्रिया को एक अमरीकी विचार माना जाता था (सेग्रवे, 2004) लेकिन अब यह हिंदी फिल्मों का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है और विज्ञापन के लिए विभिन्न मीडिया में उत्पाद प्लेसमेंट के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जिस तरह भारतीय फिल्मों का विदेश में बहुत बड़ा बाजार है उसी प्रकार हॉलीवुड फिल्मों का भारतीय दर्शकों में बहुत रोमांच है। हर महीने कई विदेशी फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में प्रदर्शित होती हैं। अब वीडियो ऑन-डिमांड सेवाओं के आने से दर्शकों की फिल्मों तक पहुंच पहले की तुलना में और भी आसान हो गई है। फिल्मों में दर्शकों के बढ़ते रूझान को देखते हुए यह माध्यम विज्ञापन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। भारतीय फिल्मों में विदेशी ब्रांडो

को दर्शाने के लिए अब फिल्म निर्माताओं ने हॉलीवुड की तर्ज पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्लेसमेंट के तरीके तलाशने शुरू कर दिए हैं। एक फिल्म में सिर्फ एक ब्रांड प्लेसमेंट या इसके बारे में बात करने वाले किसी प्रमुख चरित्र के अलावा अब उन्होने उत्पादों को कहानी के साथ प्रमुख रुप से जोड़ना शुरू कर दिया है। 2002 की फिल्म 'रोड' की पूरी शूटिंग सड़क पर चलने वाली कार पर की गई थी जिसमें कार चलाने वाले प्रमुख पात्र थे। इस फिल्म में टाटा मोटर्स की एसयूवी गाड़ी सफारी का प्रयोग किया गया था । इस प्लेसमेन्ट के लिए टाटा मोटर्स में लगभग 12.5 मिलियन यूएस डॉलर (कृपलानी, 2006) का भुगतान किया था। पिछले कुछ वर्षो से हिंदी फिल्म उद्योग में उत्पाद को कहानी में बुनने का ऐसा चलन आम हो गया है। 2012 में आई फिल्म 'हिरोइन' में कई ब्रांड शामिल थे जो फिल्म के विषय का अभिन्न अंग थे। फिल्म प्रदर्शित होने के बाद 'लैक्मे' ने मेकप रेंज के तहत हीरोइन ब्रांडेड मेकअप लॉन्च किया जो करीना कपूर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ-साथ परिधान ब्रांड 'जैलस 21' ने फिल्म में करीना कपूर द्वारा पहने गए कपड़ो से प्रेरित एक विशेष रेंज बाजार में उतारी। अब ब्रांड फिल्म में प्लेसमेंट के लिए अंतिम समय पर ना जुड़ कर फिल्म की स्क्रिप्टिंग के चरण में शामिल हो जाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद फिल्म में पूर्ण तरह से सम्मिलित हो। फिल्म 'पीके' के दो गानों में अनुष्का को 'हीरो साइकिल' की सवारी करते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म में प्रार्थना के दौरान 'साइकिल अगरबत्ती' का प्रयोग भी किया गया था। इसके साथ साथ फिल्म में कई अन्य ब्रांड जैसे ड्यूरासेल बैट्री, पियरे कार्डिन पेन और मारूति को भी शामिल किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि बड़े ब्रांड अब फिल्म ब्राडिंग के अवसरों को गंभीरता से ले रहे हैं और उसके लिए अलग बजट भी निर्धारित कर रहे हैं।

फिल्मों में उपभोक्तावाद का नया दौर– टी-शर्ट से लेकर कॉफी मग तक, पोस्टर से लेकर गेम्स तक भारतीय फिल्म उद्योग उपभोक्ताओं को थिएटर के बाहर भी व्यस्त रखने के नए तरीके विकसित कर रहा है । अब तो बच्चों को भी इस व्यवसाय का हिस्सा बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए फिल्मों पर आधारित सूपर हीरो मास्क, हेडबैंड, रिस्ट वॉच और कपड़ों को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। बॉलीवुड फिल्मों को देखने से अन्य संबधित उत्पादों की खपत भी बढ़ती है जिसे बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए फिल्म 'मोहब्बते' (2000) में शाहरूख खान के स्वेटर ने इस उत्पाद के लिए एक नये बाजार का निर्माण कर दिया था। सलमान खान का 'ब्रेसलेट' भी उनके प्रशंसको में बहुत लोकप्रिय है। दर्शकों के बीच बॉलीवुड फिल्मों के हेयर स्टाइल का प्रचलन भी आम है। फिल्मों द्वारा अप्रत्यक्ष उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिलता है जैसे ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सलून ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सितारों का उपयोग करते हैं, पान मसाला से लेकर हीरे के आभूषणों तक का एंडोर्समेन्ट फिल्मी सितारे करते हैं और रियालिटी-शो में छोटे सितारों को शामिल कर, इन कार्यक्रमों की टी.आर.पी. रेटिंग को बढ़ाया जाता है।

फिल्म निर्माता, अभिनेता, वितरक और विज्ञापन जगत लगातार इस माध्यम से विज्ञापन के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के नए अवसर तलाश रहा है। इस बढ़ते बाज़ारवाद से निम्न बिन्दु सामने आते हैं :

* फिल्में बड़े मकानों, गाड़ियों, खूबसूरत आभूषणों और परिधानों से अधिकतर मध्यम-वर्गीय लोगों में ऐसे उत्पाद की लालसा उत्पन्न कर देती हैं जिसे खरीदना उनके लिए संभव नही होता।
* अधिकांश फिल्मों में औसत लोगों को बिना किसी आर्थिक चिंता के एक बेहतर जीवन-शैली जीते हुए दिखाया जाता है जिसका वास्तविकतासे कोई सरोकार नहीं है।
* यह हमें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जहाँ हम एक आदर्श जीवन-शैली जीने के लिऐ अपने असल व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं जिससे हमें यह आभास हो कि हम उस भ्रमिक दुनिया का हिस्सा हैं।
* हमारी विचार प्रक्रिया में, जान बूझकर या अनजाने में निहित उपभोक्तावादी प्रवृत्ति धीरे-धीरे चीजों, मूल्यों और समाज के बारे में हमारी धारणा बदल रही है।
* फिल्मों ने अन्धवास्तविकता की एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर दिया है जिसकी वास्तविकता दर्शकों को असल वास्तविकता से अधिक वास्तविक लगती है।

निष्कर्ष–

भारतीय सिनेमा ने हमारी संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। इसने हमारे ओढ़ने-पहनने, खाने, प्रार्थना करने और जीने के तरीकों को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। आज हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू सिनेमा से प्रभावित है। भारत जैसे विषम देश में शायद ही कोई और माध्यम हो जो फिल्मों की भाँति सामूहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सके। 2004 में रौजर ने कहा था कि ''विज्ञापन एक ऐसी कला है जो लोगों को पैसेन होत हुए भी उन उत्पादों को खरीदने पर विवश कर देती है जिसकी उन्हे आवश्यकता नही है''। फिल्में भी आज यही कर रही हैं। फिल्में उत्पादों से ज़्यादा बिकती हैं। यह हमें मूल्यों, छवियों और अवधारणाओं को बेचती हैं और यह बताती हैं कि हम कौन हैं और हमें कौन होना चाहिए। यह हमें फैशन, जीवन-शैली और व्यवहार का एक अच्छा उपभोक्ता बनना सिखाती हैं। इससे धन में और विषमता बढ़ रही है और जैसे-जैसे फिल्में अधिक व्यापक और बहुआयामी बनती जा रही हैं, नए त्यौहार, नई संस्कृतियाँ और नए सपने, हमारे जीवन के कैनवस पर अपना जादू बुनते जा रहे हैं। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि फिल्मों द्वारा बनाई गई ये छवियाँ वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं पर फिल्में एक नई वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं जो जीवन से बड़ी होती जा रही हैं। फिल्मों द्वारा ऐसी अपेक्षाएं और इच्छाएं पैदा होती हैं जिन्हें अधिकतर वास्तविकता में पूरा नहीं किया जा सकता। मनोरंजन उद्योग अब दो प्रमुख उद्देश्यों से काम कर रहा है, पहला पैसा बनाने के लिए और दूसरा उन लोगों को उपभोक्ता में बदलने के लिए जो वास्तविकता से पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। भारतीय मीडिया में उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मीडिया नैतिकता को मज़बूत करने और दर्शकों के बीच मीडिया साक्षरता को बढ़ाना आवश्यक है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. नागर, के. (2016) ''मूवीज में ब्रांड प्लेसमेंट के लिए उपभोक्ता प्रतिक्रिया: ब्रांड की जाच - इवेंट फिट'', ऋषि पत्रिकाओं http/:journals.sagepub.com/doi/full/ 10.117.1252590916642678 से पुनर्प्राप्त।

2. पांडा, टी.के. (2004)। फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंट के प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रिया: ब्रांड फिल्मों की भूमिका और हिन्दी फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंट के लिए विशेष संदर्भ वाल उपभोक्ताओं के बीच व्यवहार परिवर्तन लाने में प्रस्तुति की रुप-रेखा। दक्षिण एशियाई प्रबंधन पत्रिका, 11(4),-25।
3. कृपलानी, सी. (2004)। बॉलीवुड फिल्म में रुझान और उत्पाद प्लेसमेंट: उपभोग के माध्यम से उपभोक्तावाद। न्यू सिनेमाज: समकालीन फिल्म जर्नल, 4(3),197-215।
4. रसेल, सी., स्टर्न बी.बी.(2006)। उपभोक्ता, पात्र और उत्पाद: साइटकॉम उत्पाद प्लेसमेंट प्रभाव का एक संतुलन मॉडल। विज्ञापन जर्नल, 35(1), 7-21।
5. भूपति, (2003)। 'सिनेमा एंड पालिटिक्स इन इंडिया', किरण प्रसाद(एडि.), पॉलिटिकल कम्युनिकेशन: द इंण्डियन एक्सपीरियंस, दिल्ली: बी.आर. पब्लिसिंग कार्पोरेशन, पेज नं.507. 17।
6. पुणतांबेकर, (2005)। बॉलीवुड इन द इंण्डियन- अमेरिकन डायस्पोरा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चर स्टडीज, 8(2), पेज नं.151.173।
7. थेरवेथ, आई. '' शाइनिंग इंण्डियन्स: डायस्पोरा एंड एग्ज़ेम्प्लारिटी इन बॉलीवुड'', साउथ एशिया मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक tuZyhttp//:journals.openedition.org/samaj/ 3000 से लिया गया है।
8. डेलॉयट, (2005)। टी.एम.टी. ट्रेंड: भविष्यवाणियाँ, 2005: मीडिया क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित http//:industriasdecontenido.files.wordpress.com/2010/08/deloitte-tendencias-medios-ww-2005.pdf से लिया गया है।

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

मोहन राकेश के नाटक ''आधे अधूरे'' में चरित्रांकन कला

• दीक्षा यादव

सारांश– *मोहन राकेश के नाटकों का एक महत्वपूर्ण आयाम है संयमित और सुचिन्तित पात्र–योजना जो उनके नाटकों की व्यापक सफलता का भी बुनियादी कारण है। नाटकों के मुख्य पात्र ही नहीं बल्कि अपेक्षाकृत गौण पात्रों की परिकल्पना और उनका चित्रण भी नाटककार की गहरी सोच एवं शिल्प–कुशलता का परिचय देता है। राकेश के सभी नाटकों में नाटककार की अनिच्छा के बावजूद स्त्री–पात्र ही केन्द्रीय भूमिका ग्रहण कर लेते है। अपने नाटक में महेन्द्रनाथ को मुख्य चरित्र बनाने का प्रयास किया है परन्तु सावित्री ही केन्द्रीय पात्र बनकर उभरती है। पुरुष पात्रों में भी साथ दर्शाया है।*

मुख्य शब्द– अभावग्रसता, जीवन–मूल्यों, मानवीय संबंध, मघ्यमवर्गीय परिवार, संवेदना, पारिवारिक विवशता

आज कथा प्रधान साहित्य के समस्त विधात्मक रूपों में धटनाओं आदि के स्थान पर चरित्र व उसके विश्लेषण को प्रमुखता मिलने लगी है। मूल रूप में नाटक तो वास्तव में तो होता ही है। कुछ चरित्रों की योजना एवं उनका विश्लेषणात्मक लेखा -जोखा पात्र योजना जितनी अधिक सजग एवं सजीव होगी नाटक उतना ही भव्य, आकर्षक एवं सफल माना जाएगा पात्रों की संयोजना एवं व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से ही नाटककार नाटक में स्वयं उपस्थित हुआ करता है। सृजक कलाकार की स्वयं भू संवेदनाएं पात्रों के माघ्यम से ही सप्राण होकर उन्हें गतिशीलता एवं शक्तिमता प्रदान करती है।कथ्य एवं कथानक को भी गतिशील स्फूर्तिमय एवं प्रभावी बनाकर सम्प्रेषण में भी समर्थ बनाती है। नाटककार रंगकर्मी लक्ष्मीनारायण लाल नें[1] रंगमच और नाटक की भूमिका नामक कृति में एक स्थल पर लिखा है- ''चरित्र के माघ्यम से ही कथावस्तु बनती है चरित्र का व्यक्तित्व उसकी इच्छा शक्ति ही नाटक का दूसरा कार्य व्यापार है। नाटक के अन्य तत्वों के अनुरूप ही चरित्र निर्माण के विभिन्न शिल्प नाट्य साहित्य में देखने को मिलते है।'' स्पष्ट है कि नाटक के अन्य तत्वों के अनुरूप ही पात्रों की योजना एवं उनका चरित्र चित्रण आवश्यक हुआ करता है। डॉ. जयदेव तथा डॉ. सुषमा अग्रवाल कमश: अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है- ''आधे अधूरे राकेश का तीसरा नाटक है। यह अन्य दोनों नाटकों से सर्वथा भिन्न है। भाषा, भाव और शिल्प आदि सभी दृष्टियों से पर राकेश का नया नाटकीय अनुभव है''[1] इस नाटक में लेखक ने एक परिवार के माघ्यम से विभित्र पात्रों के व्यक्तित्व उनके टूटन तथा बिखराव को व्यक्त किया है न कोई कोरा आदर्शवादी है, न स्वप्नजीवी (वे पूर्णतया) सजीव है, हजारों संवेदना को स्पर्श करने में पर्याप्त सक्षम है।''[2] मोहन

• शोधार्थी, द्रविडयन यूनिवर्सिटी, कुप्पम (आंध्रप्रदेश)

राकेश के नाटकों विशेषकर आधे-अधूरे नाटक में इस अनुरूपता का जितना शसक्त निर्वाह हुआ है शायद ही अन्य कही हुआ है।

आधे अधूरे की पात्र योजना पर विचार करने से पूर्व हमें यह देखना है कि यह नाटक कथानक प्रधान है या चरित्र प्रधान क्योंकि इस नाटक में चमत्कार पूर्ण कथावस्तु का आग्रह नही है इसमें ना तो बहुत सारी धटनाएं धटती है और न ही दर्शकों को चमत्कृत करने वाले आकंस्मिक मोड आते है। कथावस्तु के नाम पर केवल इतना ही है कि पति -पत्नी आपस में झगड़ते है। पत्नी का बॉस धर में आता है। पति अपने एक मित्र के यहां चला जाता है। प्रेम विवाह करके धर से भागी हुई बड़ी लड़की दुखी मन से कुछ समय के लिए फिर अपने मनहूश धर में आती है। पत्नी अपने एक पुराने प्रेमी के सहारे अपने धर के बंधन से मुक्ति चाहती है लेकिन निराश होकर वापिस आती है। धर आकर पति के मित्र एवं पुराने प्रेमी से भेंट होती है आपस में टीका-टिप्पणी होती है। अंत में बीमार पति नहीं चाहते हुए भी अपने घर लौटता है। स्पष्टत: नाटक में कोई गढ़ा हुआ कथानक नहीं है और इसमें आए हुए प्रंसगों को स्थितियां नही कहा जा सकता क्योंकि पूरे नाटक में एक ही स्थिति है और वह है ना चाहते हुए भी परिवार के सदस्यों के एक साथ रहने की विवशता इस दृष्टि से परिवार के सदस्य भी महत्वपूर्ण हो जाते है। दूसरे शब्दों में जिन्हें हम नाटक के पात्र कहते है उन पात्रों को और उनसें भी ज्यादा उन पात्रों की मन: स्थितियों को चित्रित करना नाटक का उद्देश्य रहा है।

चरित्र-प्रधान नाटकों में पात्रों के सम्मुख अनेक विकल्प होते है। उनकी कोई पूर्व निश्चित एक दिशा नहीं होती अनेक संभावित दिशाएं होती है जिनसे वे अपनी -अपनी दिशा अपनी -अपनी प्रकृति के अनुसार चुनते है।

आधे -अधूरे के पात्रों में हमें यही प्रकृति लक्षित होती है। इसलिए नाटक की चरित्र प्रधानता में संदेह किया जा सकता है। परम्परागत रूप में चरित्र चित्रण की दृष्टि से पात्रों के दो प्रकार माने जाते है एक स्थिर चरित्र वाले पात्र और दूसरे विकास शील पात्र आधे-अधूरे नाटक शिल्प विधान की दृष्टि से परम्परा में नही आता इसमें हम परम्परागत मानदण्ड़ों के आधार पर इसकी परीक्षा नहीं कर सकते। इसमें आदर्श अच्छे या बुरे का कोई भी प्रश्न नहीं है। बल्कि यहां पर तो व्यक्ति को उसके भोगे जा रहे जीवन परिप्रेक्ष्यों में महज व्यक्ति के रूप में ही देखने एवं चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। अत: इस नाटक में प्रत्यक्षत: न तो किसी पात्र को स्थिर चरित्र वाला पात्र कह सकते है ना ही गतिशील। अपने अधूरेपन की गतिशीलता एवं स्थिरता दोनों ही नाटक के पात्रों के चरित्र में समान रूप से विधमान है।

पात्र-योजना पर विचार करते हुए हमें यह भी देखना है कि आधे-अधूरे के चरित्र विशिष्ट व्यक्ति है या सामान्य ये भी विचारणीय है। आधे- अधूरे' नाटक में भी सावित्री के प्रथम संवाद के द्वारा ही परिवार के कई सदस्यों जैसे महेन्द्रनाथ, अशोक, किनी के चरित्र का पूर्वाभास करा दिया जाता हैं। इसी प्रकार सावित्री अपने इस संवाद के द्वारा महेन्द्रनाथ के आगमन एवं उसके निकम्मेपन का संकेत सफलतापूर्वक दे देती हे-''बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर गए है .... दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं, तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है।''[3] प्रस्तावना में काले सूट वाले आदमी का कथन है- ''सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से

टकरा जाते है वह आदमी मै ही हो - - - जहां इस समय मैं खड़ा हूँ वहां मेरी जगह आप भी खड़े हो सकते थे- - - विभाजित होकर में किसी न किसी अंश में आप में से हर व्यक्ति हूँ।''[4] स्पष्टत: नाटककार ने चाहा है कि आधे अधूरे नाटक के चरित्रों व उसकी अनुभूतियों का सामान्यीकरण हो जाए संभवतया इसलिए पात्र-परिचय में पात्रों को स्त्री मतलब यह है कि यह नाटक किसी विशेष सावित्री महेन्द्रनाथ, बिन्नी आदि का न होकर किसी भी स्त्री, पुरूष, लड़का, लड़की, आदि का हो सकता है। इस प्रकार विविशष्ट को सामान्य में बदलने की जो प्रक्रिया आधे-अधूरे में दिखती है उसका विकास परवर्ती हिन्दी नाटक में भी देखा जा सकता है। आधे-अधूरे के पात्र परिचय में पात्रों के नाम भले ही ना दिए गए हो परन्तु वे विशिष्ट व्यक्ति है उनकी अनुभूतियां सभी बिन्दुओं पर सामान्य लोगों की अनुभूतियों से सभी भले ही मेल न खाए लेकिन अधिकांशत: उनका समानीकरण हो जाता है जैसे सावित्री को पूरे आदमी की खोज भले ही सामान्य स्त्री की अनुभूति न हो परन्तु महत्वकांक्षा व अभावों की टकराहट से जन्मी उसकी विद्रोह परक अनुभूतियां मघ्यवर्गीय परिवार की किसी भी कामकाजी स्त्री की अनुभूतियां हो सकती है। जिसे धर व बाहर दोनेां को सम्भालना पड़ता है। परिवार का इतना बोझ उठाने के बावजूद भी धर के सदस्य सावित्री को सम्मानित दृष्टि से देखते नहीं है। जैसे वह कहती है '' यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन, जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है? मगर किसी के मन में जरा-सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कि कैसे मैं......।''[5] और इसके बावजूद भी उसे परिवार में जब किसी की भी सहानुभूति प्राप्त न होती हो। इस प्रकार की पत्नी की कमाई पर जिन्दा रहने वाले महेन्द्रनाथ का आक्रोश व दब्बू स्वभाव भी किसी भी ऐसे व्यक्ति में देखा जा सकता है जो इस प्रकार की परिस्थितियों में जी रहा हो । इसी प्रकार बिन्नी, अशोक और किन्नी के भी प्रतिरोध मघ्यवर्गीय समाज में मिल जाते है उनका अंसतोष, धुटन एवं आक्रोश अपने समाज में उनकी उम्र व उनकी परिस्थितियों के व्यक्तियों में उपलब्ध हो सकती है। अत: इस नाटक में लेखक ने ऐसे चरित्रों को चित्रित किया है जो विशिष्ट होते हुए भी अधिकांशत: मानवीय अनुभूतियों के धरातल पर प्रतिष्ठित है।

आधे-अधूरे की चरित्र सृष्टि को निर्दिष्ट करने में रचनाकार की अपनी व्यक्तित्व की भी भूमिका रही है। वह विभिन्न चरित्रों को अपने व्यक्तित्व का कोई न कोई अंश अवश्य ही देता हैं राकेश ने अपने जीवन की अंसतुष्टि अंसतोष एवं अधूरेपन की अनुभूति को अपने सभी चरित्रों मेें किसी न किसी रूप में चित्रित किया है। उनके अपने जीवन का अनिश्चित होना उनके नाटकों के कई पात्रों में परिलक्षित होता है रचनाकार के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण नाटक में कुछ ऐसी चारित्रिक विशेंषताएं आई है जो सभी पात्रों में परिलक्षित हाती है। ये पात्र के स्तर से नीचें ढ़हते हुए एक मध्यवर्गीय परिवार के है जिनकी समृद्धि में कमी आ गई है परन्तु आंकाक्षाओं में कमी नही आई है और उनकी तृप्ति न होने के कारण उन सब के मन में अंसतोष एवं डर है तभी तो उनके आपसी रागात्मक संबंध टूट रहे है उस धर में एक ऐसी विषैली हवा है जो सबको संत्रस्त किए रहती है जो वहां से भागने की कोशिश करता है उन सबके साथ-साथ वह जाती है। चाहे वह बड़ी लड़की है विनी वह सावित्री है या महेन्द्रनाथ उनके बच्चे उन्हीं की प्रतिकृति बनकर उस विषैली हवा से सांस लेते दिखायी पड़ते है हताशा व कुण्ठा इन पात्रों के जीवन

में धर फट गई है कारण यह है कि उन्होंने जीवन की लड़ाई में हार मान ली है ये लोग न तो संधर्ष करते व ना ही पलायन। यही इस परिवार की त्रासदी है। इस नाटक के पात्र अपनी स्थिति से समझौता नही कर पाते जहां इसके सामाजिक व आर्थिक कारण है वहां से इसके मूल कारण मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे संवेगात्मक दृष्टि से प्रौढ़ नहीं हो पाए है। उनके क्रियाकलाप सभी बचकाने से लगते है।

महेन्द्रनाथ एक भूमिका विहीन अपने आप से दूर रहने वाला अधूरा और परिस्थितियों की विवशता के कारण अस्वाभाविक पात्र लगता है उसका अधूरा पात्र ही अपनी पत्नी को अपने प्रति ही वितृष्णा एवं विद्रोही बना देता है। महेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में कहा गया यह कथन उचित है- जैसे-''एक रबड़ का टुकड़ा।''[6] सावित्री अपने जीवन को ओर विपटता हुआ महसूस करती है उस पर परिवार पालन का अहं उसके मन मस्तिष्क पर सधन होकर छाया हुआ है। परिस्थितियों की इसी विवशता के कारण स्वयं आंतरिक दृष्टियों से अधूरेपन की शिकार रहते हुए भी वह परिवार के सदस्यों को अधूरा मान कर चलती है। पूरे आदमी की तलाश में वह अनेक व्यक्तियों के सर्म्पक में आती है। विडम्बना और ओढ़ी हुई इच्छाओं के सागर में किनारे के लिए हाथ-पांव मारती है। पूरे आदमी की तलाश में अधूरों से टकरा-टकरा कर फिर अपने उसी क्षेत्र में वापिस लौट आती है।[7] पहले जगमोहन घर आता था अब मनोज भी आने जाने लगा है। जगमोहन की चर्चा से सावित्री के होश- हवास गुम हो जाते है, महेन्द्रनाथ की इस प्रकार की बातों से सावित्री को गहरी वितृष्णा होती है। महेन्द्रनाथ द्वारा कही गई बात को सुनकर वह कहती है- ''जितने नाशुके आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं.........''[8] आधुनिक परिवेश में मघ्यवर्गीय स्थितियों से निम्न मघ्यवर्गीय स्थिति की ओर अग्रसर हो रही नारी का यह यर्थाथ चित्रण एवं चरित्र है। अशोक का चरित्र भी काफी मनोवैज्ञानिक व यथार्थ है। वह अपनी पारिवारिक स्थितियों एवं क्रूरताओं का शिकार दिखाया गया है। अशोक द्वारा नाटककार मोहन राकेश ने संपन्न वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है। जैसे अशोक कहता है ''जिन के आने से हम जितने छोटे हैं, उस से और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में।''[9] मां के व्यवहार के प्रति उसके मन में विद्रोह का विशेष भाव विद्यमान है। सावित्री जब सिंधानिया के तनख्वाह की बात करते उसकी प्रसंशा करती है तब अशोक कहता है- ''पाँच हजार तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं है कि अपनी पतलून के बटन.....।''[10] वह स्वंय जिन चक्करों में उलझा हुआ है स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी छोटी बहन किन्नी उन सबमें उलझकर अस्वाभाविकताओं का अखाड़ा बन कर रह जाए इस प्रकार परस्पर विरोधी स्थितियों एवं विसंगतियों का शिकार अशोक का चरित्र प्रतिनिधि बन कर उभरा है। इस नाटक की अन्य पात्र बड़ी लड़की मां बाप के असाधारण व अस्वाभाविक व्यवहार में उसके मन मस्तिष्क में भी एक असहाय तनाव सा उभरा दिया है वह तनाव उसे भी विद्रोह के लिए अनुप्राणित करता है। वह आधुनिक काल की लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे वह प्रेम संबंधों की वास्तविकता को जाने बिना बहकावे में आकर अपने जीवन को नष्ट कर देती है। मनोज से विवाह के बाद कुछ स्थितियों ऐसी घटित होती है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते है। उसके जीवन में धुटन के सिवाय कुछ भी शेष रह जाता नहीं है। उसके व्यक्तित्व में एक बिखराव और अनकहा बड़बोलापन भी है। वह अपने ही धर में परायापन महसूस करती है। वह स्वयं

कहती है-'' मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस धर में कि......। पहले?पहले तो....।''[11] फलस्वरूप अवसर पाते ही वह अपनी मां के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है परन्तु विडम्बना यह है कि वह भी अपने परिवार की अस्वाभाविकता व टूटन को अपने साथ ले जाती है। सावित्री एवं महेन्द्रनाथ के इसी वार्तालाप के दौरान उनकी बड़ी लड़की बिनी घर में प्रवेश करती है। बिनी के हाव-भाव से लगता है कि वह अपने पति से झगड़ा करके आयी है। बिनी को शादी से पहले लगा कि मनोज अच्छा आदमी है लेकिन उसे मनोज के साथ रहते हुए मालुम होता है। जैसे वह स्वयं कहती है-''दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में साँस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक-दूसरे से अजनबी महसूस करें?''[12] फलस्वरूप वह भी अपने पति के साथ निर्वाह नही कर पाती और उसी चिड़िया घर में वापसी की वही विवशता उसे भी सहन करनी पड़ती है। छोटी लड़की किन्नी अपनी मां के असफल जीवन की प्रक्रिया एवं प्रतीक बनकर ही हमारे सामने आती है जो एक मुहंफट्, वाचाल, स्वकेन्द्रित, जिद्दी, एवं कृतघ्न किस्म की किशोरी बन कर उभरी है। प्रस्तुत नाटक के अन्य पात्रों के समान किनी में भी अकुलाहट, खीज एवं अधूरापन देखने को मिलता है। वह यौन संबंधों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में तथा पड़ोसी कम उम्र की सुरेखा के साथ यौन संबंधों को लेकर बातें करने में दिलचस्पी रखती है। साथ ही वह अपने भाई अशोक के वर्णा उद्योग सेंटर वाली वर्णा के साथ यौन संबंधों से भी परिचित है। वह अपनी बड़ी बहन बिनी से कहती है-''इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई। रोज किसी न किसी बात पर मुझे पीट देता है।..... क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे नहीं ले जाने देती उसे देने।...... वह जो है इसकी..... कभी मेरी बर्थ डे प्रजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेनपेन। मैं अगर मामा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है।'' जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीय सामाजिक दृष्टि से आज के जीवन का एक कुरूप एवं कटु यथार्थ है जहां तक नाटक के अन्य पुरूषों का प्रश्न है। नाटक में पुरूष पात्र दो के रूप मे सिंघानिया[13] आता है। आज के भ्रष्ट अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नाटक में वह उपस्थित होता है। वह अपने अधिकार के बल पर झूठी सहानुभूति दिखाकर नारी कर्मचारियों की विवशता का लाभ उठाने का प्रयत्न करता रहता है। सिंघानिया सावित्री का बोस होता है। सावित्री उसे अपने घर अशोक की नौकरी की बात के लिए बुलाती है, किन्तु उसकी दृष्टि उस बिन्दु से अलग हट कर उसकी बेटी बिनी पर यौन तृष्णा की दृष्टि से रहती है। मोहन राकेश ने सिंधानिया के द्वारा कार्यालय में कार्यरत नारी कर्मचारी के प्रति उसकी यौन शोषण करने की दृष्टि का पर्दाफाश किया है। जुनेजा[14] भी पुरूष पात्रों में एक है। वह नाटक में पुरूष चार के नाम से आता है। महेन्द्रनाथ के परिवार को वह यौन शोषण और अर्थ शोषण दोनों तरह से तबाह करता है। सावित्री जुनेजा के पास पैसे देखकर उसकी ओर आकृष्ट होती है, लेकिन वह शोषण का शिकार बनती है। फिर सावित्री जुनेजा के पास से असंतुष्ट होकर उलटे पाँव लौट लाती है। इस प्रकार जुनेजा नाटक के प्रारंभ में एक मक्कार एवं विश्वासघातक के रूप में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन बाद में आकर वह सावित्री के लिए एक निकट मित्र एवं शुभ इच्छुक के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जगमोहन आज की 'टिपटाप' की दुनिया का आदमी है, जो औरते फँसाता है, और अपनी वासना की पूर्ति करके उसे दुर्दिन में छोड़ देता है। सावित्री से उसका नाजुक रिश्ता है, लेकिन वही सावित्री जब घर से भागकर उसके साथ

रहना चाहती है, तब जुनेजा के शब्दों में वह कहता है '' आज इसमें बहुत सी उलझने सामने है' बच्चों की जिन्दगी को लेकर, इसको-उसको लेकर।''अत: जगमोहन एक धूर्त अवसरवादी और कामुक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करनेवाला आधुनिक समाज का व्यक्ति है। डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र 'आधे-अधूरे' के इन पुरूष पात्रों के विषय में लिखते है-''इसमें पात्रों की अमृत मनोदशा की अभिव्यक्ति है। उन पात्रों की जो आज की परिस्थिति में विवश होकर जी रहे है, जो अभाव और कुण्ठाओं से अभिशाप है। पात्रों की मन: स्थितियों और संवेदनाओं की टकराहट ही पात्रों की चारित्रिक विशेषता है। इनमें पात्रों का स्वयं का अन्तर्द्वन्द्व ही उनकी जीवंतता है। सभी अपने पारिवारिक संबंधों से आशक्ति और क्रोध व उतेजना की स्थिति में है। प्रत्येक अपने एक दूसरे से अजनबी और अपरिचय की स्थिति में जी रहा है। प्रत्येक अपने आप में अधूरा है, फिर भी एक दूसरे के अधूरेपन को सहन करने में असमर्थ है। सभी पात्र काल्पनिक पूरेपन की तलाश में प्रयत्नशील है और ऐसा करते हुए वे नाटक का दूसरों की जिन्दगी को अभिशाप बना रहे है।''[15]

नाटककार के अपने मतानुसार ही उन्हें महेन्द्रनाथ के स्थान पर रखा जा सकता है क्योंकि मुख्य प्रश्न प्रवृतियों और परिस्थितियों का है अत: सभी पुरूष पात्र आंतरिक दृष्टि से एक ही व्यक्तित्व एवं चरित्र वाले है नाटककार ने तभी तो काले सूट वाले आदमी अर्थात् महेन्द्रनाथ से कहलवाया है-

''आप मतलब नही रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते है जो मै आपके लिए होता हूँ इसलिए इस समय जहां मै खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे यही समानता आपमे और उसमें , उसमें और दूसरे मेें और दूसरों मे और मुझमें में ....विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप मे से ही हर एक व्यक्ति हूँ।''

निष्कर्ष–

इस प्रकार 'आधे-अधूरे' वर्तमान युगीन मघ्यवर्गीय विंसगतियों का एक ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज है, जिसमें महानगरीय संत्रास बोध, उसमें व्याप्त आर्थिक दबाव की छटपटाहट और तज्जन्य तनावों को यर्थाथ रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवन में चुनाव बहुत कम है। हमें जिके साथ रहना है, उनके ही साथ हम अच्छी तरह रहने का प्रयत्न करे। सब चीजें किसी को भी एक जगह अथवा किसी एक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकती प्रत्येक व्यक्ति में कोई-न-कोई अभाव रहता है। महेन्द्रनाथ निर्णय लेने में असमर्थ, जीवन से हारा हुआ परजीवी व्यक्ति है जो स्वंय को नियति के हवाले कर चुका है। अपने आप से संतुष्ट फिर भी आंशकित सिंधानिया, अपनी सुविधा से जीने का दर्शन लिए जगमोहन, चेहरे पर बुजुर्गियत के एहसास के साथ काईयापन लिए जुनेजा और जिन्दगी से लड़ाई हार चुकानेवाले महेन्द्रनाथ में मूलभूत समानता होने के बावजूद चरित्रगत विभिन्नताएँ भी हैं जिसका रेखांकन नाटककार ने सूक्ष्म संकेतों के माघ्यम से किया है। लेकिन मोहन राकेश की चरित्र-सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण रूप अपेक्षाकृत गौण पात्रों का चित्रांकन है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1 आधुनिक साहित्य :दशा और दिशा, डा. ज्ञान सिह मान पृ. 63

2 मोहन राकेशः व्यक्तित्व एवं कृतित्व , डा. रमेश कुमार जाधव, पृ.101

3 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.14

4 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.108

5 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.62

6 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.58

7 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.37

8 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.102-103

9 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.60

10 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.80

11 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.45

12 आधे-अधूरेः मोहन राकेश, पृ.84

13 मोहन राकेश के नाटय शिल्प -प्रेरणा एवं स्त्रोत, डा. राजेशवर प्रसाद सिंह पृ. 172-173

14 मोहन राकेश के नाटकः विश्लेष्णात्मक अघ्ययन डा. गाोमति अम्मा पृ.12

15 दशरथ ओझा (सं) समकालीन हिन्दी नाटक पृ.84

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

मानस और समाजोन्मुख प्रेरणा

* सरोज बाल श्याम विश्नोई

सारांश– *महामना गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मान्स इस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शो को व्यावहारिक जीवन में मूर्तिमान करने वाले श्रीराम के जीवन चरित्र एवं पारिवारिक जीवन का वर्णन है। हमारे सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में इसका विशेष महत्व है। ईश्वर भक्ति अन्तःकरण के पवित्रता, अभिभावको के कर्तव्य, आदर्श पुत्र–पुत्री के कर्तव्यों का निर्वहन, परिवार में गहन आत्मीयता, निश्छल स्नेह, सद्भाव, नैतिकता, पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन की सुचिता, एक पति–पत्निव्रत धर्म, धर्म, आदर्शनिष्ठ जीवनचर्या, निःस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन की चेतना से सत्यप्रवृित्तियों का पुण्य प्रसार कर समाज में श्रेष्ठ मार्ग अपनाकर भय एवं दुख से मुक्ति और सुख–समृद्धि का अन्तःकरण में भाव जागृत होता है।जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समस्त समस्याओं का समाधान मिलता है। पिता का पुत्र के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, रामचरित मानस के माध्यम से प्रेरित व्यक्ति चरित्रवान, नीतिवान एवं समाज का श्रेष्ठ नागरिक एवं समाज सुधारक बन सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के भाव तिरोहित होने में मन एकाग्र होता है। व्यक्ति निर्माण के लिए संस्कारो का महत्व, चरणवंदना का महत्व आदि श्रेष्ठ प्रविृत्तियों को विकसित करने की समाजोन्मुख चेतनाए, प्रेरणा मानस देता है। इस प्रकार चिन्तन की उत्कृष्ठता और क्रियाकलापों में आदर्शवादिता का समावेश रामचरितमानस की विशेषता है, जिसके पठन–पाठन श्रवण से समाजोन्मुख चेतना, प्रेरणा उत्पन्न होती है, जो मानव मात्र के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में अभिनव भूमिका अभिनीत करने मे विशेष योगदान करता है।*

मुख्य शब्द– भारतीय संस्कृति, कर्तव्य, आदर्श, सामाजिक जीवन, प्रेरणा, उत्कृष्ट चिन्तन

महामना गोस्वामी तुलसीदास कृत रामकथा प्रसंग के लिए विनिर्मित मानस की रचना इस राष्ट्र की ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें भारतीय संस्कृति से आदर्शो को व्यावहारिक जीवन में मूर्तिमान करने वाले अवतारों की श्रृंखला में विशिष्ट स्थान रखने वाले राम के जीवन चरित्र एवं पारिवारिक सामाजिक जीवन का वर्णन है। रामचरित मानस का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक कथा किसी न किसी विशेषगुण, शुद्धआचरण करने के लिए सामाजिक जीवन में शिक्षा देता है–

सियाराम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम नोरि जुग पानी।

• सहायक प्राध्यापक, शास. विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़, कोरिया (छ.ग.)

रामचरितमान्स में धार्मिक उपदेश दुराचारी, पापी, अत्याचारी व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर लाकर श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है -

अनुज वधु भगिनी, सुत नारी, सुन सठ पे, कन्या समचारी

संसार में जितने भी प्रतिभाशाली, लोकसेवी संत और महापुरुष हुए है, उनके व्यक्तित्व निर्माण सुयोग्य संस्कारवान नागरिक बनाने में माॅ ने एक कुम्भकार की भूमिका अभिनीत की है। समाज में सुयोग्य व्यक्तियों की संख्या बढ़े और समाज ऊॅचा उठे, उसके लिए नारी की स्थिति में सुधार लाना परम् आवश्यक है, इस पवित्र प्रयोजन हेतु रामचरितमानस की भूमिका सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में विशिष्ठ रही है।

मानस से प्राप्त प्रेरणानुसार रामराज्य आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रुप में आदिकाल से प्रेरणास्रोत रहा है, मात्र उसी के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से यह बोध होता है कि नारी हर क्षेत्र में तथा हर स्तर पर पुरुष की तरह सक्रिय और सफल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस प्रारंभ करते हुए नारी के श्रध्देय स्वरुप की वंदना, नारी की उच्च गरिमा को ध्यान में रखकर की है।

भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रुपिणौ।
याभ्यां विना च पश्यन्ति सिध्दाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ।।

श्रद्धा और विश्वास के स्वरुप श्री पार्वती जी और श्री शंकरजी की मैं वंदना करता हूॅ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तकरण में स्थित ईश्वर को नही् देख सकते।

संत तुलसीदास जी ने नारी को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए वंदना प्रसंग में उन्होने मानस में राम और सीता की उपमा एक पुण्य सरोवर से की है। सरोवर की सबसे महत्वपूर्ण सम्पदा जल है।

।। राम सिया जस सलिल सुधा सम।।

भगवान राम और देवी सीता का यश इस मानस सरोवर का जल है, जिसका अनुशीलन करके सामाजिक वर्जनाओ से बचा जा सकता है, सद् गृहस्थ परम्पराओं तथा पिता-पुत्र, भ्राता-भ्राता के संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। मानस के पठन-पाठन से समाज में व्याप्त चेतना का ही सुपरिणाम है कि भारत मेंं पारिवारिक आदर्श एवं वसुदैव कुटुम्बकम् की भावना आज भी विद्यमान है। हमारे देश में पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन की सुचिता अक्षुण्य रही एवं पश्चिम की तरह परिवार संस्था टूटते नही है।

मानस में श्रीराम एवं उनके भाईयों की विवाह पश्चात् विदाई के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है -

परिवार पुरजन मोहि राजहिं, प्रान प्रिय सिय जानकी।
तुलसी सील सनेह लखि, निज किंकरी कर मानवी।।

मानस के संदर्भित प्रसंग से प्रेरणा मिलती है कि अनुदान देकर भी अहंकार नही, नम्रता प्रकट करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। कन्या पक्ष यदि विवाह में इसका निर्वाह करें तो यह नम्रता उसकी लाचारी नही है, वरन् सराहनीय प्रेरणा समाज में चेतना रुप में फैलती है। इसी प्रकार मानस से समाजोन्मुख प्रेरणा प्राप्त होती है कि नर-नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखे तथा पतिव्रत धर्म एवं पत्निव्रत धर्म का परिपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करे।

एक नारी व्रतरत सग झारी।

ते मन वच क्रम पति हितकारी।।

मानस के माध्यम से तुलसी ने समाज को ईश्वर आराधना की प्रेरणा देकर आस्तिकता विकास उत्पन्न की है, लोगो में साकार एवं निराकार रुप में ईश्वर को प्रस्तुत किया है, निराकर अर्थात चेतना की सतोगुणी प्रवृत्तियाॅ जो हमारे अन्त:करण में दिव्य भावनाओं एवं मस्तिष्क में दिव्य विचारणा के रुप में रहती है, जो कि व्यक्ति के नैतिक एवं सामाजिक उत्थान में योगदान करता है। साकार ईश्वर इस समस्त ब्रम्हाण्ड के विराट विश्व के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मानस में ईश्वर चेतना रूप में है। यह भाव शिव उमा संवाद में इस प्रकार व्यक्त किया गया है।

सहज प्रकाश रूप भगवाना।
नहिं तहँ पुनि विज्ञान विताना।।

मानस द्वारा महाकवि तुलसी दास जी ने अभिभावकों के कर्तव्य एवं मर्यादाओं के बोध के प्रति चेतना जागृत की हैं। सन्तान को जन्म देने का उद्देश्य परिवार को श्रेष्ठ सदस्य और समाज को उत्कृष्ट नागरिक प्रदान करना है। मानस में दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, आदर्श की दृष्टि से पुरूषों में भाईयों सहित श्री राम और नारियों में पार्वती और सीता का वर्णन मिलता है। राम और सीता आदर्श पुत्र पुत्री थे, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु ऐसी सन्तति उन्हीं के होती है, जो स्वयं श्रेष्ठ आचरण युक्त हों। श्री राम विवाह प्रसंग में सीता और राम को देखकर स्त्री-पुरूषों में चर्चा होती है-

जनक सुकृत मूरति बैदैहि।
दशरथ सुकृत रामुधरे देही।।

जनक के श्रेष्ठ कर्त्तव्यों की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृतों की प्रतिमा राम हैं। सन्तति निर्माण में पिता की अपेक्षा माता का महत्व अधिक है। श्री राम के जन्म देने का श्रेय माता कौशल्या को देते हुए तुलसीदार जी वन्दना प्रसंग में उन्हें पूर्व दिशा की तरह पवित्र और महत्वपूर्ण कह कर प्रणाम करते हैं।

वंदहु कौशल्या दिसि प्राची।
कीरति जासु सकल दिशिमाचीं।।

यहाँ अन्धकार का नाश करने में समर्थ सूर्य को उगाने वाली प्राची दिशा को ही गौरव प्राप्त हुआ है। उसके समान मां कौशिल्या भी गौरवशाली तथा कीर्तिवान हैं।

व्यक्ति द्वारा समाज के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान हेतु श्रेष्ठ संतान पैदा करने की चेतना रामचरित मानस से मिलती है। मानस द्वारा महामना तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन में आदर्श का चित्रण किया है। मानस गहन आत्मीयता, निश्छल स्नेह, उत्कृष्ट त्याग, अधिकार और उत्तरदायित्वों के उच्चतम आदर्शो से भरपूर है।

उत्कृष्ट भावना के कारण भाईयों का प्रेम आदर्श प्रेम बना, जिसके मार्गदर्शन मानस में स्थल-स्थल पर होते हैं, इस प्रकार मानव मात्र के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में रामचरित मानस आदर्श भूमिका अभिनीत करता है, इस प्रकार मानस में स्वार्थ परक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर श्रेष्ठ आदर्श निष्ठ जीवन के प्रति आस्थावान बनने की, सामूहिकता से कार्य करने की, स्नेह, सद्भाव, नैतिकता आदि श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। मानसकार का स्पष्ट मत है कि-

जहाँ सुमति तहँ सम्पत्ति नाना।

जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना।।

मानसकार से प्रेरणा मिलती है कि -

जिमि सुख सम्पत्ति विनहिं बुलाये।
धर्मशील पहु जाय शुभाये।।

सुख-सम्पत्ति बिना बुलाये ही धर्मशील व्यक्ति के पास जाती है। धर्म, आदर्श निष्ठ जीवनचर्या को ही कहा गया है। सद्गुण एवं सदाचरण सम्पन्न व्यक्ति के पास सम्पत्ति भी पहुंच जाती है और वह सुख-सन्तोष भी प्राप्त कर लेता है।

चित्रकूट में भगवान राम के साथ सीता को राजा जनक कर्त्तव्य पालन करते देखकर कर्त्तव्यनिष्ठ पुत्री पर गौरव करते हुए कहते हैं -

पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ।
सुजस धवल जगु कट सब काऊ।।

यहां समाजोन्मुख चेतना जागृत होती है कि निःस्वार्थ भाव से कर्त्तव्य पालन से यश कीर्ति फैलती है।

व्यक्ति और समाज की उन्नति, सभ्यता, संस्कार परस्पर पूरक हैं। समाज का विकास कायाकल्प अपने कर्त्तव्यों के सही सम्पादन पर ही निर्भर है। मानस से प्रेरणा मिलती है कि सबके कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न होते हैं। इन सिद्धांत कर्त्तव्यों को ही धर्म कर्त्तव्य कहा गया है।

अपने स्वजनों, परिजनों को आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाने का प्रयास राम रामचरित मानस में हर स्थल पर दिखता है। उसका परिणाम जन-सामान्य की जीवन शैली में दिखाई देता है। जनकपुर के निवासी इसी प्रकार के हैं। श्री राम-लक्ष्मण उन्हें देखकर हर्षित हो उठते हैं-

पुर नर -नारि सुभग सुचि सन्ता।
धरमशील ज्ञानी गुनवन्ता।।

पुरवासी स्त्री-पुरूष सुन्दर, पवित्र, सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान थे।

मानस में समाजोन्मुखा चेतना मिलती है कि सत्यप्रवृत्तियों के विकास के साथ आदर्श निष्ठा एवं नैतिक उत्थान से ही आदर्श समाज की स्थापना संभव होती है, फिर सभी लोगों को अपने-अपने कर्त्तव्य में लगे रहकर श्रेष्ठ मार्ग अपनाकर भय एवं दुख से मुक्त और सुख-समृद्धि के आधिकारी बन जाते है। राम राज्य इसी आधार पर आदर्श बने।

राम राज्य में निवास करने वाले के लक्षण मानस में इस प्रकार मिलते हैं-

वरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग।
चलहिं सदा पावहि सुखहि, नहिं भय शोक न रोग।।

सभी लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में लगे हुए हमेशा वेद के रास्ते पर चलते हैं और सुख पाते हैं, उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न रोग है। धर्म यहां कर्त्तव्य का पर्यायवाची है।

मानस से सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में समाजोन्मुख प्रेरणा प्राप्त होती है कि जहां जीवन के उच्च मूल्यों आदर्शों के प्रति जन-साधारण में दृढ़ आस्था होगी वहां सभी सुखी निरोगी और संतुष्ट दिखेंगे।

मानस समाजोन्मुख सामाजिक एवं नैतिक उत्थान हेतु परिवार में सुसंस्कारिता का

वातावरण विर्निमित करने में विशेष योगदान देता है। परिवार को व्यक्ति निर्माण का सांचा माना गया है। परिवार केन्द्र में जो वातावरण अभिशिष्ट है, वह सुसंस्कारिता का वातावरण है। इस वातावरण के बिना केवल बौद्धिक शिक्षण के आधार पर व्यक्ति की ढलाई सम्भव नहीं है।

उत्तम ज्ञान, प्रेरणाएं तो कभी भी दी जा सकती है पर उत्साह उमंग भरे वातावरण में सो उद्देश्य कर्मकाण्डों के साथ दी गई शिक्षा विशेष प्रभाव छोड़ती है। अग्नि की साक्षी में विशेष धर्मोत्सव के साथ किया गया विवाह संस्कार पति-पत्नि के मन पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ता है।

गरम भट्टी में तपाया हुआ लोहा गरम हो जाता है, उसे आसानी से तोड़ा-मरोड़ा और ढाला जा सकता है संस्कारों के धर्मोत्सवों में उस व्यक्ति की तथा उपस्थित लोगों की मनोभूमि ऐसी हो जाती है कि पुरोहित द्वारा की गई प्रेरणाएं अतरंग तक प्रवेश करती है और चिरकाल तक अविस्मरणीय प्रभाव बनाए रखती है। मानस में आश्रम के कर्त्तव्यों का पालन करते हुए राजा दशरथ अपने बालकों के लिए समय-समय पर संस्कारों की व्यवस्था कराते हैं। गर्भ धारण के पूर्व से ही यज्ञीय संस्कारों को कराया जाता है।

नामकरन कर अवसर जानी।
भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी।।

राजा ने जब देखा कि नामकरण संस्कार का समय आ गया, तब ज्ञानवान मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया।

यहां प्रेरणा है कि- संस्कार ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति से ही कराने चाहिए। बालक के सर्वतोमुखी विकास उसके अन्तःकरण पर उपयुक्त प्रभाव डालने के लिए मानस की रामकथा में यह आदर्श बार-बार नामकरण संस्कार, मुण्डन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार कर निभाया है। उनके स्नेही अभिभावक, गुरू , सभी स्वयं कष्ट सहकर भी उन्हें आदर्शनिष्ठ बनाने में योगदान देते है।

तुलसी ने मानस में अयोध्या में श्री राम की प्रातः चर्या का वर्णन करते हुए लिखा है-

प्रातः काल उठकै रघुनाथा।
मातु-पिता, गुरू, नावहिं माथा।।

अन्य भाईयों की भी यही प्रातःचर्या है।

चित्रकूट में अत्रि आश्रम में भरत एवं शत्रुघन का प्रसंग इस प्रकार है-

नित्य निवाह भरत दोऊ भाई।
राम आदि गुरू आयसु पाई।।

भाभी के प्रति भी यही व्यवहार है, चित्रकूट में सीता जी से मिलने पर -

सानुज भरत उमगि अनुरागा।
धरि सिर सिय पद पदम परागा।।

भरत जी भाई शत्रुघन सहित उमंग अनुराग से भरकर सीताजी को माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। सीताजी भी बड़ों के प्रति यही मर्यादा पालती है-

सीय आइ मुनिवर पग लागी।
उचित असीम लई मन मांगी।।

श्रद्धापूर्वक प्रणाम के बदले निश्चित रूप से उचित आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार मानस के पात्रों से समाजोन्मुख चेतना परिवारों में चरण वंदन की परम्परा बढ़े तो स्नेह सद्भाव में इनती वृद्धि हो सकती है कि क्लेश-कलह, ईर्ष्या-द्वेश, काम-क्रोध, लोभ जैसे दुगुणों का स्थान भाव संवेदना स्नेह, सहकार ले लेंगे इस प्रकार परिवार संस्था में शुभ चिंतन तथा उत्कृष्ट चरित्र बढ़ेंगे और एक स्वस्थ समाज गढ़ेंगे।

इसी प्रकार मानस से अनीति के विरूद्ध संघर्ष हेतु जागृत होती है, जो कि सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में सहायक है। सत्प्रवृत्तियों के सवर्धन पुण्य प्रसार के लिए नम्रता, दयालुता, सौभ्यता आदि महत्वपूर्ण गुण हैं, किन्तु अनैतिक, अवांछनीय दुष्ट प्रवृत्तियों को हटाने, मिटाने के लिए शौर्य साहस, दृढ़ता की प्रेरणा मानस से मिलती है।

अनीति के विरूद्ध व्यापक संघर्ष का एक और पक्ष है, वह है सज्जनों को उत्साहित करना, उन्हें अनीति के विरूद्ध डटकर मुकाबला करने के लिए जागृत करना।

इस प्रकार सम्पूर्ण रामचरित मानस में समाजोन्मुख प्रेरणाएं सव्याप्त है, जिससे चेतना प्राप्त कर मानव के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में योगदान किया जा सकता है, बस आवश्यकता है, ऐसे आदर्श निष्ठ साहस का परिचय देने का तथा सकारात्मक चिन्तन अपनाने का जिससे श्रेष्ठतम् परिस्थितियां निर्मित हों। यह शोध पत्र समाज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है।

अन्त में कहा जा सकता हैं कि सम्पूर्ण मानस व्यक्ति को कर्त्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट चिन्तन अपनाने एवं चरित्र में आदर्शवादिता विकसित करने की चेतना उत्पन्न करते हुए मानव मात्र के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान में योगदान करता है।

यह शोध पत्र मानस के कुछ अंगों को लेकर लिखा गया है, यह समुद्र में से एक बून्द लेने के समान है। सम्पूर्ण मानस में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिससे व्यक्ति निर्माण एवं समाज निर्माण की उत्कृष्ट प्रेरणा मिलती है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. तुलसीदास कृत श्रीमद् राम चरित मानस, श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार प्राईवेट.लिमिटेड. इलाहाबाद
2. तुलसीदास, रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर।

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

शहरी एवं ग्रामीण माध्यमिक शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का विश्लेषणात्मक अध्ययन (भोपाल जिले के संदर्भ में)

* अंजुवाला सिंह
** अखिलेश शर्मा

सारांश– *मानसिक योग्यता से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरुप व्यक्ति अपने निरन्तर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी–बड़ी उलझन पूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह समर्थ पाता है। मानसिक योग्यता, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचारशक्ति, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि और भाषा सम्बन्धी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता है। वर्तमान शोध अध्ययन भोपाल जिले के शहरी एवं ग्रामीण माध्यमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा 9वी एवं 10वी के विधार्थियों की मानसिक योग्यता के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु किया गया है, जिसमे भोपाल जिले के 100 विद्यार्थियों 50 शहरी एवं 50 ग्रामीण शालाओ में अध्ययनरत है, को यादृाच्छिक न्यायदर्शन पद्धति द्वारा चयनित किया गया हैं। मानसिक योग्यता के मापन हेतु सामान्य मानसिक योग्यता के लिये समूह परिक्षण मानकीकृत द्वारा एस. जलोटा (*GT GMA-JS*) का उपयोग किया गया। आंकड़ो के विश्लेषण हेतु मध्यमान मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया। प्राप्त निष्कर्ष अनुसार शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही पाया गया।*

मुख्य शब्द– माध्यमिक शाला, मानसिक योग्यता, शक्ति

प्रस्तावना– माध्यमिक शाला से तात्पर्य 9वी एवं 10वी कक्षाओं से है। माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह टेस्ट प्रशासित किया गया है। मानसिक योग्यता विभिन्न प्रकार की मानसिक क्षमताओं का संपूर्ण योग हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मानसिक योग्यता किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं है, बल्कि कई प्रकार की क्षमताओ का पूर्ण योग ही मानसिक योग्यता कहलाता है। मानसिक योग्यता विभिन्न प्रकार की योग्यताओ का एक जटिल समूह है जिसका संबंध बालकों के चेतन तथा अचेतन मस्तिष्क से होता है। मानसिक योग्यता की सहायता से बालक समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं किसी समस्या के समाधान में अनुभूतियों का लाभ वह इसी

* व्याख्याता, डाइट भोपाल (म.प्र.)
** निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। मानसिक योग्यता के सहारे उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाऐं करता हैं। जो बालक जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाऐं करता है उतना ही अधिक बुद्धिमान या मानसिक योग्य माना जावेगा। निरर्थक तथा उद्देश्यहीन क्रियाऐं करने वाले बालक को हम कम मानसिक योग्यता का समझतें है। अतः मानसिक योग्यता के सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रियाऐं करते हैं।

मानसिक योग्यता बालक को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने में मदद करता है। उच्च मानसिक योग्यता वाले बालक के सोचने एवं चिन्तन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं युक्तिसंगत होता है। थर्स्टन ने नौ प्रकार की मानसिक योग्यता का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि किसी विशेष कार्य को करने में 9 मानसिक योग्यता के संयोजन की आवश्यकता होती है।

मानसिक योग्यता के संबंध मे कई शोध अध्ययन किये जा चुके है जिनमें से कुछ अध्ययन इस प्रकार है।

सुल्ताना (1986) के द्वारा सामान्य एवं विचलित छात्रों की बुद्धि, सामाजिक क्षमता और अभिभावक के प्रति अभिवृत्ति पर अध्ययन में पाया कि सामान्य विद्यार्थी विकलांग विद्यार्थियों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थे।

पाटिल (1982) ने बौद्धिक स्तर पर छात्रो का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और पाया कि उच्च बौद्धिक स्तर के छात्रो ने सभी पाँचो अभिरूचि मापन में उच्च अंक प्राप्त किये।

नतेथन, हेमलता और गीता ,वी.के (1986) ''किशोरों की मानसिक योग्यताओ एवं व्यावसायिक आकांक्षाओ का अध्ययन किया। पाया गया कि अधिकांश लड़को ने अभियन्ता तथा अधिकांश लड़कियो ने चिकित्सक के व्यवसाय को प्राथमिकता दी। मनगत, डी. (1988) ने अपने अध्ययन मे व्यावसायिक परिपक्वता को बुद्धिमता और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में बुद्धिमता एवं व्यावसायिक परिपक्वता के विभिन्न क्षेत्रो जैसे आत्म मूल्यांकन प्रासांगिक सूचनाओं उद्देश्य निर्धारण तथा सम्पूर्ण परिपक्वता में सार्थक सह-संबंध पाया एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं बुद्धिमता, सामाजिक आर्थिक स्तर और शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक सह संबंध नही पाया गया।

उपरीत, व्ही. (1988) ने अस्थि दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थियो का आत्म प्रत्यय आवश्यकता पूरे करने के तरीके एवं बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया इसके लिए 100 विद्यार्थी अस्थिवाधित एवं 100 विद्यार्थी सामान्य लिये गये जो कि 13-18 वर्ष के थे। मानसिक योग्यता के परीक्षण हेतु सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण मानकीकृत द्वारा एस जलोटा लिया गया। इस अध्ययन मे पाया गया कि सामान्य विद्यार्थीअन्य अस्थिवाधित विद्यार्थी से अधिक बुद्धिमान है एवं अस्थिवाधित दिव्यांग मे जेंडरके आधार पर बालक एवं बालिकाओं की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही पाया गया।

मिलन शमशदा (1988) ने बालक एवं बालिका के बुद्धि, न्युरोटीसीज्म, शैक्षणिक उपलब्धि, आवश्यक उपलब्धि को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन मे 1008 विद्यार्थी जिसमे समान संख्या में बालक एवं बालिका श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला एवं अनंतनाग जिले से लिया गया। इसके लिये मानसिक योग्यता हेतु समूह परीक्षण मानकीकृत द्वारा टण्डन का उपयोग किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष में बालिकाओ

की मानसिक योग्यता, एवं शैक्षणिक उपलब्ध बालकों से अधिक पायी गयी।

मूलिया, आर.डी. (1992) अहमदाबाद जिले माध्यमिक शालाओ के विद्यार्थियो के IQs का उनके कक्षा स्तर, जेंडर एवं निवास के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में न्यादर्श 720 विद्यार्थियों को लिया गया। हर कक्षा से 30 बालक एवं 30 बालिकाओ का चुनाव किया गया। बुद्धि के लिए मिनी बुद्धि परीक्षण मानकीकृत द्वारा जे.एच. शाह का उपयोग किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष में बालक एवं बालिकाओं के IQs में सार्थक अंतर नहीं पाया गया एवं 9वी कक्षा के IQs सबसे अधिक पाया गया। शहरी विद्यार्थियो का IQs ग्रामीण विद्यार्थियो से अधिक पाया गया।

वर्मा, बी.पी. (1990) हाई स्कूल के विद्यार्थियो की सामान्य बुद्धि पर पढने के तरीके एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में न्यादर्श मे शिमला शहर के सात संस्थानो से 300 हाईस्कूल विद्यार्थियो को अनियमित न्यादर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम अनुसार सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि पर सार्थक प्रभाव नही है एवं उच्च एवं निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों में स्वतंत्र,आश्रित, सहभागिता, सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक सीखने की तरीके में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

डॉ. लक्षीनंदन नाथ (2015) ने आदिवासी एवं सामान्य के बीच मानसिक योग्यता को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया इस हेतु सामान्य सम्भवन विधि द्वारा असम के लखीमपुर जिले के 200 विद्यार्थी चयनित किये जिसमें 100 आदिवासी एवं 100 नॉन आदिवासी थे।इस हेतु एस जलोटा (1976) द्वारा मानकीकृत समूह परीक्षण का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय विधि में मध्यमान प्रमाणिक विचलन एवं टी-परीक्षण का उपयोग किया गया। इस अध्ययन मे यह निष्कर्ष निकला कि शहरी एवं ग्रामीण आदिवासी एवं सामान्य की बुद्धि में सार्थक अंतर नही पाया गया एवं जेंडर के आधार पर भी आदिवासी एवं सामान्य की बालक-बालिकाओं में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

कविता मित्तल (2017) ने पंजाब के डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियो की सामान्य बुद्धि को लेकर अध्ययन किया । इस अध्ययन में पंजाब राज्य के BSc एवं BA के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 625 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। इस हेतु मिश्रा एवं पाल (2007) का कॉलेज विद्यार्थियो का सामान्य बुद्धि परिक्षण का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला की शासकीय एवं अशासकीय कॉलेज के विद्यार्थियों की बुद्धि में सार्थक अंतर पाया गया है। शासकीय कॉलेज के विद्यार्थियों की बुद्धि अधिक पायी गयी। ग्रामीण एवं शहरी कॉलेज विद्यार्थियो की बुद्धि में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी कॉलेज विद्यार्थियो के बुद्धि के अंक अधिक पाये गये एवं जेंडर के आधार पर बालक एवं बालिकाओ की सामान्य बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

मानसिक योग्यता का अर्थ एवं परिभाषा-

मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा जाता है वह तर्क कर सकता है, भेद कर सकता है, समझ सकता है और नई स्थिति का सामना भी कर सकता है। यह सब कार्य को अपनी मानसिक योग्यता में सिर्फ एक ही तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं होती है बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमता जिन्हे सामान्य योग्यताऐ कहा जाता है सम्मिलित होती है।

मानसिक योग्यता से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के सम्पूर्ण वर्ग से होता है जो

व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवो से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है।

स्टर्न के अनुसार- ''बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओ के अनुसार चिंतन करता हैं जीवन की नई समस्याओ एवं स्थितियो के अनुसार अपने आपको ढालने की सामान्य योग्यता 'बुद्धि' कहलाती है। ''

डैविड वैक्सलर के अनुसार- ''बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। विवेकपूर्ण चिन्तन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है।

अध्ययन की आवश्यकता–

वर्तमान शोध ग्रामीण एवं शहरी बालक-बालिकाओ को न्यादर्शक रूप में लेकर किया गया है क्योंकि ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही परिवेश आपस में एक दूसरे से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं। अत: क्या ग्रामीण एवं शहरी परिवेश का मानसिक योग्यता पर कोई प्रभाव पडता है? क्या लिंग भेद के आधार पर मानसिक योग्यता प्रभावित होती है ? ऐसे कई प्रश्नो का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययनों की वर्तमान में महती आवश्यकता है साथ ही इन अध्ययनों का उपयोग अध्ययन, अध्यापन के कार्यो में भी किया जा सकता हैं।

समस्या कथन–

शहरी एवं ग्रामीण माध्यमिक शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो का उनकी मानसिक योग्यता का विश्लेषणात्मक अध्ययन संदर्भ में भोपाल जिले के शोध उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विघालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाऐं–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही है।
2. बालक एवं बालिका की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमाऐं–

1. यह शोध अध्ययन भोपाल जिले तक ही सीमित है।
2. शोध अध्ययन में भोपाल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 9वी एवं 10वी मे अध्ययरत बालक-बालिकाओं को यादृच्छिक न्यायदर्शन पद्यति के द्वारा चयनित किया गया है।

शोध प्रविधि– वर्तमान शोध अध्ययन में विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता के मापन हेतु मानसिक योग्यता का समूह परीक्षक मानकीकृत द्वारा एस. जलोटा का उपयोग किया गया है। आंकडो के विश्लेषण हेतु प्रमुख सांख्यिकीय विधियाँ मध्यमान प्रामाणिक विश्लेषण एवं टी-टेस्ट का उपयोग किया गया है।

आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्या–

परिकल्पना क्रमांक 1

शहरी एवं ग्रमीण क्षेत्र के विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही है।

सारणी क्रमांक-1

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का टी-मान

चर	**समूह**	**संख्या**	**मध्यमान**	**प्रमाणिक विचलन**	**टी सारणी मान**	**df**	**परिकालित टी मान**	**सार्थकता .05 स्तर**
मानसिक योग्यता	शहरी	50	65.52	11.45	1.98	98	0.98	सार्थक अंतर नही है।
	ग्रामीण	50	65.32	8.86				

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का मध्यमान क्रमंश 65.52 एवं 65.32 है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता का मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो से अधिक है। तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि परिकलित टी-मान 0.98 है जबकी df=98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर परीक्षण के लिए टी सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकालित मान कम है अर्थात (0.98<1.98) अत: सार्थक अंतर नहीं है। अत: कह सकते है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही है।

इस प्रकार परिकल्पना क्र.। मान्य की जाती है।

परिकल्पना क्र. 2 बालक एवं बालिकाओ की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही है।

सारणी क्र. 2

चर	**समूह**	**संख्या**	**मध्यमान**	**प्रमाप विचरण**	**टी सारणी मान**	**df**	**परिकालित टी–मान**	**सार्थकता स्तर 0.5**
मानसिक योग्यता	बालक	50	63.82	10.68	1.98	98	1.58	सार्थक अंतर नही है
	बालिका	50	67.02	9.51				

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि बालक एवं बालिकाओ की मानसिक योग्यता का मध्यमान क्रमश: 63.82, 67.02 है। इस प्रकार बालिकाओं की बुद्धि का मध्यमान बालको से अधिक है। तालिका से स्पष्ट है कि परिकालित टी-मान 1.58 है जबकि df=98 के लिए 0.05 स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणी मान से परिकलित मान कम है। अत: सार्थक अंतर नही है। अत: कह सकते है कि बालक एवं बालिकाओ की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नही है। इस प्रकार परिकल्पना क्र. 2 मान्य की जाती हैं।

निष्कर्ष– शोध अध्ययन के परिणामो के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो में अध्ययनरत विद्यार्थियो की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। बालक एवं बालिकाओ की मानसिक योग्यता में भी सार्थक अंतर नही पाया गया इन परिणामों की पुष्टि उपरीतकृव्ही (1988) एवं लक्षीनंदन नाथ (2015) द्वारा किए गए शोध अध्ययनो से होती है।

शैक्षिक अनुप्रयोग– वर्तमान शोध अध्ययन के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले शोध कार्य एवं अध्ययनो हेतु निम्न सुझाव हो सकते हैं।

- वर्तमान शोध अध्ययन अधिक व्यापक बनाया जाए जिससे शोध कार्य की विश्वसनीयता एवं वैघता बढ़ सके ।
- प्रस्तुतत शोध अध्ययन शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो के विद्यार्थियो के संदर्भ में भी किया जा सकता है
- आवासी एवं सामान्य विद्यार्थियो को न्यादर्श को लेकर भी यह शोध अध्ययन किया जा सकता है।
- इस प्रकार के शोध अध्ययन द्वारा विभिन्न शैक्षिक नीतियाँ के निर्माण में मदद कर सकती है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. nath, lakshinandan - International Journal of Science and Research (IJSR) (2015)(2319-7069)
2. Jalota.S. (1976) Group Test of Mental Ability &Scale.Agra, National Psychological Corporation
3. Mittal, k. (2017) an Int. J. of Education and Applied Social Science Vol 8, No. # PP775-779 Dec 2017
4. Mishra K.S. and Pal S.K. (2007) Test of General Intelligence for college students National Psychological Corporation Agra.
5. Upreti, V., 1988 A comparative study of self concept; need Pattern and intelligence of normal and orthopedically handicapped children Ph.D. Psychology Rohel Khand University (1988)
6. Buch, M.B., NCERT New Delhi First Survey of Research Education
7. Buch, M.B., NCERT New Delhi Second Survey of Research Education.
8. Buch, M.B., NCERT New Delhi Third Survey of Research Education.
9. Buch, M.B., NCERT New Delhi Fourth Survey of Research Education.
10. Buch, M.B., NCERT New Delhi Fifth Survey of Research Education.
11. Buch, M.B., NCERT New Delhi Sixth Survey of Research Education vol.-I &II (1993-2000).

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)

* दिनेश कुमार शर्मा

सारांश- *भारत मे प्राचीन काल से गुरूकुल परंपरा रही है। इसमें विद्यार्थी पूरे समय रहकर विद्या अध्ययन करते थे। प्रायः संपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम में शिष्य का संपूर्ण विकास होता था। श्रेष्ठ गुरूओं के सानिध्य भविष्य में श्रेष्ठ नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ता था। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कई आवासीय विद्यालय व्यवस्था प्रारंभ हुई लेकिन इनकी पहुॅच केवल कुछ धनाढ्य लोगो तक सीमित थी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को ध्यान में रखकर नवोदय विद्यालय की संकल्पना की गई 1986 से भारत के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। इसी प्रकार बालकों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर विद्या भारती संस्थान द्वारा भारत वर्ष में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य बालकों में ज्ञान, चरित्र, संस्कृति एवं देश भक्ति से ओत प्रोत नवीन युवाओं का निर्माण करना है।*

मुख्य शब्द– समाज, न्याय, जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या भारती

जवाहर नवोदय विद्यालय– नयी शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। यह पूर्णतः आवासीय है यहां निःशुल्क गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

विद्यालयों के उद्देश्य–

* भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर गुणवता युक्त शिक्षा देना। प्रत्येक जिले में योग्य विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित करना
* त्रिभाषा फॉर्मूला के आधार पर उपयुक्त शिक्षक सुविधायें प्रदान करना।
* मानको की तुलनीयता सुनिश्चित करने तथा हमारे लोगो की सांझा एवं संयुक्त विरासत का बोध पैदा करने के लिए कोर पाठ्यक्रम प्रदान करना।
* राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देश के एक भाग के छात्रों को दूसरे भाग में अध्ययन हेतु प्रवसन नीति का पालन करना ताकि वह देश की सभी संस्कृति से समन्वय कर सके।

• शिक्षक, शा.उ.मा.गांधीनगर, भोपाल।

* बालकों को उत्तम शिक्षण हेतु सभी आधारभूत सुविद्याये उपलब्ध करना ग्रामीण भारत के शिक्षण के उत्तर में अनुदान हेतु नवोदय विद्यालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह संविद्यान की मूल आत्मा के अनुरूप विशेष पिछड़े क्षेत्रों के बालको के लिए गुणावतायुक्त शिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न रहे है।

विद्या भारती संस्थान के आवासीय विद्यालय–

डॉ. के.बी. हेडगेवार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाना जी देशमुख के विचार दर्शन के आधार विद्या भारती प्रतिष्ठान की स्थापना 1950 में की गई। इन विद्यालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बच्चों का ऐसा विकास करना कि उनके विद्यमान क्षमता व प्रतिभा प्रकट हो सके। जिज्ञासा का भाव , ज्ञान का पांडित्य तथा संस्कारों की पवित्रता पनप सके छात्रों मे देश की माटी पूर्वजों की संस्कृति के साथ एकात्म भाव जग सके। विद्यालयो के गुरूकुल शिक्षा पद्दित को आदर्श मानती है। इसी के तहत संपूर्ण भारत वर्ष में विद्या भारती संस्थान में 150 आवासीय विद्यालय संचालित है।

* भारतीय संस्कृति एवं नवीन आदर्श के अनुरूप स्वीकृत शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना।
* छात्रों के शारीरिक मानसिक एवं आध्यमिक विकास करने के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना करना।
* भारत के निर्माण हेतु कुशल देशभक्त नागरिकों का निर्माण करना।
* वर्तमान स्थिति के अनुरूप छात्रों में प्रतिस्पर्धी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करना।
* राष्ट्र के लिए समर्पित, संस्कृति युक्त, व युवाओं का निर्माण करना।

विद्या भारती द्वारा भारत के सुविद्याविहीन दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु समाज के सहयोग से आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये है। इन विद्यालय ने योग्य आचार्य पूर्ण मनोयोग के निर्धन विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षण प्रदान कर रहे है।

बौद्धिक योग्यता–

वैश्लर ने ''बुद्वि किसी व्यक्ति में द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढ्ग से कार्य करने ,तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। ''

बौद्धिक योग्यता पर वंशानुकगत व वातावरण दोनो का प्रभाव पडता है। बच्चों मे अच्छे वातावरण में फलस्वरूप उसके बौद्धिक योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध में दो तरह के आवासीय विद्यालय का अध्ययन करेगे, जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णत: भारत सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय है जबकि विद्या भारतीय प्रतिष्ठान के विद्यालय पूर्णत: अशासकीय है।

समस्या कथन–

जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बौद्धिक योग्यता, का तुलनात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)।

प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य है–

* मध्यप्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा दसवी के विद्यार्थियों की बौद्धिक

योग्यता का अध्ययन करना।

- मध्यप्रदेश में विद्या भारती द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयो कक्षा दसवी के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा दसवी के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती में आवासीय विद्यालय मे कक्षा दसवी में अध्ययनरत छात्र, छात्राओं के मध्य बौद्धिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विघालय, में कक्षा दसवी के छात्राओं की बौद्धिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना–

- मध्यप्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता में कोई सार्थक अंतर नही है।
- जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं को बौद्धिक योग्यता का कोई सार्थक अंतर नही है।
- जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विद्यालय के छात्राओं की बौद्धिक योग्यता का कोई सार्थक अंतर नही है।

न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध के निर्मित न्यादर्श चयन हेतु शोधार्थी जरा समभाव्य न्यादर्श प्रविधि की यादृच्छिक न्यादर्श चयन को अपनाते हुये म.प्र. के नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती संस्थान के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

प्रयोग हेतु मध्यप्रदेश स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय क्रमशः रातीबड़, भोपाल, श्योपुर, सीहोर, पवारखेडा, होशंगाबाद एवं शमशाबाद, विदिशा के कक्षा 10वी के छात्र-छात्राओं की बौद्धिक योग्यता ज्ञात करने के लिए कल्चर केयर टेस्ट का प्रयोग किया गया, प्रत्येक विद्यालय तय समय सीमा में कल्चर केयर टेस्ट की चारो परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी प्रकार विद्या भारती में आवसीय विद्यालय शारदा विहार भोपाल विद्या विहार बैरसिया भारती निकेतन भोपाल व रानी दुर्गावती विद्यालय रायसेन में छात्र छात्राओं पर कल्चर फेयर टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया।

उपकरण–

छात्र-छात्राओं की बौद्धिक योग्यता के मापन हेतु 'g' कल्चर केयर टेस्ट स्केल -3 के फार्म 'A' का प्रयोग किया गया इसमे कुल चार भाग थे। प्रत्येक भाग में तार्किक योग्यता का परीक्षण किया गया। समय सीमा के बाद प्रश्न पत्रों को आदर्श उत्तर से मूल्यांकित किया गया तथा कक्षा 10वीं के छात्रों एवं छात्राओं की आयु के आधार पर आई.क्यू. की तालिका तैयार की गई।

संख्यिकीय विधियाँ–

प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ मे प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्क साख्यिकीय विधि, मध्यमान मानक विचलन का प्रयोग किया है। प्रदत्तो का विश्लेषण एवं विवेचन प्रदत्त

एकत्रित करने के बाद मध्यमान एवं मानक विचलन निकाले गये। जिनकी तालिका निम्न है :-

उद्देश्य–

1. नवोदय विद्यालय कक्षा 10वी के विद्यालय की बौद्धिक योग्यता का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

तालिका-1

क्रमांक	वर्ग	संख्या	बौद्धिक योग्यता			सार्थकता का स्तर
			मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	
1	बालक	80	107	14	0.0008	<0.05
2	बालिका	80	121	16		

निष्कर्ष–

नवोदय विद्यालय में बालको की तुलना में बालिका की बौद्धिक योग्यता अधिक थी

उद्देश्य–

2. विद्या भारती के आवासीय विद्यालय में कक्षा 10वी के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन।

क्रमांक	वर्ग	संख्या	बौद्धिक योग्यता			सार्थकता का स्तर
			मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	
1	बालक	50	90.3	22	0.0009	<0.05
2	बालिका	8 50	91	113.14		

निष्कर्ष–

विद्या भारती के आवसीय विद्यालय के बालको की तुलना में बालिका की बौद्धिक योग्यता अधिक थी।

उद्देश्य–

3. जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवसीय विद्यालय में कक्षा 10वी में अध्ययनरत विद्यार्थियो की बौद्विता योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन।

क्रमांक	वर्ग	संख्या	बौद्विक योग्यता			सार्थकता का स्तर
			मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	
1	विद्या भारती के आवसीय विद्यालय	50	90	16	0.0009	<0.05
2	जवाहर नवोदय विद्यालय	50	111	19		

निष्कर्ष–

जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियो की बौद्धिक योग्यता विद्या भारती के विद्यार्थियों से अधिक थी।

उद्देश्य–

जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के कक्षा 10वी छात्राओ की बौद्धिक

योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन।

क्रमांक	वर्ग	वर्ग	संख्या	बौद्धिक योग्यता			सार्थकता का स्तर
				मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	
1	जवाहर नवोदय विद्यालय	बालिका	50	116	16	0.0008	<0.05
2	विद्या भारती के आवासीय विद्यालय	बालिका	8 50	91	13		

निष्कर्ष–

जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 10वी बालिकाओं की बौद्धिक योग्यता विद्या भारती आवासीय विद्यालय की बालिकाओ से अधिक थी।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या भारती के आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियो की बौद्धिक योग्यता की तुलना करने पर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता उच्च स्तर पर थी। ठीक इसी प्रकार विद्या भारती के आवासीय विद्यालय के बालकों की बौद्धिक योग्यता जवाहर नवोदय विद्यालय से कम थी तथा जवाहर नवोदय विद्यालय की बालिकाओं की बौद्धिक योग्यता विद्या भारती के आवासीय विद्यालय की तुलना में उच्च स्तर पर थी।

सुझाव–

जवाहर नवोदय विद्यालय में पाठ्येतर गतिविधिया का बहुतायत एवं आधारभूत ढांचा मानव संसाधन व प्रशिक्षित स्टॉफ होने व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार विद्या भारती के आवासीय विद्यालय पाठ्यतर गतिविधिया , प्रशिक्षित स्टॉफ की आवश्यकता है। जो भविष्य में इनकी विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता बढाने में कारगर साबित होगी।

**

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

21वीं सदी में मानवाधिकार शिक्षा का स्वरूप

* विवेक कुमार मिश्रा
** सुमन तिवारी

सारांश– *प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तथा प्रगति एवंम उन्नति करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है जिन्हें मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है। यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो समाज में अशांति, अराजकता फैलती है। हर नागरिक को इन अधिकारों के परिप्रेच्छ में जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। अतः मानव अधिकारों को शिक्षा के साथ जोड़ना न्यायसंगत प्रतीत होता है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 तथा संशोधित पाठचर्या 2009 में मानव अधिकार शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में ना पढाकर विभिन्न विषयों के साथ एकीकृत करने की प्रस्ताव किया है। मानव अधिकार शिक्षा विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर कराई जाने वाली कार्यक्लापों तथा गतिविधियों के माध्यम से दी जा सकती है। मानव अधिकार शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल करना जरूरी है।*

मुख्य शब्द– मानवाधिकार, मूलभुत सुविधाएं, शिक्षा, विद्यालय।

संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषंणा में वर्णित वे अधिकार मानव के व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकार है, जिनके प्रति जागरूकता होने पर व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने से रोका जा सकता है। मानव व्यवहार पर निरन्तर नजर रखते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए मानव अधिकारों की जानकारी आवश्यक है। इस तथ्य की जानकारी लोगों में नहीं होगी किन्तु मानव अधिकार केवल कागजी अधिकार ही रह जाएंगे। जनता में इन अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के कार्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवी, मीडिया एवं अन्य व्यावसायिक संगठन द्वारा पहल करके आरंभ किए जाएं तो इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं निःसन्देह इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सभी शिक्षण संस्थानों में मानव अधिकार शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक स्तर पर आयु, कक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के स्तर को ध्यान में रखकर कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 26(2) के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं का प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा।
मानव अधिकार शिक्षण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस वियना में 1978 में हुई थी। अन्य

* प्राचार्य, एम.एल. चौरसिया बी.एड; कॉलेज, रीवा (म.प्र.)
** प्राचार्य, नेशनल बी.एड. कॉलेज, रीवा (म.प्र.)

बिन्दुओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कहा गया कि मानव अधिकार शिक्षा एवं शिक्षण द्वारा धैर्य, एक दूसरे के प्रति आदर, भ्रातृत्व जैसी प्रवृतियों का विकास किया जा सकता है। इसलिए मानव अधिकार शिक्षण आवश्यक है।

प्रत्येक राष्ट्र मानव अधिकार का समर्थक होता है। इसलिए हमारे देश के संविधान में भी मानव अधिकार एवं नीतिनिर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत एवं घोषित किया गया है, तभी से 10 दिसम्बर प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संदर्भ में मानव अधिकार शिक्षा का मूल मंत्र मानवीय गरिमा का आदर करना है। मानव अधिकार उल्लंघन को रोकना एवंम मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। मानव अधिकार में निरन्तरता होती है। इनका सम्बन्ध मानवीय पहलुओं से होता है। ये मानव अधिकार व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण से सम्बन्धित होते हैं। मानव अधिकार के प्रति ज्ञान, समझ जागरूकता के कौशल को विकसित करना है। 28 सितम्बर, 1993 को मानव अधिकार अध्यादेश द्वारा अक्टूबर 1999 में हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना एक स्वायत्तषासी संस्था के रूप में की गई है। तभी से मानव अधिकार शिक्षा की अवधारणा पर जोर दिया जाने लगा है। जैसे-शिक्षा, समानता, सुरक्षा, सम्पति, नागरिकता, अभिव्यक्ति, जीविका, संस्कृति, स्वास्थय सरंक्षण आदि सभी नागरिकों के उन्नति व सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधित रूप 1992 में भी इस पर बल दिया गया। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर पर हर विद्यार्थी को बिना किसी जात-पात या लैंगिक भेद के एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत करेगा। समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए जिनमें मुख्यता सुविधा विहीन, वंचित वर्ग के बच्चे, कामकाजी बच्चे व लड़कियां शामिल हैं। समतुल्य शिक्षा देने की बात पर बल दिया गया है।

* मानव अधिकार की संकल्पना एवं मानव अधिकार आयोग के कार्यो को सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाए।
* मानव अधिकार में स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, संरक्षण, नागरिकता, सम्पति, शिक्षा अभिव्यक्ति, आजीविका, संस्कृति, स्वच्छता आदि से सम्बन्धित किसी अधिकार का हनन हो तो व्यक्ति मानव अधिकार आयोग की शरण लेकर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी तथा अधिकारों की सूची इन शिक्षक-विद्यार्थियों को दी जाए तथा उन्हें इतना सशक्त बनाया जाए ताकि वे आस-पड़ोस में हनन से सम्बन्धित घटनाओं के निराकरण हेतु आयोग से सम्पर्क कर सकें व इन समस्याओं का समाधान कर सकेँ।
* प्रशिक्षणार्थियों को मानव अधिकार से सम्बन्धित जानकारी माड्यूल के रूप में उपलब्ध कराई जाए ताकि सरल विषयवस्तु द्वारा वे संकल्पना को समझ सके।
- प्रशिक्षणार्थियों हेतु मानव अधिकार दिवस पर सेमीनार, वाद-विवाद, प्रतियोगिता का आयोजन करें व सभी विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
* मानव अधिकार की संकल्पना में आए अधिकारों की विद्यार्थी सामान्यतः राजनीति

विज्ञान में अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान विषय प्रशिक्षणार्थियों को नागरिकशास्त्र विषय के अन्तर्गत शिक्षण अभ्यास के दौरान इन्हें ही पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थियों को मानव अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

* समाज में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ताकि वह अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे की स्वतंत्रता के महत्व समझ सके।
* एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिससे मनुष्य का जीवन गरिमापूर्ण, निष्पक्ष एवं अत्याचारों से अवमुक्त हो।
* समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करना।
* शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाना।
* संसार के विभिन्न जातीय, भाषायी, धार्मिक सांस्कृतिक समूहों के बीच सद्भावना एवं सामंजस्य को विकास करना।
* लोगों को पूर्वाग्रह को छोड़ने एवं दूसरों के प्रति दुर्भावनाओं को त्यागने के लिए तैयार करना।
* लोगों में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना।

मानव अधिकार एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। मानव अधिकार द्वारा जीवन को विकसित करने में मानव अधिकार शिक्षा पूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए मानव अधिकार शिक्षा के लिए अन्तर्विषयक दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि यह बहुआयामी एवं अन्त: सांस्कृतिक विशय हैं। मानव अधिकार शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रोत्साहन हेतु सेमीनार, कॉन्फ्रैंस (सम्मेलन), वर्कशाप का आयोजन भी किए जाने चाहिए तथा पाठ्यचर्या निर्माण में समाज की आवश्यकताओं के साथ-साथ जन सहभागिता पर भी महत्व दिया जाना चाहिए।

मानव अधिकारों का हनन रोकने के लिए मानव अधिकारों की जानकारी व उनके प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मानव अधिकारों की शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरंभ करके उच्च शिक्षा स्तर तक दी जा सकती है। मानव अधिकार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों की शिक्षा विभिन्न स्तर पर कितनी और कैसे दी जा सकती है तथा शिक्षकों का इस प्रक्रिया में क्या योगदान है? इस शोध पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है।

अत: मेरे विचार से इस स्तर पर कोई विशष पाठ्यक्रम जोड़ना न्यायसंगत नही होगा। कारण स्पष्ट है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों में परिपक्वता अधिकारों के प्रति जागरूकता, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास की अल्पता होने के कारण परोक्ष रूप से मानव अधिकार के प्रति छात्रों में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। इस स्तर पर मानव अधिकार शिक्षण का प्रमुख बिन्दु विद्यार्थियों के भीतर आत्मसम्मान दूसरों के विचारों व विश्वासों के प्रति आदर, पूर्वाग्रह से दूर रहना इत्यादि प्रवृतियों का विकास एवं संवर्धन होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में मानव की गरिमा के प्रति सूझ को पैदा किया जा सकता है। इस तरह से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम न जोड़कर मानव अधिकारों की मूल भावना से विद्यार्थियों को परिचित कराया जा सकता है।

शिक्षकों को अभिनव पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के समय, खेलकूद कार्यक्रम के समय, राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के समय, शिक्षक-अभिभावक की बैठकों में, वाद-विवाद प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अवसर पर मानव अधिकार की शिक्षा व उसकी मूल भावना से अवगत कराया जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थियों के पढने के लिए मानव अधिकार पर पत्रिकाएं, समाचार-पत्र एवं अन्य साहित्य उपलब्ध कराया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने-अपने क्लब के माध्यम से उक्त सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाकर विद्यार्थियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इस उम्र तक आते-आते वह मनुष्य के रूप में गरिमा को पहचानने लगता है। वहाॅ मानव अधिकार के अर्थ, मानव अधिकार के प्रकार, उनके महत्व को समझने के साथ-साथ इस संबंध में चिंतन एवं प्रयोग भी कर सकता है। विद्यार्थी मानव अधिकार की ज्वलंत समस्याओं का अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में समाधान करने में समर्थ हो जाता है। शिक्षा ही शिक्षक, डाॅक्टर, वकील, पुलिस अधिकारी, पत्रकार, लोकसेवक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, न्यायाधीश, राजनेता इत्यादि बनाती है। मानव अधिकारों की सही जानकारी होगी तो समाज में बढते हुए अत्याचार, वैमनस्य व कटुता को कम करने में मदद मिल सकेगी, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। यह सत्य है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति मानव अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर मानव की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अतः उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानव अधिकार शिक्षा को पृथक रूप से एक विषय के रूप में अनिवार्यतः जोड़ा जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में मानव अधिकार शिक्षण की अत्याधिक आवश्यकता है। पुलिस प्रशिक्षणार्थी को पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित नियमों की जानकारी विस्तार से दी जानी चाहिए। जिससे आगे चलकर एक पुलिस अधिकारी के रूप में मानव अधिकारों की उल्लंघन न वह खुद करें न अपने अध ीनस्थ किसी को करने दे।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. सक्सेना, के.पी., 1999 टीचिंग ह्यूमन राइट्स, रोल ऑफ इंस्टिट्यूशनस् ऑफ हायर एजुकेशन मानक पब्लिकेशंस
2. राय, राहुल, 2000 ह्यूमन राइट्स यू.एन. इनिशियेटिव्स, आथर्स प्रेस, पब्लिसर्स ऑफ स्कोलरली बुक्स, नई दिल्ली।
3. एन.सी.ई.आर.टी. (2005): भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्ली
4. एन.सी.ई.आर.टी. (2006) भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्ली

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

* रीता सिंह
** पार्वती यादव

सारांश– *शिक्षण की प्रक्रिया में अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय रहकर सीखे तथा अभिभावक भी यहीं चाहते है कि वह प्रतिभाशाली हो। लेकिन कक्षा में कुछ बच्चें ही सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रहते है। इस समस्या के निवारण के लिए अध्यापन कार्य में कुछ नवीनता एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी में अपार संभावनाएँ एवं क्षमताएँ होती है, जिनके विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने का कार्य अध्यापक–पालक व समाज का होता है। सर्वाधिक योगदान शिक्षक का व उनकी शिक्षण विधि का होता है। बच्चा जिन आदतों व संस्कारों को सीखता है वे जीवन पर्यन्त रहते है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए शोधार्थी द्वारा बिलासपुर जिले के 15 सी.बी.एस.सी. स्कूलों के 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। अभिभावक सहभागिता के लिए विजय लक्ष्मी चौहान और गुंजन गनोत्रा अरोरा द्वारा निर्मित उपकरण का नाम* Parental Involvement scale (PIS-CA) *को एवं परीक्षा दुश्चिंता के लिए मधु अग्रवाल और वर्षा कौशल द्वारा निर्मित उपकरण का नाम* Students Examination Anxiety Test (SEAT) *एवं शैक्षिक उपलब्धि हेतु विद्यार्थियों के पिछले वर्ष के अंकों का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् पाया गया कि केन्द्रीय शिक्षा मण्डल के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता के मध्य सार्थक सहसंबंध है।*

मुख्य शब्द– अभिभावक सहभागिता, परीक्षा दुश्चिंता एवं शैक्षिक उपलब्धि

विद्यार्थियों में सर्वाधिक तनाव परीक्षा के दिनों में देखने को मिलता है खासकर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान गिल, मनीषा (2011) ने अपने लेख 'एग्जामिनेशन स्ट्रेस' में लिखा है ''परीक्षा को लेकर तनाव आम बात है। खासकर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यह तनाव छात्रों को कुछ ज्यादा ही सताता है। ऐसा नहीं है कि यह तनाव सिर्फ परीक्षा के दौरान ही होता है, बल्कि परीक्षा के परिणाम को लेकर परीक्षा के बाद भी छात्र परीक्षा तनाव में परेशान रहते है इससे बचना जरूरी है।'' तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है

• शोधार्थी, डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
•• सहायक प्राध्यापक, डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

जो लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करती है। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् पाया गया कि केन्द्रीय शिक्षा मण्डल के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता के मध्य सार्थक सहसंबंध है। परीक्षा के समय अभिभावक विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाते हैं जिससे बालकों में डर, भय, दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, परीक्षा दुश्चिंता के कारण बालक तनाव में आ जाता है जिसका प्रभाव परीक्षा परिणाम में देखाने को मिलता है। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों का सहयोग मिलने से बहुत कुछ हद तक परीक्षा दुश्चिंता को कम किया जा सकता है। 'परीक्षा' शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का ही पता नहीं चलता बल्कि अध्यापक की कार्यकुशलता एवं शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन भी सरलता से हो जाता है। परन्तु वर्तमान समय में विद्यार्थी परीक्षा को अपने भविष्य से जोड़ लेते हैं तथा शिक्षकों एवं अभिभावकों के अत्यधिक दबाव में विद्यार्थियों में चिंता का स्तर बढ़ जाता है। कभी-कभी तनाव की तीव्रता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि विद्यार्थी आत्महत्या जैसा घातक निर्णय ले बैठते हैं। मनानी, प्रीति तथा गौतम, मुकेश कुमार (2011) द्वारा किये गए शोध अध्ययन परिणामों से स्पष्ट है कि परीक्षा संबंधी चिंता विद्यार्थियों को निराशा से भर देती है तथा उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे घातक विचार को भी जन्म देती है। विद्यार्थियों में उत्पन्न होने वाला तनाव उनके परीक्षा परिणाम पर भी असर डालता है।

अध्ययन का औचित्य-

इस पद को शोधार्थी द्वारा इसलिये लिया जा रहा है क्योंकि 10वीं के छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल में अध्ययनरत् विधार्थियों का अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता और उनमे कितना अंतर पाया जाता है। इसे सी.जी और सी.बी.एस.ई के विद्यार्थियों का उनके अभिभावक परीक्षा के दिनों में कितना ध्यान रख पाते है ताकि वे परीक्षा दुश्चिंता को कम कर सके। जहाँ तक पूर्व संचित ज्ञान एवं पूर्व में सम्पन्न हुए अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल मे अध्ययनरत् विद्यार्थियों का अभिभावक सहभागिता एंव परीक्षा दुश्चिंता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका तुलनात्मक अध्ययन किसी और शोधार्थी द्वारा नहीं किया गया है। इसमें यही देखाने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अपेक्षा केन्द्रीय शिक्षा मण्डल में पढ़ने वाले बच्चों के पैरेंन्ट्स में अभिभावक सहभागिता ज्यादा देखी जाती है।

समस्या कथन-

''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं परीक्षा दुश्चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन''

प्रयुक्त पदों की परिभाषा -

1. **अभिभावक सहभागिता**- अभिभावक की सहभागिता औपचारिक रूप से समुदाय संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र एवं विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता के लिए बालक व बालिकाओं के प्रति एक अच्छा तालमेल बिठा कर समन्वयक रिश्ता स्थापित करना ही

अभिभावक सहभागिता है।

परीक्षा दुश्चिंता– परीक्षण में घबराहट एक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी परीक्षण के पहले अत्यधिक तनाव, चिंता व असहजता का अनुभव किया जाता है। यह चिंता अधिगम व प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उत्पन्न होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रदर्शन को कम करता है।

3. **शैक्षिक उपलब्धि**– शैक्षिक उपलब्धि विद्यालयों के परीक्षाओं से संदर्भित होता है। परीक्षाओं के अंतिम में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक जो कि विद्यालयों द्वारा अभिलेख के रूप में रखा जाता है व जिसके माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धियों में महाविद्यालयों द्वारा चिंतन किया जाता है।

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा दुश्चिंता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं पाया जाएगा।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा दुश्चिंता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं पाया जाएगा।

शोध विधि– सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा आंकड़ों के संग्रहण हेतु बिलासपुर जिले के केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले समस्त छात्र जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किये गए हैं इनमें से न्यादर्श हेतु केन्द्रीय शिक्षा मण्डल के 15 विद्यालयों में से 300 विद्यार्थियों का साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया है।

शोध उपकरण– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नानुसार शोध उपकरण का प्रयोग किया गया है-

* मधु अग्रवाल और वर्षा कौसल द्वारा निर्मित- Students Evamination Anxiety Test (SEAT)
* विजय लक्ष्मी चौहान और गुंजन गनोत्रा अरोरा द्वारा निर्मित - Parental Involvement scale (PIS -CA)
* शैक्षिक उपलब्धि हेतु विद्यार्थियों के पिछले वर्ष के अंकों का अध्ययन किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि -

सहसंबंध गुणांक $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$

परिकल्पना HO_1

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं पाया जाएगा।

समूह	**विद्यार्थियों की संख्या N**	**मध्यमान**	$\sum x^2$ & $\sum y^2$	$\sum xy$	**सहसंबंध गुणांक**	**सार्थकता स्तर**	**परिणाम**
के.मा.शि.मं. के छात्र–छात्राओं का अभिभावक सहभागिता	300	82.89667	15167.8	265.4428	0.0197	0.05=0.088	धनात्मक सहसंबंध
के.मा.शि.मं. के छात्र–छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि	300	82.16267	11998.54			0.01=0.115	

व्याख्या एवं विश्लेषण–

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 में चरों में मध्य सहसंबंध को ज्ञात करने हेतु कार्ल पियर्सन के गुणन-आघूर्ण विधि का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त सारणी के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों (N=600) की अभिभावक सहभागिता एवं शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 82.89667 तथा 82.16267 है तथा इनके मध्य का सहसंबंध गुणांक 0.0197 है। Degree of freedom (df) = 598 के लिए 'r' का सारणी मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 0.115 है तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर 0.088 है। r के प्राप्त मान 'r' के सारणी मान से 0.01 तथा 0.05 दोनों ही स्तरों पर अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना HO_1 ''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं पाया जाएगा।'' अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सहभागिता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं हैं।

परिकल्पना HO_2-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा दुश्चिंता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक

सहसंबंध नहीं पाया जाएगा।

समूह	विद्यार्थियों की संख्या N	मध्यमान	$\sum x^2$ & $\sum y^2$	$\sum xy$	सहसंबंध गुणांक	सार्थकता स्तर	परिणाम
के.मा.शि.मं. के छात्र–छात्राओं का परीक्षा दुश्चिंता	300	19.62667	3712.187	642.4187	0.0963	0.05=0.088	धनात्मक सहसंबंध
के.मा.शि.मं. के छात्र–छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि	300	82.16267	11998.54			0.01=0.115	

व्याख्या एवं विश्लेषण–

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 में चरों में मध्य सहसंबंध को ज्ञात करने हेतु कार्ल पियर्सन के गुणन-आघूर्ण विधि का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त सारणी के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों (N=600) की परीक्षा दुश्चिंता एवं शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 19.62667 तथा 82.16267 है तथा इनके मध्य का सहसंबंध गुणांक 0.0963 है। Degree of freedom (df) = 598 के लिए 'r' का सारणी मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 0.115 है तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर 0.088 है। r के प्राप्त मान 'r' के सारणी मान से 0.05 स्तर से अधिक है परंतु 0.01 स्तर पर कम है। अर्थात् 0.01 स्तर स्वीकृत होती है। अतः शून्य परिकल्पना HO_2 ''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा दुश्चिंता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया जाएगा।'' स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा दुश्चिंता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मण्डल में आने वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा दुश्चिंता एवं अभिभावक सहभागिता दोनों का ही उनकी शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक सहसंबंध पाया गया।

उपसंहार–

परीक्षा के समय अभिभावक विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाते हैं जिससे बालकों में डर, भय, दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, परीक्षा दुश्चिंता के कारण बालक तनाव में आ जाता है जिसका प्रभाव परीक्षा परिणाम में देखने को मिलता है। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों का सहयोग मिलने से बहुत कुछ हद तक परीक्षा दुश्चिंता को कम किया जा सकता है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Aggarwal, Y.P. Statistical Methods, Concepts, Applications and computation, Second Revised Edition.
2. Bekkers, R. & Wiepking, P. (2007). 'Generosity and philanthropy.'
3. Bekkers, R. & Wiepking, P. (2010). 'A literature review of empirical studies of philanthropy : Eight mechanisms that drive charitable giving.'
4. Gadducci, A. ; LAndoni, F.; Sartori, E. ; Maggino, T. ; Zola, P. (2001). 'Analysis of treatment failures and survival of patients with fallopian tube carcinoma : a cooperation task force (CTF) study.'
5. Hays, RT (2005). 'The effectiveness of instruction games : A literature Review and discussion.'The effectiveness of instruction games.
6. Lehmann, U. & Dieleman, M. (2008). 'Satffing remote rural areas in middle and low income countries.'
7. मंगल, एस.के. - शिक्षा मनोविज्ञान
8. शर्मा, आर.ए. एवं चतुर्वेदी, शिखा - शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्व,
9. वर्मा, डॉ. प्रीति एवं श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. - आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान।

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन

* शिवानी दीवान
** दुर्गावती मिश्रा

सारांश– *प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस अध्ययन के लिये स्तरीकृत गैर आनुपातिक यादृच्छिक विधि द्वारा न्यादर्श के रूप में 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य के मापन के लिये प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य चेक लिस्ट तथा तार्किक क्षमता के मापन के लिये एल.एन. दुबे द्वारा निर्मित तार्किक क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया। मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी–मूल्य सांख्यिकीय का उपयोग कर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। परिणाम में पाया गया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया।*

मुख्य शब्द– मानसिक स्वास्थ्य, तार्किक क्षमता, समायोजन।

भूमिका– मानसिक स्वास्थ्य को अर्जित व्यवहार की कसौटी पर आंका जाता है। इस व्यवहार के फलस्वरूप व्यक्ति को सभी तरह के समायोजन करने में सहायता मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था एक संतुलित मनोदशा होती है जिसमें व्यक्ति अपने जिंदगी के विभिन्न हालातों में सामाजिक रूप से तथा सांवेगिक रूप से एक मान्य व्यवहार बनाए रखता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य भावों की स्वस्थ अभिव्यक्ति पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है, यदि भावों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता या भावों को दमन किया जाता है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकरक प्रभाव पड़ता है।लहरी एवं अग्रवाल (2014) ने अध्ययन से यह ज्ञात किया कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा उच्च पाया गया। जबकि लिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। शर्मा एवं लता (2014) ने मानसिक स्वास्थ्य एवं शालेय वातावरण के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया गया। मेहर (2015) ने परिणाम में पाया कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से अधिक पाया गया। नायक (2015) ने परिणाम में पाया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मानसिक

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
** शोधार्थी, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से उच्च पाया गया। आसाना, लाहासिरीवांग एवं रेंगसीकाजी (2018) ने परिणाम यह निकला कि अधिकांश हाई स्कूल के विद्यार्थियों में औसत स्तर की जीवन की गुणवत्ता, शैक्षिक तनाव एवं दुश्चिंता पायी गयी। अवसाद, तनाव आदि सभी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

तर्क शब्द कारण कार्य संबंधों की मानसिक स्वीकृति को घोषित करता है। यह किसी अवलौकिक कारण से एक घटना का तर्क कथन हो सकता है या किसी अवलोकित घटना से किसी कारण का अनुमान हो सकता है, अच्छे तर्क की कसौटी है परिशुद्धता।तार्किक क्षमता उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को संगठित करता है जो कि शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाते हैं। परिणाम यह भी बताते हैं कि विद्यालयों में यह द्वितरफा प्रक्रिया जैसे मौखिक एवं परा संज्ञान के महत्व को दर्शाता है। शैक्षिक निष्पादन में उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तार्किक क्षमता के ज्ञान अधिग्रहण एवं प्राप्ति को बुद्धि एवं शैक्षिक प्रदर्शन के मध्य सहसंबंध के रूप में समझा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य तथा तार्किक क्षमता व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में यह व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिये परिवार तथा विद्यालय का वातावरण प्रमुख है। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा स्वास्थ्य को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। अत: एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तथा तार्किक क्षमता दोनों आपस में अंत:संबंधित होते है।अनवर(2015) ने परिणाम में यह पाया गया कि छात्र, छात्राओं की तुलना में अधिक अच्छी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। यह भी पाया गया कि छात्र एवं छात्राओं की तार्किक क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। परिणाम यह भी दर्शाता है कि शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। परिणाम से यह भी ज्ञात होता है कि अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक तार्किक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। देवी(2017) ने परिणाम में पाया कि शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिंग एवं सामाजिक वर्ग के मध्य अंत:क्रिया सार्थक पायी जाती है किंतु विषय की अंत:क्रिया सार्थक नहीं पायी जाती है। परिणाम में यह भी ज्ञात हुआ कि वे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है उनका तार्किक क्षमता में भी उच्च प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। रानी(2017) ने अध्ययन के परिणाम यह बताते हैं कि माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा तार्किक क्षमता एवं शैक्षिक उपलब्धि उच्च पायी गयी। आयु एवं शाला प्रकार के संदर्भ में यह पाया गया कि तार्किक क्षमता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक अंतर पाया गया। इसाबेल एवं अन्य (2018) के अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि संज्ञानात्मक प्रतिबिंब, दृश्य एवं मौखिक तर्क शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित होते हैं तथा उसको प्रतिबिंबित करते हैं। गनाम्बस एवं नुसर (2019) परिणाम में पाया कि जो विद्यार्थी अधिगम के क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकता रखते हैं उनमें शैक्षिक कमी पायी जाती है। जब स्पेशल स्कूल तथा सामान्य विद्यालयों पर मापन करने से परिणाम में दोनों विद्यालयों के तार्किक क्षमता में बहुत कम अंतर आता है।

उद्देश्य– उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले

विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता के मध्य अंतर ज्ञात करना।

परिकल्पना–

H_{01} उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

न्यादर्श– प्रस्तुत शोध में गैर आनुपातिक स्तरीकृत या.च्छिक विधि से 800 विद्यार्थियों का चयन दुर्ग एवं रायपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से किया गया है।

उपकरण– प्रस्तुत शोध में प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का मापन किया गया है। तथा तार्किक क्षमता के मापन के लिये एल. एन.दुबे द्वारा निर्मित तार्किक क्षमता मापनी का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण– प्रस्तुत शोध में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी–मूल्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिये सांख्यिकीय के रूप में किया गया है।

परिणामों की विवेचना–

H_{01} उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

तालिका क्रमांक 1

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के उच्च एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का सांख्यिकीय विश्लेषण

मानसिक स्वास्थ्य	N	M	SD	SE_D	t - value	Df	Significance	Interpretation
उच्च	202	48.99	15.23	1.57	2.62	439	0.05 = 1.98	**H_{06}**Rejected
निम्न	239	53.11	17.77				0.01 = 2.56	

उच्च मानसिक स्वास्थ्य तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों के मध्य टी मूल्य 2.62 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटी 439 पर 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणी मान (1.98) से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया। अतः हमारी परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Anwar, E. (2015). A Study of Reasoning Ability of Secondary School Students In Relation To Their Intelligence. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 5, Ver. VII (May. 2015), PP 29-31 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/0837-20572931 www.iosrjournals.org.
2. Assana, S, Laohasiriwong, W. & Rangseekajee, P. (2017).Quality of life, mental health and educational stress of high school students in the Northeast of Thailand.*Journal of Clinical & Diagnostic Research (JCDR)*, 11(8), 01 – 06. Doi:10.7860/JCDR/2017/29209.10429.
3. Devi, K. (2017). Academic Achievement and Reasoning Ability of Senior Secondary School Students in Relation to Their Gender, Social Category and Stream of Study. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR) Volume 6, Issue 1, March 2017, 22 – 25.

4. Gnambs, T. & Nusser, L. (2019).The longitudinal measurement of reasoning abilities in students with special educational needs.*Frontiers in Psychology, Educational Psychology,*https://dio.org/10.3389/fpsug.fpsyg.2019.00232.
5. Isabel, G. V., Jose, O. Vila Chaves, Duque, G. and Jaun A. Gracia Madruga (2018). A New Look to a Classic Issue: Reasoning and Academic Achievement at Secondary School. ORIGINAL RESEARCH ARTICLE ,Frontier in Psychology, 28 March 2018 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00400.
6. Lahri, D.K. & Agrawal, V.K. (2014).Mental health as a function of the locale and sex among college student.*International Journal of Research in Humanities, Art and Literature*, 2(4), 135 – 140.
7. Mehar (2015).Adjustment of rural and urban adolescents in relation to mental health.*Modern Education Research in India*, 1(1), 28 – 35.
8. Nayak, et. al. (2015).Mental health among rural and urban adolescents.*Indian Journal of Psychometry and Education*, 46 (2), 190 – 193.
9. Rani, K.V. (2017).Reasoning Ability and Academic Achievement among Secondary School Students in Trivandrum.i-manager's Journal on School Educational Technology, 13(2), 20-30. https://doi.org/10.26634/jsch.13.2.13828.

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

विभिन्न अवस्थाओं में आहार एवं पोषण-एक विश्लेषण

* मनोज कुमार

सारांश- *शरीर को आयुर्वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक बताया गया है। हमारा शरीर एक बड़ा कारखाना है, जिसमें बहुत सी मशीने प्रतिक्षण गति में रहती है, और अपना-अपना काम पूरा करती है। उनके हर समय गति करने से शरीर का कुछ न कुछ भाग खर्च होते रहता है, जब यह खर्च अधिक बढ़ जाता है तो शरीर में इस खर्च को पूरा करने के लिए आमद की आवश्यकता होती है, जिसका नाम "भूख" है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपनी भूख को शान्त करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भोजन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन आहार विज्ञान की भाषा में यह भूख शान्त करना मात्र है, भोजन नहीं है, क्योंकि भोजन के हमारे शरीर में कुछ कार्य होते हैं जो इन कार्यों को पूरा करता है, यह संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन केवल मनुष्य की भूख शान्त नहीं करता बल्कि मानव के शारीरिक मानसिक व सांवेगिक स्वास्थ्य को भी बनायें रखता है। यह वह भोजन है जो समस्त पौष्टिक तत्वों से उचित मात्रा से युक्त होता है एवं तीन प्रमुख कार्य क्रमशः शरीर निर्माण का कार्य, शरीर को उर्जा देना एवं बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। प्रस्तुत शोधपत्र में विभिन्न अवस्थाओं में आहार एवं पोषण के बारे में सम्यक विवेचन विश्लेशण किया गया है तथा यथोचित सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।*

मुख्य शब्द- आहार, पोषण, विभिन्न अवस्थायें बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़, वृद्ध

आहार के शारीरिक कार्य- आहार के शारीरिक कार्यो को मुख्यत: तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

क) ऊर्जा प्रदान करना

ख) शरीर की वृद्धि एवं तन्तुओं की मरम्मत करना

ग) शरीर की रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण करना

इन आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों से होती है जिन्हें भोज्य तत्व कहते हैं जिसमें कार्बोज, वसा, प्रोटीन खनिज लवण विटामिन एवं पानी शामिल होते हैं।

ऊर्जा उत्पादन तत्व- कार्बोज एवं वसा ऊर्जा उत्पादक तत्व है। ये शरीर के ताप को संतुलित रखने के लिए कार्य करने के लिए हृदय को गति देने व्यर्थ पदार्थो के निष्कासन मांस-पेशियों का संकुचन आदि के लिए अति आवश्यक है। स्टार्च, शवकर, सेल्यूलोज आदि में कार्बोज होता है तथा तेल, घी, वनस्पति मक्खन मेवे आदि में वसा अत्यधिक होती है।

=========================

• सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, एम0आर0डी0सी0आर0डी0, कॉलेज, मैरवा, सिवान

वृद्धिकारक तत्व– प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि यह कोशिका का मुख्य भाग है। मांसपेशिया, रक्त, बाल, तन्तु एवं आंतरिक अंग प्रोटीन की सहायता से ही बनते हैं। यह दूध, मांस, मछली, अण्डा एवं दाल में भरपूर मात्रा में मिलती है।

शरीर के भरण-पोषण के लिए खनिज लवण व पानी का महत्व बहुत अधिक है। हड्डियों एवं दांतों की संरचना में खनिज लवण सर्वप्रमुख है जिसमें कैल्सियम, लोहा, एवं आयोडीन प्रमुख है। दूध कैल्सियम का उत्तम स्त्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ तथा दक्षिण भारतीय अनाज तिल, रागी भी कैल्सियम युक्त होते हैं। दाल, मांस, अण्डे एवं हरी पत्तेदार सब्जी में लौह अंश की अधिकता होती है।

जल शरीर के तरल पदार्थो के निर्माण के लिए अनिवार्य घटक है जैसे-रक्त, आंतरिक स्त्राव, एन्जाइम हार्मोन्स आदि। लवणों के द्वारा पानी का संतुलन एवं रक्त के जमने का कार्य होता है।

रक्षात्मक तथा नियंत्रक तत्व– आवश्यक वसीय, अम्ल, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व पानी कुछेक रक्षात्मक कार्यो जैसे-तरल पदार्थो के परिवहन अम्ल-क्षार के संतुलन, रक्त के जमने, इन्जाइम को क्रियाशील करके तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।

निम्न तालिका भोजन में पाए जाने वाले तत्वों-वृद्धि ऊर्जा एवं रक्षा संबंधी कार्य को प्रदर्शित करती है।

तत्व	वृद्धि	ऊर्जा	रक्षा
पानी	मुख्य कार्य	....	मुख्य कार्य
प्रोटीन	मुख्य कार्य	गौण	गौण
कार्बोज	....	मुख्य	....
वसा	....	मुख्य	....
खनिज	मुख्य	....	मुख्य
विटामिन	गौण	....	मुख्य

स्त्रोत :- आई0सी0एम0आर0 पोषण विशेषज्ञ दल 1968

पूर्वशालेय बालकों का पोषण (1 से 5 वर्ष)-

पूर्व बाल्यावस्था 2-6 वर्ष तक होती है जिसमें बच्चे की वृद्धि शैशवस्था की अपेक्षा मंद गति से होती है। प्रतिवर्ष 3-4'' ऊँचाई तथा ढ़ाई से तीन किलो शरीर भार बढ़ता है, लेकिन उनके वृद्धि एवं विकास हेतु सभी पोषण तत्वों की आवश्यकता अधिक रहती है। इसी अवस्था में बालक अपनी आहार संबंधी आदतों का विकास करता है जो कि उसके वयस्क जीवन की आहार आदतों की आधारशिला होती है।

ऊर्जा की आवश्यकता– प्रत्येक बालक की ऊर्जा की आवश्यकता उसकी आयु भार तथा क्रियाओं पर निर्भर करती है। एफ0एन0बी0 के अनुसार बालकों की कैलोरी आवश्यकता निम्नलिखित है। आयु कैलोरी आवश्यकता -

1 से 3 वर्ष - 1300 कैलोरी 1 दिन

3 से 5 वर्ष - 1600 कैलोरी 1 दिन

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि भारत में बच्चों के आहार में अनाज मुख्य रूप से होता है तथा थोड़ी मात्रा में दाल एवं सब्जियाँ होती है, जबकि दूध व

मांसहारी भोजन न के बराबर होता है। ऐसे आहार में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एंव खनिज लवण विशेशकर लौहतत्व कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस की कमी होती है। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ के अधिकांश बच्चे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

1 से 3 वर्ष की आयु के बालकों की दैनिक पोषण आवश्यकताएँ (औसत शरीर भार 12 के0जी0 तथा ऊँचाई 87 सेमी0)

कैलोरी	-	1300 कैलोरी
प्रोटीन	-	40 ग्राम
कैल्शियम	-	1 ग्राम
लौह तत्व	-	7 ग्राम
विटामिन A	-	200 आइ0 यू0
थायमिन	-	0.7 मि0 ग्रा0
राइब्रोलेविन	-	1.0 मि0 ग्रा0
नायसिन	-	8.0 मि0 ग्रा0
विटामिन सी0	-	35 मि0 ग्रा0
विटामिन डी0	-	400 अ0 इ0

स्त्रोत :- आई0सी0एम0आर0 पोषण विशेषज्ञ दल 1968

3 से 5 वर्ष के बालकों की पोषण आवश्यकता (औसत शरीर भार 18 कि0 ग्रा0 ऊँचाई 109 सेमी0)

कैलोरी	-	1700 कैलोरी
प्रोटीन	-	50 ग्राम
कैल्शियम	-	1.0 ग्राम
लौह तत्व	-	8 ग्राम
विटामिन A	-	2500 आइ0 यू0
थायमिन	-	0.9 मि0 ग्रा0
राइब्रोलेविन	-	1.3 मि0 ग्रा0
नायसिन	-	11 मि0 ग्रा0
विटामिन सी0	-	50 मि0 ग्रा0
विटामिन डी0	-	400 अ0 इ0

स्त्रोत :- आई0सी0एम0आर0 पोषण विशेषज्ञ दल 1968

विद्यायन पूर्व बालकों के लिए संतुलित आहार तालिका

खाद्य पदार्थ – 1–3 वर्ष			**3–5 वर्ष**	
	शाकाहारी (ग्राम)	**मांसहारी (ग्राम)**	**शाकाहारी (ग्राम)**	**मांसहारी (ग्राम)**
अनाज	120	120	170	170
छालें	50	40	40	50
हरी सब्जी एवं कंद मूल	30	30	50	50
फल	100	100	100	100

दूध एवं दुग्ध उत्पाद	600	400	600	400
वसा एवं तेल	20	20	25	25
मांस, मछली व अंण्डा	....	40	....	50
चीनी व गुड़	30	30	30	40

स्त्रोत :- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति-1976

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार 2011 में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 15.88 करोड़ थी जो कि भारतीय जनगणना 2011 के इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या से 50 लाख कम है। सकल जनसंख्या में इस आयु वर्ग का अनुपात 13.1 (2011 के अनुसार) तथा 15.9 प्रतिशत (2001 के अनुसार) दर्ज किया गया। यानी 2.8 प्रतिषत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जबकि जन्म के समय शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई है ऐसा एसोचैम और ईवाई की एक अध्ययन में उभर कर सामने आई है। जिसे 2001 से 2015 के बीच किया गया था लेकिन रिर्पोट में दावा किया गया कि इस दौरान भारत में कुपोषण की स्थिति विगड़ रही है। रिर्पोट के अनुसार 40 प्रतिशत बच्चे अंडरन्यूट्रीशन के शिकार थे। 37 प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से कम था। 21 प्रतिशत की ऊँचाई सही नहीं थी तथा 8 प्रतिशत की हालत तो अतिदयनीय थी वजन सामान्य से काफी कम वाले राज्यों में झारखण्ड 42 प्रतिशत बिहार 37 प्रतिशत मध्यप्रदेश 36 प्रतिशत उत्तरप्रदेश 34 प्रतिशत तथा मणिपुर 14 प्रतिशत प्रमुख थे। ग्रामीण भारत के उत्तर भारत के शहरों में एक अलग तस्वीर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ की एक रिर्पोट के अनुसार U.S.। तथा चीन के बाद भारत मोटापे के मामले में तीसरे स्थान पर है। इस आयु वर्ग के बच्चों में ग्रामीण इलाकों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा मरास्मस प्रमुख विकार है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा आयोडीन की कमी से घेघा (ग्वाइटर) रोग प्रमुख है। भारत में बाल निमोनिया एक गंभीर (बीमारी) जो कि 5 वर्ष तक की आयु में कभी भी हो सकती है। बुखार, खांसी और सांस तेजी से चलना इसके लक्षण है। इसके साथ ही मौसम के साथ बच्चों में दस्त एवं निर्जलीकरण की समस्या भी देखी जाती है।

ऐसे कुपोषण से निपटने के लिए सरकार को नीतियां बनाकर सामाजिक भेद को कम करना होगा, साथ ही ये बातें भी सुनिश्चित करनी होगी कि स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी तक एक समान रूप से पहुँचे। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और निजी चिकित्साकर्मी बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित नहीं है। खास बच्चों की देखभाल के लिए चलाये गये आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी पूरक पोषण और टीकाकरण तक ही सीमित है।

6-12 आयु वर्ग (विद्यालयी) के बालकों/बालिकाओं के लिए आहार एवं पोषण व्यवस्था- भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 6 से 12 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.9 प्रतिशत है। 6-12 आयुवर्ग के बालकों की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग 4 से 7.7 सेमी0 बढ़ती है, वही बालिकाओं की लंबाई 4.9 से 7.2 सेमी0 बढ़ती है जबकि भार में 2.3 से 5.2 कि0 ग्रा0

का परिवर्तन होता है। 14 वर्ष के वाद इसके भार में मंदगति से परिवर्तन होता है। अतः स्कूल जाने वाले इस आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को उर्जा की अत्याधिक आवश्यकता रहती है। यदि उनकी उर्जा आवश्यकता पूर्ण न होगी तो वह इतना क्रियाशील नहीं रह पाएगा। अतएव इस अवस्था में कैलोरी की दैनिक आवश्यकता 2000 कैलोरी है जिसके लिए उचित भाग में कार्वोहाइड्रेट तथा वसायुक्त पदार्थ होने चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में प्रोटीन का होना अति आवश्यक है वर्ना उसके विकास एवं वृद्धि की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आई सी0 एम0 आर0 न्यूट्रीशन ग्रुप के अनुसार इस वर्ग के बालकों को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 20-60 ग्राम है। जिसके लिए इनके आहार में अण्डा, मांस, मछली तथा दूध को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। खनिज लवण में विशेषकर कैल्शियम व फास्फोरस दांतों व अस्थियों के निर्माण सह इनको सुदृढ़ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूध व इसके अन्य उत्पाद मेवे आदि इसके उत्तम स्त्रोत है।

लौह-तत्व-हीमोग्लोबिन के संश्लेशण के लिए आवश्यक है इसकी कमी बच्चे को कमजोर कर देता है तथा इसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इण्डियन काउन्सिल और मेडिकल रिसर्च केन्यूट्रीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने इस वर्ग के लिए 20-35 मिलीग्राम लौह तत्व प्रतिदिन निर्धारित किया है।

बालकों की विभिन्न विटामिनों की आवश्यकता को पूर्ण करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल जाने वाले बालकों के लिए आई सी एम आर ने विभिन्न विटामिन की मात्राएँ निम्न रूप में निर्धारित की है।

विटामिन	मात्रा
विटामिन 'ए'	600-700 माइक्रोग्राम
थाइमिन	0.9-1.5 मिग्रा0
राइबोलोबिन	1.0-1.7 मिग्रा0
नायसिन	0-20 मिग्रा0
विटामिन सी0	30-50 मि0 ग्रा0
विटामिन डी0	200 अ0 इ0
फोसिक एसिड	50-100 माइक्रोग्राम
विटामिन B12	0.5-10 माइक्रोग्राम

स्त्रोत - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति -1976

जैसा कि हम सभी जानते है कि बच्चे एक साथ ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं कर सकते अतः उन्हें छोटे-छोटे अन्तराल से भोजन देना चाहिए जिससे कि पोषण आवश्यकता पूर्ण होती रही। लेकिन अनेक कारणों से कुपोषण की समस्या इस आयु समूह में कमोवेश पाई जाती रही है। जिसके मूल कारणों की खोज के बाद डण्क्ण्ड को समस्या का सबसे अच्छा समाधान महसूस किया गया। मध्यान भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत पूरे देश के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर को उन्नत करना है। मिड डे मिल योजना की शुरूआत 15 अगस्त 1995 को किया गया। यह योजना निर्धन बच्चों की शिक्षा एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता की दृष्टि से सोने पे सुहागा के रूप

में साबित हुई है। इस योजना का तात्पर्य छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के साथ शैक्षणिक उपलब्धि से है। इसके प्रमुख उद्देश्य-

1. शिक्षा का सर्वव्यापीकरण।
2. छात्रों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा पोषण स्तर में सुधार करना।
3. विद्यालयों में भोजन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना।
4. जातीय भेद-भाव को कम करना।
5. लैंगिक समानता विकसित करना।

वर्तमान में विभिन्न शाखाओं में मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत निर्धारित किया गया मेन्यू निम्नानुसार है-

दिन	**खाद्य पदार्थ**	**मात्रा**
सोमवार	चावल/अरहर दाल, काबुली चना व टमाटर की सब्जी	वर्ग 1–5 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, प्रति छात्र के मात्रा से कच्ची सामग्री।
मंगलवार	चावल आलू व सोयाबीन की सब्जी एवं सलाद	
बुधवार	हरी सब्जी मिश्रित खिचड़ी व मौसमी फल सेव, नारंगी, केला	
गुरूवार	चावल, मूँगदाल, व हरी सब्जी	6–8 वर्ग के
शुक्रवार	चावल, आलू, काबुली चना की सब्जी, सलाद एवं अण्डा	150 ग्राम चावल, 25 ग्राम दाल, 55 ग्राम सब्जी प्रति छात्र के मात्रा से कच्ची सामग्री।
शनिवार	खिचड़ी, चोखा	

स्त्रोत - बिहार मिड डे मिल निदेशालय-नबंवर 2018

मध्याह्न भोजन योजना के तहत् संतुलित भोजन प्राप्त करने से विद्यार्थियों में कुपोषण की समस्या का निवारण हुआ है। स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने की यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त तकरीबन 11.58 लाख स्कूलों के 10.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

किशोरावस्था में आहार एवं पोषण– किशोरावस्था को तूफानी अवस्था/संक्रमण की अवस्था आदि नाम से भी पुकारा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अतितीव्र गति से होते हैं। इस आयु में यह कथन सही बैठता है कि स्वस्थ किशोर, किशोरियाँ ही भविष्य के स्वस्थ माता पिता होते हैं जो कि अपने बच्चों का उचित पोषण करने में समर्थ होते हैं। इस अवस्था में एफ एन बी के अनुसार 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता निर्धारित की गई है। किशोरावस्था में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि आहार विशेष रूप से प्रोटीन युक्त हो जिसमें दूध, पनीर, मांस, अण्डे को सम्मिलित करना चाहिए इस आयु में कैल्शियम की कमी होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि हड्डियों को सुदृढ़ता इसी अवस्था में मिलती है। जिसके लिए दूध का सेवन अच्छा विकल्प है। इस आयु में लड़कियों में प्रतिमास रक्त के प्रवाह से लोहे की हानि होने लगती है। अतः भोजन का विशेष महत्व होता है। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया भारत के आधी सदी से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएँ की कम मात्रा होती है। इसमें खून के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक आक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और कई स्वास्थ्य

समस्याएँ पैदा होती है। भारत में 20 प्रतिशत मातृ मृत्यु का कारण प्रकारान्तर से यही है क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 53.1 प्रतिशत महिलाएँ 58.4 प्रतिशत बच्चे तथा 22.7 प्रतिशत युवा एनीमिया से ग्रसित है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रजन्न उम्र (15-49 वर्ष) की 51 प्रतिशत महिलायें एनीमिया से पीड़ित है। इंडिया स्पेंड के अक्टूबर 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 के बाद से लोहे की कमी से एनीमिया भारत में विकलांगता का प्रमुख कारण है। हालाँकि इसके लिए B9 एवं B12 की अपर्याप्त भी प्रमुख कारण हैं। सरकारी स्तर पर बच्चों को मुत फोलिक एसिड की गोली का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय आयरन प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके तहत सरकार विपरीत हीमोग्लोबीन स्तर और गर्भावस्था की स्थिति के सभी प्रजनन उम्र की महिलाओं को पूरक प्रदान करती है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार इस आयु में लड़के व लड़कियों को विटामिन सी एवं डी की विशेष आवश्यकता होती है जो कि दूध एवं साइट्रिक फलों से पूरी की जा सकती है।

किशोरावस्था में संतुलित आहार (ग्राम/दिन)

खाद्य पदार्थ	युवक 16—18 वर्ष		युवतियां 13—18 वर्ष	
	शाकाहारी	मांसाहारी	शाकाहारी	मांसाहारी
खाद्यान्न	420	420	320	320
दालें	70	50	75	50
हरी सब्जी	100	100	50	150
स्कंद व मूल	30	30	30	30
दूध	250	150	250	150
तेल व घी	30	30	25	25
चीनी/गुड़	30	30	30	30
मुंगफली	60	40	50	40
मांस, मछली, अण्डा	....	15	....	15

स्त्रोत-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति-1976

प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में आहार एवं पोषण- प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में आहार संबंधी आवश्यकताओं में विशेष अंतर नहीं आता लेकिन वृद्धावस्था में क्रियाशीलता घटने के कारण कैलोरी एवं थाइमिन की आवश्यकता अवश्य कुछ कम हो जाती है। प्रोढ़ावस्था एंव वृद्धावस्था में आहार को नियोजित करते समय विटामिन 'सी' विटामिन डी, विटामिन बी1 तथा बी2 की उचित मात्रा का ध्यान रखाना चाहिए तथा भोजन में इसके प्रमुख स्त्रोतों का प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता भली भांति पूर्ण हो सके। प्रौढ़ावस्था कार्यशील अवस्था है अत: उर्जा की आवश्यकता को देखाते हुए भोजन के अधिक वसा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में कम वसा प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इसका पाचन अधिक नहीं हो पाता है। वृद्धावस्था में अस्थियों की कमजोरी के कारण 500 मि0ग्रा0 कैल्शियम प्रतिदिन आहार में मिलना चाहिए जिसे दूध, दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे व हरी सब्जियों से प्राप्त किया जा सकता है।

15-49 आयु वर्ग की स्त्रियों में रजोधर्म, गर्भधारण तथा स्तनपान के कारण लौल तत्वों की कमी हो जाती है तथा वे एनीमिया के शिकार हो जाते हैं अत: उनके आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ सूखे, मेवे, मांस आदि लौहयुक्त खाद्य पदार्थ अवश्य होने चाहिए

भारत में 40 प्रतिशत लोग एनीमिया से ग्रसित हैं अतः पुरूषों को 20 मि0 ग्रा0 तथा स्त्रियों को 30 मि0 ग्रा0 तक प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों को प्रोढ़ों की अपेक्षा भोजन कम मात्रा में किन्तु अधिक बार देना उचित होता है।

निष्कर्ष– भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जल तथा खनिज लवण शरीर की आवश्यकतानुसार हो तभी वह व्यक्ति विशेष के लिए संतुलित आहार होता है। इस दिशा में पोषण वैज्ञानिकों ने अनेक सर्वे किये तथा उन्हीं के आधार पर विभिन्न पोषण संस्थानों ने भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न पोष्टिक तत्वों की मात्रा का निर्धारण किया है। वयस्कों की अपेक्षा शिशु तथा तरूण बालकों को अत्यधिक मात्रा में पोष्टिक तत्वों की जरूरत होती है जिसका मुख्य कारण उसका शारीरिक विकास है।

=================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. भारत की जनगणना, भारत सरकार नई दिल्ली -2011, पृ0 सं0-23-33
2. वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे, भारत सरकार नई दिल्ली-2011-16, पृ0 सं0-9
3. राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत सरकार नई दिल्ली-2016, पृ0 सं0-33 से 35
4. सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली
   बुलेटिन, भारत सांख्यिकी विभाग नई दिल्ली-2015
5. योजना, योजना भवन नई दिल्ली-2017 पृ0 सं0-26 से 29
6. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार नई दिल्ली नवम्बर 2013, पी0-25, पृ0 सं0-26
7. नेशनल सैम्पल सर्वे, भारत सरकार नई दिल्ली-2016, पृ0 सं0-02
8. वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2017- पृ0 सं0-06
9. इंडिया स्पेंड रिपोर्ट, अक्टूबर 2016, पृ0 सं0-12
10. सिंह एम0के0 एवं शीला, 2006 अन्वेशिका जनरल ऑफ टीचर एजुकेशन खंड 3(2), पृ0 सं0-44
11. www.Midday Meal.gov.in
12. बिहार मिड डे मील निदेशालय, नवम्बर 2018
13. फूड एण्ड एग्रीकल्चर आरगेनाइजेशन, 2012
14. विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, 2010
15. यूनाइटेड नेशनल इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन एमरजेन्सीफण्ड, 2010
16. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन रिपोर्ट, 2006
17. सहाय, कुलजीत-भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ, विश्व भारती पब्लिकेशन, पृ0 सं0-29-46
18. डॉ0 लवानिय, एम0एम0 एवं जैन के शशी-चिकित्सा समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, पृ0 सं0-102-116
19. सिंह, धीर- मानव स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्याएँ यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, पृ0 सं0-66-97

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

वृद्धों के संदर्भ में परिवार कि भूमिका

• रेखा सेना

सारांश– *वृद्धों का जीवन विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय सुविधाओं के कारण दीर्घ होता जा रहा है। परिणामस्वरूप वे विभिन्न प्रकार के देखरेख अनुपोषण के अपेक्षा कर रहे हैं इसका परिणाम यह है कि वृद्धों कि अपेक्षाएँ परिवार एवं परिवार के सदस्यों से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। व्यक्तिवादिता, उदारवाद के प्रसार के कारण परिवार में अहम्‌वादी एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों का बोलबाला हो रहा है। युवाओं कि आकॉक्षा एवं जीवन शैली में तीव्र बदलाव आने के कारण उनका परंपरागत मूल्य व्यवस्था से ताल–मेल नहीं बैठ पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि लोग अपने स्वार्थो कि पूर्ति के लिए वृद्धों को सहयोग देने कि तुलना में उनके समक्ष विविध प्रकार के कठिनाईयों को उत्पन्न करने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं।*

मुख्य शब्द– वृद्धों, परिवार, समाज, भूमिका

वृद्धों कि समस्या को समझनें के लिए समसामयिक समाज में परिवार कि भूमिका को समझना आवष्यक है। आज वृद्धों के प्रति वह नजरिया नहीं है जो पहले था विविध प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धों कि देखरेख के लिए परिवार से बढ़कर कोई दूसरा संगठन नहीं हैं परंतु परिवर्तित परिस्थितियों में विविध प्रकार के सामाजिक,सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक कारकों कें परिणाम स्वरूप आज परिवार अपनी वह भूमिका प्रतिपादित नहीं कर पा रहा है जिसकी अपेक्षा है।

जहाँ तक वृद्धों के देखरेख का प्रश्न है, परिवार का स्थान केन्द्रिय है इसके अन्तगर्त वृद्धों को सुचारू रूप से देखरेख करने के लिए बल दिया जाता हैं। परिवार के अन्तर्गत ही युवा वर्ग को वृद्धजनों कि देखरेख का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। परंतु विभिन्न प्रकार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आज परिवारों से उनके अपेक्षित भूमिका कि विषेष आषा नहीं रखी जा सकती है। इस प्रकार यदि परिवार का युवा वर्ग वृद्वों के खान–पान, मनोरंजन, आध्यात्मिकता के आधार पर बढ़ता रूझान आदि के बारे में सकिय नहीं रहता, ऐसी स्थिति में हम वृद्वों के मंगलमय दीर्घ जीवन कि बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। अत: परिवर्तित परिस्थितयों वृद्वों के संदर्भ में परिवार कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है।

परिवार के अन्तर्गत संबंधों कि मधुरता धीरे–धीरे प्रभावित हो रही हैं और परिवार के सदस्यो मे विविध प्रकार के कुअभियोजन एंव तनाव उत्पन्न होता है इनको उत्पन्न करने मे वृद्धो के व्यक्तित्व एंव व्यवहार प्रारूप का बहुत बडा योगदान होता है जीवन के अंतिम

• **अतिथि विद्वान समाजशास्त्र विभाग शासकीय महाविद्यालय बरका, जिला सीधी मध्य प्रदेश**

पड़ाव पर अग्रगामी होने के कारण वृद्ध परिवार में अभियोजन की बात कम करते हैं। तथा किसी न किसी रूप में उभय संकट कि स्थिति को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। परिणाम यह होता है कि परिवार विविध प्रकार के तनावों एवं कुसमायोजन के स्थितियां को झेलता है।

वृद्धों की समस्या को समझने के लिए समसामयिक समाज में परिवार की भूमिका को समझना आवष्यक हैं विविध प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धों के प्रति आज नजरिया नहीं है जो पहले थी। विविध प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धों के देखरेख के लिये परिवार से बढ़कर कोई दूसरा संगठन नहीं है परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में विविध प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के परिणामस्वरूप आज परिवार अपनी वह भूमिका प्रतिपादित नहीं कर पा रही है जिसकी अपेक्षा है।

शोध अध्ययन क्षेत्र–

प्रस्तुत अध्ययन रानी तालाब, बस्ती, बाणसागर हरिजन बस्ती रीवा वृद्धजनों पर संचालित किया गया है। इन ग्रामों के चयन में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि इनमें पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोग अवश्य हों। पिछड़ी जाति के अंतर्गत तेली, कोरी, कोल, पटेल, सोनी, अहिर, लोहार आदि को साम्मिलित किया गया हैं अनुसूचित जाति में हरिजन, कुम्हार, धरकार, आदि को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत 25 उत्तरदाता पिछड़ी जाति के तथा 25 अनुसूचित जाति के दैव निर्दषन प्रविधि के आधार पर चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन शोध परिक्षेत्र रीवा नगर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत किशोरी, गर्भवती तथा धात्री माताओं से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण तथा व्याख्या की गयी है। द्वितीयक समंकों का संकलन शोधार्थी द्वारा अध्ययन के अनुरूप शासकीय अभिलेखों से प्राप्त किये गये है। इसके पश्चात समंकों के आधार पर ही सारणीयन तथा वर्गीकरण किया गया है।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण–

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत वृद्धों के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार, वृद्धों की पत्नी के अतिरिक्त परिवार में देख रेख करने वाला, परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा तनाव की स्थिति, परिवारिक सदस्यों में सम्पत्ति को लेकर मुकदमेबाजी, परिवार के सदस्यों का आपसी मतभेद एवं झगड़ा, परिवार के सदस्यों का वृद्धों के व्यवहार एवं कियाकलाप से चिढ़ना, परिवार के मामलों में वृद्धों का हस्तक्षेप, वृद्धों के सांवेगिक परेशानियाँ में परिवार के सदस्यों द्वारा मद्द्, परिवार में वृद्ध लोगों के देख रेख की कमी की प्रकृति, वृद्धघरों के प्रति वृद्धों की उदासीनता के दीर्घायु का परिवार के लिए लाभ, आदि पक्षों को तथ्यगत आधार पर विष्लेषित किया गया है।

परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं विचार का मूल्यांकन–

साधारणतया परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार परिवार के अन्तःक्रियात्मक संबंधों को प्रभावित करता है। यदि परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं आपस में उनका अन्तः क्रियात्मक संबंध सुरूचिपूर्ण होता है तो इस संबंध में परिवार के वृद्धों के विविध

प्रकार के उत्थान को अपने ढंग से प्रभावित करता है।

इन्हीं तथ्यों को ध्याम में रखते हुए जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि आप अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं विचार को अपने प्रति किस प्रकार का चाहते है। इस संदर्भ में अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओ 04 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे परिवार के व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट हैं परंतु 09 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार के सदस्यों का विचार एवं व्यवहार संतोशप्रद है। 05 उत्तरदाताओं ने कहा ठीक ही है, 08 उत्तरदाताओं ने कहा असंतोषप्रद तथा 04 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार अत्यधिक असंतोषप्रद है। पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं में 06 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार अत्यधिक संतोशप्रद, 05 संतोशप्रद, 09 ठीक ही है, 07 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार के सदस्यों का विचार एवं व्यवहार असंतोशप्रद है। 09 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार का वातावरण अत्यधिक असंतोशप्रद हैं तथ्यों के विश्लेशण से स्पष्ट होता है कि अधिकांष उत्तरदाता परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं भूमिका से बहुत संतुष्ट नहीं है। उपर्युक्त तथ्य सारणी संख्या 1 में प्रस्तुत है।

सारणी संख्या -1

परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार तथा उत्तरदाता

उत्तरदाता	परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं विचार					योग
	अत्यधिक संतोषप्रद	संतोषप्रद	ठीक है	असन्तोष	अत्यधिक असन्तोष	
अनु. जाति	2	5	7	6	5	25
पिछड़ी जाति	3	6	5	4	7	25
योग	5	11	12	10	12	50

पत्नी के अतिरिक्त परिवार में देख रेख करने वाले-

साधारणतया वृद्धों की देखरेख एवं उनकी समस्याओं का समाधान साधारणतया उनकी पत्नी के द्वारा किया जाता है। परन्तु परिवार के कुछ ऐसे भी सदस्य है। जो पत्नी के अतिरिक्त वृद्धों के देखरेख में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में जब अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि पत्नी के अतिरिक्त देख रेख करने वालों के पुत्र और पुत्री का विशेष योगदान रहता है परंतु विषय परिस्थितियों में पुत्र पुत्री के अलावा परिवार में वृद्धों का देख रेख परिवार के कुछ सदस्य अपने माध्यम से करते है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पत्नी के अलावा परिवार में देखरेख करने वाले पुत्र-पुत्री का 18 स्थान होता है। 12 उत्तरदाताओं का देखरेख परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं में 20 उत्तरदाताओं ने कहा कि पत्नी के अतिरिक्त देख रेख उनके पुत्र पुत्री करते है। 15 उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका देख रेख परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पत्नी के अतिरिक्त परिवार में वृद्धों का देखरेख पुत्र या पुत्री करते है। उपर्युक्त तथ्य सारणी संख्या 2 में प्रस्तुत है।

सारणी संख्या -2

पत्नी के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों द्वारा देखरेख एवं उत्तरदाता

उत्तरदाता	**परिवारिक झगड़ा एवं तनाव**		
	पुत्र–पुत्री	**परिवार के निकट संबंधी**	**योग**
अनु0 जाति	12	13	25
पि0जाति	14	11	25
योग	26	24	50

झगड़ा/तनाव की स्थिति–

साधारणतया परिवार में सहजता की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक परिवार के सदस्यों के विचार, लक्ष्य एवं दृष्टिकोंण का आपस में टकराव नहीं होता। परिवार के सदस्य जब तक एक दूसरे की हितों का ध्यान रखते हैं, आपस में टकराव की स्थिति नहीं बनती परन्तु इसके विपरीत स्थिति में परिवार में विविध प्रकार के तनाव, झगड़ा आदि की स्थिति बनती है और परिवार का षान्तिमय वातावरण विल्कुल झगड़ामय हो जाता है। भारतीय समाज परिवार के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिवार में तनाव मूल्यों के संकट के कारण होता है जिसका केन्द्र बिन्दु साधारणतया परिवार के वृद्ध होते हैं इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि उन अवसरों को स्पष्ट कीजिए जिसके अंतगर्त परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस संदर्भ में तथ्यों का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में परिवार में झगड़ा एवं तनाव सदस्यों स्वास्थ्यमय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 होता है। 8 उत्तरदाताओं ने परिवार में झगड़ा एवं तनाव के लिए सम्पत्ति विशेषकर जमीन, नकद रूप्यों, अचल सम्पत्तियों आदि के लिए होता है। 10 उत्तरदाताओं ने परिवार में झगड़े एवं कलह के लिए अन्य कारणों को उत्तरदायी बताया जिसमें खान पान, बच्चों कि शिक्षा, रहन सहन का स्तर आदि प्रमुख है। इसी संदर्भ में जब पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं से पूछा गया तो 16 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार में झगड़ा एवं तनाव स्वास्थ्यमय आवष्यकतओं की पूर्ति के लिए होता है। 9 उत्तरदातओं ने कहा कि परिवार में तनाव अचल सम्पत्ति, धन दौलत आदि को लेकर उत्पन्न होता है परन्तु 7 उत्तरदातओं ने कहा कि परिवार में तनाव अचल संपत्ति, धन दौलत आदि को लेकर उत्पन्न होता है। परंतु 7 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार में झगड़ा एवं कलह तथा तनाव विविध प्रकार के कारक हैं जो परिवार के विविध पक्षों से संबंधित होते हैं उसके लिए होता है।

संपूर्ण तथ्यों को विश्लेषित करते हुए यह स्पष्ट होता है कि परिवार में अषांन्ति एवं कलह ऐसे कारकों के कारण है जो किसी न किसी साधन सम्पदा आदि से जुड़े हैं। इनके पीछे यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका प्रतिपादित करता है तो वह वृद्ध ही है। उपर्युक्त तथ्य सारणी संख्या 3 में प्रस्तुत है

सारणी संख्या- 3

परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा/तनाव की स्थिति

उत्तरदाता	पारिवारिक झगड़ा एवं तनाव			
	स्वार्थयुक्त आवाश यकताओं के कारण	अचल संपत्ति एवं नकद रू0 आदि के कारण	अन्य कारण	योग
अनु. जाति	12	7	6	25
पि.जाति	13	6	6	25
योग	15	13	12	50

परिवार के सदस्यों में सम्पत्ति को लेकर मुकदमे बाजी–

जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि आपके परिवार में विवाद इतना बढ़ गया कि सम्पत्ति को लेकर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस संदर्भ में जब अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि परिवार के सदस्यों में संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी हुई। अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में 10 उत्तरदाताओं ने ककहा कि सम्पत्ति को लेकर उनके परिवार में मुकदमेबाजी हुई परंतु 4 उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में नकारात्मक उत्तर दिया। पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं ने अपना सकारात्मक उत्तर देते हूए कहा कि उनके परिवार में सम्पत्ति को लेकर मुकदमेबाजी हुई परंतु 16 उत्तरदाताओं ने अपना नकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया। तथ्यों का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति को लेकर परिवार के सदस्य आपस में मुकदमेबाजी पर उतारू हुये थे। उपर्युक्त तथ्य सारणी संख्या 4 में प्रस्तुत है।

सारणी संख्या -4

परिवार के सदस्यों का आपसी मतभेद एवं झगड़ा तथा उत्तरदाता

उत्तरदाता	परिवार के सदस्यों का आपसी मतभेद एवं झगड़ा लेकर मुकदमेबाजी		
	हाँ	नहीं	योग
अनु0जाति	10	15	25
पि.जाति	14	11	25
योग	24	26	50

उत्तरदाताओं से जब यह पूछा गया कि आप उन वैयक्तिक क्षणों का बताईये जब आपके परिवार के सदस्य मतभेद करके झगड़ा करते है। इस संदर्भ में अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में 5 लोगो ने रूपये एवं अन्य संपत्ति के आदान-प्रदान में, 6 लोगो ने स्वार्थो को पूरा न होने की स्थिति में 7 लोगो ने जब परिवार कि गतिविधियाँ ठीक न हो, 6 लोगो ने जब नैतिकता कि स्थिति डामा डोल हो, 6 लोगो ने जब युवाओं पर से अनुशासन कम होने लगे आदि को मतभेद एंव झगड़े का महत्वपूर्ण आधार बनाया। पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं में 4 लोगो ने रू0 एवं सम्पत्ति के मामले में 7 लोगो ने स्वार्थो कि पूर्ति न होने कि स्थिति में, 5 लोगो ने जब परिवार कि गतिविधियाँ ठीक न हों, 6 लोगो ने जब नैतिकता कि स्थिति डामा-डोल हो तथा 6 लोगो ने जब युवाओं पर से अनुशासन कि पकड़ कम पड़ने लगे आदि महत्वपूर्ण आधार बताया। परिवार के ऐसे

सदस्य जो सूझ बूझ से काम लेते वे इस प्रकार कि स्थिति से बहुत सहजता से सामना कर लेते है। परंतु जो सदस्य विवेकष्शील नहीं होते वे इसी प्रकार कि समस्याओं को भयानक रूप प्रदान कर देते है। उर्पयुक्त तथ्य को सारणी संख्या 5 में प्रस्तुत किया गया।

सारणी संख्या-5

परिवार के सदस्यों का आपके व्यवहार व कियाकलाप मुकदमेबाजी

उत्तरदाता	**परिवार के सदस्यों में संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी**					**योग**
	रूपये एवं अन्य संपत्ति के आदान –प्रदान में	**जब उनके स्वार्थों कि पूर्ति नहीं करतें**	**जब परिवार के गतिविधियों को ठीक नहीं ठहराते**	**जब नैतिकता कि स्थिति डामा –डोल होने लगती है।**	**जब युवाओं पर से अनुशासन कमजोर होने लगता है।**	
अनु0जाति	5	3	7	4	6	25
पिछड़ी जाति	4	7	5	3	6	25
योग	9	10	12	7	12	50

परंपरागत समाज में परिवार एक ऐसा प्राकृतिक एवं प्रेरणाप्रद सामाजिक संगठन है। जो वृद्वों कि देखरेख और उनके पोशण में अपना रचनात्मक योगदान प्रदान करता है। साधारतया परिवार में वृद्वों कि देखरेख पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ एवं पुत्रबधुयें करती है। वृद्वों कि इस प्रकार का देखरेख एवं सुरक्षा परिवार के अन्तर्गत बने हुए सांवेगिक गांठों एवं आपसी संबंधों के माध्यम से दिया जाता है। वृद्वों कि देखरेख के पीछे सिर्फ रक्त संबंध एवं परिवारिक संबंध अथवा वैज्ञानिक संबंध का योगदान नहीं होता वरन् सामाजिक मूल्य प्रतिमान एवं व्यवहारों का प्रतिफल होता है। जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति उस प्रकार कि व्यवहार के लिए वाध्य होता है। वृद्वों का देख रेख एक नैतिक जिम्मेदारी है। और उनके आषीर्वचन से लोक और परलोग का मार्ग सुलभ हो जाता है। परंतु परपंरागत गठबंधन विविध प्रकार के प्रभाव के परिणामस्वरूप वृद्व जनो एवं युवाओं के मध्य धीरे-धीरे दुरियों का निर्माण कर रहा है। और वृद्वों एंव युवाओं के अंत: संबंध ढृढ़ होने कि जगह उत्तरोत्तर निर्बल होते जा रहे हैं। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक,षक्तियों एवं सांस्कृतिक परिवर्तन समसमायिक समाज में घटित हो रहे है। परिणामस्वरूप युवाओं में वृद्वों के प्रति वह दृश्टिकोंण नहीं है जो पहले था।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. डाँ जी0आर0मदन - समाज कार्य, प्रकाशक: विवेक प्रकाशक जवाहर, नगर, दिल्ली
2. डॉ0 डी0एस बघेल- सामाजिक अनुसंधान
3. डॉ0 आर0 के मुकर्जी- सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशक: धीरज बुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ

UGC Journal No. 40942,
Impact Factor 3.928, ISSN 0973-3914
Vol.- XXVIII, Hindi-I, Year-14, June, 2019

पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन

* अखिलेश शुक्ल
** कोमल पाण्डेय

सारांश– *पंचायतीराज अधिनियम के फलस्वरूप महिला आरक्षण के कारण परिवार एवं समाज के सहयोग से महिलाएँ पंचायत चुनावों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं साथ ही सार्थक कार्य भी कर रही हैं। शोधार्थी ने अपने शोध विषय ''महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन'' के अध्ययन के अंतर्गत रीवा जिले का चयन किया जिसके अंतर्गत जिले के सभी नवों विकासखण्डों रीवा, रायपुर–कर्चुलियान, गंगेव, सिरमौर, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, त्योंथर एवं जवा में से प्रत्येक विकासखण्ड से 15–15 महिला पंचों, 10–10 महिला सरपंचों एवं 5–5 महिला जनपद सदस्यों कुल मिलाकर 270 महिला जनप्रतिनिधियों को शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी ने सभी न्यादर्शों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया है। प्रस्तुत शोध मे महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए शोधार्थी ने शोध उपकरण के रूप में प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया और इसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीयन कर विश्लेषण द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।*

मुख्य शब्द– महिला नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन, महिला आरक्षण, परिवार, समाज

प्रस्तावना– स्थानीय समुदाय, राज्य-राष्ट्र एवं वैश्विक स्तर पर शताब्दियों से महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का समझा जाता रहा है। बाहुबल, बुद्धिबल तथा धनबल के आधार पर महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रखा गया है। इसके लिए सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार पर महिलाओं पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताएँ आरोपित की गई। समान नागरिक अधिकारों एवं मानवधिकारों के समर्थक एवं पुरोधा कहे जाने वाले राष्ट्रों में भी महिलाओं को लंबे समय तक मताधिकार तथा चुनाव में प्रतिभागी बनने से वंचित रखा गया यही कारण है, कि राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर पर उच्च शिखार तक पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। देशकाल एवं परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रही है। लेकिन समाज के हर क्षेत्र चाहे वह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कोई भी क्षेत्र रहा हो महिलाओं के निर्णयन प्रक्रिया में पुरूषों का ही वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के प्रयास शुरू किए गए जिनसे महिलाओं की

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शास्त्री ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश
** शोधार्थी, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यू.एन.एफ.पी.ए. ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी नई चेतना की सराहना की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुरू में महिला आरक्षण और उसके चुनाव का मजाक उड़ाया जाता था और पुरूषों की कठपुतली मानकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था, किन्तु अब महिलाओं को अपनी क्षमताओं का एहसास हो गया है और वे कुछ कर दिखाने तथा अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी इच्छा से चुनाव लड़ रही है। इनमें अनुसूचित जातियाॅ और जनजातियों की महिलाएॅ भी आगे आ रही हैं। सत्ता में भागीदारी की यह मात्रा केवल संख्या या अनुपात तक सीमित नहीं है। पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि चूल्हा-चौका और बच्चे पालने के साथ-साथ वे अपने गाॅव और समाज के लिए ऐसे काम भी कर सकती हैं, जिनके लिए पुरूष शासित समाज ने पहले कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अभी तक चले आ रहे भेदभाव को दूर करने में मदद मिल रही है। यह भी देखाने में आया है कि पंचायत की पदाधिकारी बनने से घर-परिवार में और आस-पास उनका सम्मान बढ़ गया है और जो पुरूष पहले औरतों के सुझावों की अनदेखी करते थे वे अब उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और उनसे समानता का बर्ताव करते हैं। इस नए सम्मान और प्रतिष्ठा के चलते महिलाएॅ गांव के छोटे मोटे झगड़े और विवाद भी निपटाने लगी हैं। जहाॅ महिलाएॅ सरपंच चुनी गयी है वहाॅ पंचायतों के कामकाज में काफी सुधार देखा गया है। आज के संदर्भो में देखा जाए तो इसी प्रमाणिकता को महिला नेतृत्व द्वारा अपनाने का कार्य किया जाना चाहिए। कुछ उन्हें अपना भी रही हैं और अभी तो इसे शुरूआत ही कहेंगे और शुरूआत में ही महिलाओं द्वारा किए गए ये प्रयास निश्चय ही देश के ग्रामीण राजनैतिक भविष्य की इबारत बदलने के लिए पर्याप्त हैं।

शोध के उद्देश्य– पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के प्रति आए सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन''

शोध परिकल्पना– पंचायतीराज अधिनियम के प्रभाव से पंचायत चुनावों में महिलाओं को उनके परिवार एवं समाज का सहयोग मिल रहा है।

अध्ययन पद्धति–

शोधार्थी ने अपने शोध विषय ''महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन'' के अध्ययन के अंतर्गत रीवा जिले का चयन किया जिसके अंतर्गत जिले के सभी नवों विकासखण्डों रीवा, रायपुर-कर्चुलियान, गंगेव, सिरमौर, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, त्योंथर एवं जवा में से प्रत्येक विकासखण्ड से 15-15 महिला पंचों, 10-10 महिला सरपंचों एवं 5-5 महिला जनपद सदस्यों कुल मिलाकर 270 महिला जनप्रतिनिधियों को शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी ने सभी न्यादर्शो का चयन दैव निदर्शन विधि से किया है। प्रस्तुत शोध मे महिला नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए शोधार्थी ने शोध उपकरण के रूप में प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया और इसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीयन कर विश्लेषण द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। शोधार्थी ने चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से उनको

प्राप्त पारिवारिक एवं सामाजिक सहयोग को जानने के लिए प्रश्न पूछा आपको चुनाव लड़ने के लिए किसने सहयोग किया?

प्राप्त उत्तरों को तालिका क्रमांक-1 में दर्शाया गया है -

तालिका क्र-01

महिलाओं के चुनाव लड़ने में सहयोग की जानकारी

क्र.	उत्तरदाता समूह	संख्या	चुनाव लड़ने में सहयोग किया							
			सास-ससुर सहित पूरे परिवार ने		पति और बच्चों ने		गाँव वालों ने		सभी ने मिलकर	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	महिला पंच	135	40	29.62	60	44.44	20	14.81	15	11.11
2.	महिला सरपंच	90	28	31.11	42	46.66	12	13.33	08	08.89
3.	महिला जनपद सदस्य	45	12	26.67	22	48.89	07	15.55	04	08.89
	योग	270	80	29.62	124	45.92	39	14.44	27	10.00

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है, कि कुल महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 45.92 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें पति व बच्चों का सहयोग मिला। 29.62 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के अनुसार उन्हें सास-ससुर सहित पूरे परिवार का सहयोग मिला। जबकि 14.44 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें गांव वालों ने सहयोग किया तथा 10.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने माना कि उन्हें सभी ने मिलकर सहयोग प्रदान किया तो यह तथ्य आश्वस्त करता है कि प्रत्येक गांव से कई-कई महिलाएँ चुनाव में खड़ी हुई और इसके बाद भी इस तरह के परिणाम भविष्य में आशा जगाते हैं।

चुनाव लड़ने की सोच को लेकर महिला नेत्रियों की सोच स्पष्ट हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैनें न्यादर्श में चयनि महिला जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछा कि आपने कैसे सोचा कि आप चुनाव लड़ सकती है? इसके उत्तर में प्राप्त आंकड़ों को तालिका क्रमांक-2 में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक-2

महिलाओं के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की जानकारी

क्र.	उत्तरदाता समूह	संख्या	चुनाव लड़ने की सोच							
			स्वयं ने सोचा		परिवार ने प्रेरित किया		गाँव वालों ने		कोई जवाब नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	महिला पंच	135	12	08.89	75	55.56	16	11.85	32	23.70
2.	महिला सरपंच	90	06	06.67	53	58.89	17	18.89	14	15.56
3.	महिला जनपद सदस्य	45	02	04.44	24	53.33	10	22.22	09	20.00
	योग	270	20	07.40	152	56.29	43	15.92	55	20.37

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है, कि कुल 270 महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 56.29 प्रतिशत के अनुसार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए परिवार ने प्रेरित किया। 15.92 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गाँव वालों ने चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया। जबकि स्वयं चुनाव लड़ने की सोच रखने वाली 07.40 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि थी। तथा 20.37 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ऐसी भी थी, जिन्होनें इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, जो इस बात का द्योतक है, कि वे परिवार के सहयोग

से ही आगे आ पा रही है, और पहले की स्थिति से यह बिल्कुल उलट है, जहाॅ परिवार का विरोध ज्यादा झेलना पड़ता था। यहाॅ से एक और बात निकल कर आती है कि महिलाओं पर अभी भी पुरूष मानसिकता का प्रभाव है, और इसके चलते उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता अभी विकसित नहीं हो पायी है।

निष्कर्ष–

उपरोक्त तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज अधिनियम के फलस्वरूप महिला आरक्षण के कारण परिवार एवं समाज के सहयोग से महिलाएँ पंचायत चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं साथ ही सार्थक कार्य भी कर रही हैं।

==================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. द्विवेदी राधेश्याम (1999) : मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1994, सुविधा लाॅ हाऊस।
2. भसीन, अनीस (2009) : विश्व में महिला अधिकारों की स्थिति, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ.-701-719
3. परमार, संदीप (1998) -ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान,: राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. राय पारसनाथ (2004) - अनुसंधान परिचय लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
5. कपिल, एच.के. (1986-87) -अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव, आगरा।

RNI No MP BIL 01034 / 12 / 1 / 2005 - TC
REGISTRAR OF NEWS PAPERS IN INDIA, GOVT. OF INDIA

ISSN 0973-3914
9 770973 391009

JOURNAL OF
Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802,Year-1997
www.researchjournal.in

Editor : Prof. Braj Gopal, Printed and Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications, 41/42 Raghuwans Sadan, Bichhiya, Rewa, 486001 (MP) and Printed at Yuvraj Press, Ghoghar, Raniganj, Rewa 486001 (MP)